संस्कृति IAS

# करेंट अफेयर्स

वर्ष 1 : अंक 1 : मई 2021 : ₹ 100

चर्चित विषयों पर महत्त्वपूर्ण लेख

मासिक करेंट अफेयर्स संकलन

महत्त्वपूर्ण तथ्य : एक नज़र में

करेंट अफेयर्स आधारित मानचित्र अध्ययन

उपयोगी अभ्यास-प्रश्न

महत्त्वपूर्ण पत्रिकाओं का सार-संग्रह

*( योजना, कुरुक्षेत्र, डाउन टू अर्थ, ई.पी.डब्ल्यू. )*

अखिल मूर्ति के निर्देशन में
टीम वही, मैगज़ीन नई

संस्कृति IAS
The Complete Administrative Culture

# टीम वही, कोचिंग नई

## अखिल मूर्ति के निर्देशन में

एडमिशन लेने से पहले जान लें कि आपको कौन पढ़ाएगा!

## शिक्षक, जो सुनिश्चित करेंगे आपकी सफलता

**श्री अखिल मूर्ति**
इतिहास
कला एवं संस्कृति

**श्री अमित कुमार सिंह**
(IGNITED MINDS)
एथिक्स

**श्री ए.के. अरुण**
भारतीय अर्थव्यवस्था

**श्री सीबीपी श्रीवास्तव**
(DISCOVERY IAS)
राजव्यवस्था, सामाजिक न्याय
गवर्नेंस, आंतरिक सुरक्षा

**श्री कुमार गौरव**
भूगोल, पर्यावरण
आपदा प्रबंधन

**श्री राजेश मिश्रा**
भारतीय राजव्यवस्था
अंतर्राष्ट्रीय संबंध

**श्री रीतेश आर जायसवाल**
सामान्य विज्ञान
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

**श्री विकास रंजन**
(TRIUMPH IAS)
सामाजिक मुद्दे

# सामान्य अध्ययन

**प्रथम एवं द्वितीय बैच फुल**

तृतीय बैच
में नामांकन जारी

## वैकल्पिक विषय

**इतिहास**
द्वारा –
अखिल मूर्ति

**भूगोल**
द्वारा –
कुमार गौरव

**राजनीति विज्ञान**
द्वारा –
राजेश मिश्रा

7428085757
7428085758

मिस्ड-कॉल करें:
9555-124-124

Website: www.sanskritiIAS.com
Follows us on: YouTube

631, भू-तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

# संस्कृति करेंट अफेयर्स

वर्ष 1 | अंक 1 | मई 2021 | ₹100

*प्रधान संपादक*

अखिल मूर्ति

*परामर्शदाता मंडल*

श्री अमित कुमार सिंह, श्री ए.के. अरुण, श्री सीबीपी श्रीवास्तव, श्री कुमार गौरव, श्री राजेश मिश्रा, श्री रीतेश आर. जायसवाल, श्री विकास रंजन

*मुख्य कार्यकारी अधिकारी*

शिवेश मिश्रा

*कार्यकारी संपादक*

सुशील नाथ कुमार

*संपादन सहयोग*

मनोज कुमार, अजेंद्र कुमार सिंह, किरनदीप कौर, रणंजय पांडे, द्विजेंद्र कौशिक, रंजीत झा, कमलेश पांडे, कृष्ण कुमार

*लेखन एवं संकलन*

अभिषेक शुक्ला, एकता शर्मा, पंकज तिवारी, रश्मि नहाटा, अर्चना द्विवेदी, शिव कुमार चौबे, पुनीत पाल, अभिषेक द्विवेदी, अमित कुमार भारती, अभिजीत यादव, बृजेश कुमार, शुभम ओझा

*विज़ुअलाइज़ेशन*

मो. साजिद सैफी

*टाइपसेटिंग और डिज़ाइनिंग*

तनवीर खान, रोशन, सचिन कुमार, जसबीर सिंह, संतोष कुमार झा, पवन कुमार

*संपादकीय पत्र व्यवहार*

कार्यकारी संपादक,
संस्कृति करेंट अफेयर्स,
संस्कृति पब्लिकेशन्स,
631, भू-तल, डॉ. मुखर्जी नगर,
दिल्ली-110009

## विधिक घोषणाएँ

- इस पत्रिका में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। यह आवश्यक नहीं कि संपादक या प्रकाशक का दृष्टिकोण भी वही हो। हमारी कोशिश यही रहती है कि विभिन्न विचारधाराओं वाले लेखकों के लेख शामिल करें ताकि पाठकों को किसी विषय पर अलग-अलग दृष्टिकोण मिल सकें।
- इस पत्रिका में प्रकाशित सूचनाएँ, समाचार, ज्ञान एवं तथ्य पूरी तरह से सत्यापित किये गए हैं। फिर भी, यदि कोई जानकारी या तथ्य गलत प्रकाशित हो गया हो तो प्रकाशक, संपादक या मुद्रक उससे किसी व्यक्ति-विशेष या संस्था को पहुँची क्षति के लिये ज़िम्मेदार नहीं है।
- हम विश्वास करते हैं कि इस पत्रिका में छपे लेख लेखकों द्वारा मौलिक रूप से लिखे गए हैं। अगर कॉपीराइट उल्लंघन का कोई मामला सामने आता है तो लेखक को ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा।
- सभी विवादों का निपटारा दिल्ली न्यायिक क्षेत्र में होगा।
- © कॉपीराइट: संस्कृति पब्लिकेशन्स, सर्वाधिकार सुरक्षित। इस प्रकाशन के किसी भी अंश का प्रकाशन अथवा उपयोग, प्रतिलिपिकरण, ऐसे यंत्र में भंडारण जिससे इसे पुन: प्राप्त किया जा सकता हो या स्थानांतरण, किसी भी रूप में या किसी भी विधि से (इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक, फोटो-प्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग या किसी अन्य प्रकार से) प्रकाशक की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जा सकता।

पत्रिका की गुणवत्ता से संबंधित शिकायतों व सुझावों के लिये संपर्क (Whatsapp) करें – 8800873762 (सुशील नाथ कुमार)

वितरण व विज्ञापन के लिये संपर्क (Whatsapp) करें- 9811481823 (प्रमोद सिंह कनवाल)

पत्रिका के सब्सक्रिप्शन के लिये संपर्क (Whatsapp) करें- 7428085757 (नरेंद्र प्रताप)

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक अखिल मूर्ति द्वारा
631, भू-तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-09 से प्रकाशित एवं
एम.पी. प्रिंटर्स, बी-220, फेज़-2, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित।

# इस अंक में


## संपादकीय 6

## टॉपर से बातचीत 7–9

कुंदन राज कपूर

(UP PSC परीक्षा में 22वें रैंक पर चयनित)

## लेख खंड 11–23

*संवैधानिक लेख*

संविधान सभा की बहसें : राष्ट्र निर्माण का दस्तावेज़

*अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर आधारित लेख*

चुनौतीपूर्ण विश्व व्यवस्था में बदलते शक्ति समीकरण

*पर्यावरणीय मुद्दे पर आधारित लेख*

पेरिस समझौता : अमेरिका की वापसी से आया 'उम्मीद का दिन'

## करेंट अफेयर्स खंड 25–104

*प्रश्नपत्र-1*

इतिहास, कला एवं संस्कृति 26

सामाजिक मुद्दे 29

*प्रश्नपत्र-2*

राजव्यवस्था एवं शासन 37

अंतर्राष्ट्रीय संबंध 49

*प्रश्नपत्र-3*

सामाजिक न्याय एवं कल्याण 65

आर्थिक घटनाक्रम 68

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 79

आंतरिक सुरक्षा 85

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी 86

आपदा प्रबंधन 93

*प्रश्नपत्र-4*

नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा एवं अभिरुचि 96

*विविध* *98*

## मानचित्र अध्ययन 106–107

मानचित्र-1 ( भारत )

मानचित्र-2 ( एशिया )

## महत्त्वपूर्ण पत्रिकाओं का सार 108–133

*योजना*

वित्त आयोग 108

शर्तों के साथ ऋण 110

सामाजिक क्षेत्र का सशक्तीकरण 112

बजट : आर्थिक विकास के लिये संजीवनी 112

आधारभूत सुविधाओं का मज़बूत ढाँचा 113

विज्ञान में शोध एवं अंतरिक्ष 114

मानव पूँजी और गुणवत्तापरक शिक्षा को जोड़ता बजट 115

जलवायु परिवर्तन और बजट 116

*कुरुक्षेत्र*

बजट 2021-22 में कृषि क्षेत्र 119

स्वस्थ नागरिक, सशक्त राष्ट्र 120

पाँच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य 121

अवसंरचना विकास एवं ग्रामीण भारत 123

*डाउन टू अर्थ*

भारतीय किसान की वर्तमान स्थिति 123

घटते किसान, बढ़ते मज़दूर 124

जलवायु परिवर्तन और किसान 125

कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका 125

मृदा गुणवत्ता ह्रास का खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव 126

विकास एवं पर्यावरण 127

जलवायु परिवर्तन एवं जल संसाधान 128

बदहाल होती नदियाँ 128

प्रदूषण की स्थिति 129

किसान एवं सरकार 129

मनरेगा का महत्त्व एवं ग्रामीण विकास में भूमिका 130

*इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली*

कृषि कानून : आधुनिकीकरण के साथ संघर्ष और ज़मीनी वास्तविकता 131

डिजिटल मीडिया विनियमन : आवश्यकता या राजनीति 132

**महत्त्वपूर्ण तथ्य : एक नज़र में 134–138**

**निबंध खंड 139–140**

विषय की अवधारणात्मक रूपरेखा

निबंध लेखन के लिये उपयोगी उद्धरण

**करेंट अफेयर्स आधारित अभ्यास प्रश्न 142–145**

# संपादकीय

प्रिय विद्यार्थियो,

संस्कृति करेंट अफेयर्स का पहला अंक आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है। साथ में, एक बड़ी ज़िम्मेदारी का भाव भी घर कर रहा है। ज़िम्मेदारी इस अर्थ में कि सिविल सेवा परीक्षा के विस्तृत पाठ्यक्रम एवं समय-साध्य प्रक्रिया को आपके लिये सहज एवं सुगम्य बनाने में हम कहाँ तक सफल हो पाते हैं? आप में से हरेक के अंदर सिविल सेवक बनने का सपना पल रहा होगा और इस सपने को साकार करने के लिये आप विभिन्न विकल्पों की तलाश या अनुसरण कर रहे होंगे। करेंट अफेयर्स की तैयारी के लिये आज अखबारों एवं पत्रिकाओं के अलावा वेबसाइट्स, यूट्यूब चैनल्स और क्लासनोट्स जैसे विकल्पों की भरमार है। इनमें से अपने लिये उपयोगी पाठ्य सामग्री का चयन करना आपके लिये सबसे मुख्य चुनौती है।

न्यूज़ीलैंड के महान क्रिकेटर मार्टिन क्रो से किसी इंटरव्यू में पूछा गया कि 'आपकी नज़र में एक अच्छे बल्लेबाज की क्या खूबी है'? उन्होंने कहा, 'किसी भी मैच में एक बल्लेबाज के पास खेलने के लिये अनेक गेंदें होती हैं, लेकिन एक अच्छे बल्लेबाज को यह पता होता है कि उसे कौन-सी गेंद नहीं खेलनी है।'

हमारा पूरा प्रयास आपकी इस चुनौती का समाधान करने का है, ताकि कम समय और कम प्रयास के साथ आप अधिक से अधिक परिणाम प्राप्त कर सकें।

सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के क्षेत्र में अपने दो दशकों के अध्यापन काल में टॉपर्स और परीक्षा की तैयारी करने वाले हज़ारों विद्यार्थियों के साथ मेरी बात हुई है। इन चर्चाओं में विद्यार्थियों द्वारा करेंट अफेयर्स की तैयारी में आने वाली जिन समस्याओं एवं चुनौतियों का सामान्य रूप से ज़िक्र किया गया है, उनके समाधान के रूप में इस पत्रिका की रूपरेखा तैयार की गई है।

इस पत्रिका को तैयार करने में संस्कृति आई.ए.एस. के सभी अध्यापकों ने नियमित रूप से अपने उपयोगी सुझाव दिये हैं। साथ में, पत्रिका की पाठ्य सामग्री तैयार करने वाली पूरी टीम ने प्रत्येक चरण में इन बातों का पूरा ध्यान रखा है कि पत्रिका में जिन घटनाक्रमों तथा अन्य पाठ्य सामग्रियों को शामिल किया जा रहा है, वे पूरी तरह से सिविल सेवा परीक्षा के वर्तमान पैटर्न के अनुरूप और परीक्षा की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हों। साथ ही, उनको कम शब्दों और सहज भाषा में प्रस्तुत किया जाए ताकि विद्यार्थी 10 दिन में पूरी पत्रिका को अच्छे से पढ़ सकें।

परीक्षा के वर्तमान पैटर्न के अनुरूप पाठ्य सामग्री का चयन करते समय, विगत 10 वर्षों में प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा में पूछे गए करेंट अफेयर्स के प्रश्नों का गहन विश्लेषण किया गया है और इस संदर्भ में सभी अध्यापकों के साथ नियमित विचार-विमर्श किया गया है।

पाठ्य सामग्री के स्रोत के रूप में अंग्रेज़ी के महत्त्वपूर्ण समाचार पत्रों, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, द मिंट, बिज़नेस स्टैंडर्ड के अतिरिक्त पी.आई.बी. की वेबसाइट का उपयोग किया गया है। हिंदी और अंग्रेज़ी भाषा की कुछ मासिक एवं साप्ताहिक पत्रिकाएँ सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिये बहुत उपयोगी हैं, जैसे- योजना, कुरुक्षेत्र, डाउन टू अर्थ, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली। इनमें से प्रत्येक पत्रिका को अलग-अलग पढ़ने में काफी समय और प्रयास की आवश्यकता होती है। ऐसे में, इन्हें परीक्षा के लिये एक-साथ तैयार करना और भी मुश्किल होता है। इसलिये, हमारी टीम ने इन पत्रिकाओं के ज़रूरी लेखों का सार तैयार किया है, ताकि आप कम समय और प्रयास के साथ इनकी तैयारी कर सकें। इसी प्रकार लेख, मानचित्र अध्ययन, महत्त्वपूर्ण तथ्यों का संकलन, अभ्यास प्रश्न तथा निबंध खंड जैसे कई महत्त्वपूर्ण खंडों को इस पत्रिका में शामिल किया गया है। हमारा एकमात्र उद्देश्य आपको करेंट अफेयर्स की तैयारी के लिये 'वन पॉइंट सॉल्यूशन' उपलब्ध कराना है। मुझे विश्वास है कि हिंदी माध्यम के परिणाम को बेहतर बनाने में, हमारी इस कोशिश के साथ आपकी लगन और मेहनत इस उद्देश्य में कारगर सिद्ध होंगे।

हमारा प्रयास है कि इस पत्रिका के माध्यम से आपकी करेंट अफेयर्स की संपूर्ण तैयारी को संभव बनाया जाए। हमारी टीम ने हरसंभव कोशिश के साथ इस पत्रिका को बेहतर बनाने का प्रयास किया है, किंतु पहले ही प्रयास में किसी पत्रिका की गुणवत्ता एवं उपयोगिता के सौ फीसदी होने का दावा अतिशयोक्ति होगी। संभव है कि इसमें बहुत से सुधार अपेक्षित हों, अतः पत्रिका को अधिक से अधिक उपयोगी एवं बेहतर बनाने के लिये आपके सुझाव हमेशा स्वागतयोग्य होंगे।

शुभकामनाओं सहित,

(अखिल मूर्ति)

# टॉपर से बातचीत

## कुंदन राज कपूर

### परिचय

**पिता का नाम :** श्री जितेंद्र कुमार सिंह

**माता का नाम :** श्रीमती कामिनी कंचन

**पता :** सहरसा, बिहार

**शिक्षा :** कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग (पी.टी.यू., जालंधर)

**वैकल्पिक विषय :** इतिहास

**परीक्षा का माध्यम :** हिंदी

**रैंक : 22**

**पद :** डिप्टी कलेक्टर

**संस्कृति आई.ए.एस.:** यू.पी.पी.एस.सी. परीक्षा में उच्च रैंक पर चयनित होने पर आपको हमारी तरफ से हार्दिक बधाई। चयनित होकर आप कैसा महसूस कर रहे हैं?

**कुंदन राज कपूर:** जी, धन्यवाद। बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ।

**संस्कृति आई.ए.एस.:** सिविल सेवाओं में ऐसा क्या है कि लाखों युवा इनकी ओर आकर्षित होते हैं? आपके लिये इन सेवाओं में जाने का मुख्य आकर्षण क्या था?

**कुंदन राज कपूर:** सिविल सेवाओं की सामाजिक प्रतिष्ठा युवाओं के बीच इस परीक्षा के प्रति आकर्षण की मुख्य वजह है। इसके अलावा, सिविल सेवाएँ आपको ऐसा मंच उपलब्ध कराती हैं, जहाँ आप समाज की भलाई के लिये कुछ बेहतर कर सकते हैं।

**संस्कृति आई.ए.एस.:** आपकी सफलता में निश्चित ही आपके साथ-साथ कुछ अन्य व्यक्तियों और संस्थाओं का भी योगदान रहा होगा। अपनी योग्यता और मेहनत के अलावा आप अपनी सफलता का श्रेय किन्हें देना चाहेंगे?

**कुंदन राज कपूर:** मैं अपनी सफलता का श्रेय मेरी मेहनत और आत्मविश्वास के अलावा अपने माता-पिता व गुरुजनों को देना चाहूँगा। गुरुजनों में संस्कृति आई.ए.एस. के निदेशक **'श्री अखिल मूर्ति सर'** का विशेष योगदान रहा।

**संस्कृति आई.ए.एस.:** प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन के विस्तृत पाठ्यक्रम को देखते हुए इसकी तैयारी के लिये आपने क्या रणनीति अपनाई? कुछ विशेष खंडों पर अधिक ध्यान दिया या सभी पर समान रूप से? आपकी राय में क्या कुछ खंडों को गैर-ज़रूरी मानकर छोड़ा जा सकता है?

**कुंदन राज कपूर:** यह सही है कि इस परीक्षा का पाठ्यक्रम काफी विस्तृत है। मैंने प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा, दोनों में सामान्य अध्ययन के पाठ्यक्रम को ठीक से पढ़ा और उसमें शामिल प्रत्येक टॉपिक पर अपनी सामान्य समझ विकसित की। साथ ही, पाठ्यक्रम के सभी खंडों पर समान रूप से बल दिया। मेरी राय में पाठ्यक्रम के किसी भी खंड को छोड़ा नहीं जाना चाहिये, अन्यथा सफलता संदिग्ध हो जाती है।

**संस्कृति आई.ए.एस.:** आपने निबंध की तैयारी कैसे की? क्या भूमिका और निष्कर्ष लेखन के लिये आपने कोई विशेष रणनीति अपनाई या सामान्य तरीके से ही लिखा?

**कुंदन राज कपूर:** निबंध लेखन के लिये मैंने कोई विशेष तैयारी नहीं की थी, अन्य विषयों की विषयवस्तु को ही निबंध लेखन का आधार बनाया था। कुछ कवितांशों व प्रसिद्ध कथनों को उद्धरण के रूप में प्रयोग करने की रणनीति पर थोड़ा कार्य अवश्य किया था।

**संस्कृति आई.ए.एस.:** आपका वैकल्पिक विषय क्या था? क्या स्नातक या आगे के स्तर पर आपने इसकी पढ़ाई की थी? यदि नहीं, तो इसके चयन का आधार क्या था?

संस्कृति IAS
The Complete Administrative Culture

अखिल मूर्ति के निर्देशन में

# ऑनलाइन वीडियो कोर्स एवं पेनड्राइव कोर्स

## वैकल्पिक विषय

# इतिहास

द्वारा - अखिल मूर्ति

### इस कोर्स में एडमिशन लेने पर आपको प्राप्त होंगे

1. इतिहास विषय के सभी खंडों की वीडियो कक्षाएँ जो संस्कृति IAS के एप एवं पेनड्राइव कोर्स में उपलब्ध हैं।
2. सिविल सेवा परीक्षा में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के विश्लेषण सहित वीडियो कक्षाएँ
3. परिचय पुस्तिका
4. इतिहास विषय के प्रश्नपत्र 1 तथा 2 के सभी खंडों की सम्पूर्ण पाठ्य सामग्री–
   (i) पेपर 1: प्राचीन भारत का इतिहास तथा मध्यकालीन भारत का इतिहास
   (ii) पेपर 2: आधुनिक भारत का इतिहास तथा विश्व इतिहास
5. इतिहास विषय में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह
6. प्रथम प्रश्नपत्र से संबंधित मानचित्र पाठ्य सामग्री

*नोट : उपर्युक्त पाठ्य सामग्री कूरियर द्वारा आपके पते पर भेजी जाएगी।*

सम्पर्क करें: 7428085757/58
या
मिस्ड-कॉल करें: 9555-124-124

631, भू-तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

Website: www.sanskritiIAS.com
Follows us on: YouTube

# संविधान सभा की बहसें : राष्ट्र निर्माण का दस्तावेज़

डॉ. रमाशंकर सिंह

भारत की संविधान सभा उस ऐतिहासिक अनुभव की उपज है जिसमें उस समय ब्रिटिश उपनिवेश के अधीन विभिन्न प्रकार के विचार, दल और व्यक्ति अंतर्क्रिया कर रहे थे। संविधान निर्माण के ऐतिहासिक कार्य में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष करने वाले विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ-साथ वे समूह भी शामिल थे जिन्होंने औपनिवेशिक शासन के अंदर रहते हुए भारतीय समाज की संरचना को सुधारने, उसे न्याय-सम्मत बनाने और राजनीतिक रूप से सत्ता-संबंधों को कमज़ोर एवं पिछड़ों के पक्ष में करने की मुहिम छेड़ी हुई थी।

इसके अतिरिक्त, भारत के अस्पृश्य, आदिवासी और माहिलाएँ न केवल ब्रिटिश शासन से मुक्ति चाह रहे थे, बल्कि मुख्यधारा के उच्च जातीय एवं पुरुष वर्चस्व से भी मुक्ति की चाह रखते थे। इसलिये, वे इस दोहरे शोषण एवं अत्याचार के विरुद्ध संवैधानिक संरक्षण की माँग कर रहे थे। यही कारण है कि आज़ाद भारत के लिये संविधान की माँग में मुक्ति की कई तहें काम कर रही थीं। इसी प्रकार, 1920 के बाद मज़दूर अपने कार्य के घंटों को नियमित तथा अन्य श्रम लाभों को सुनिश्चित करना चाहते थे। स्त्रियाँ जहाँ प्रसूति लाभ की माँग कर रही थीं तो कॉन्ग्रेसी-गांधीवादी चाहते थे कि संविधान में शराबबंदी का प्रावधान शामिल हो। लगभग सभी प्रांतों की माँग थी कि रोज़मर्रा के प्रशासन से लेकर वित्तीय प्रबंधन में उन्हें केंद्र सरकार से आज़ादी मिले। अगर ई.पी. थॉम्पसन के शब्दों में कहें तो भारत में मौजूद और कार्यरत सभी विचारों के लोग संविधान सभा से कुछ-न-कुछ अवश्य चाहते थे।

वस्तुत: संविधान सभा की बहसों के माध्यम से हम इस बात को अच्छे से समझ सकेंगे कि संविधान सभा में एक बेहतर देश बनाने की बात हो रही थी, जिसमें कई विचार परस्पर विरोधी भी थे तो कई एक-दूसरे का समर्थन करते थे। संविधान में जिन्हें राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व कहा गया है, उन पर हुई बहसें इस बात की तस्दीक करती हैं कि उपर्युक्त पक्षों को इन प्रावधानों के माध्यम से संतुष्ट करने का प्रयास किया गया। इसी प्रकार, देश के कमज़ोर तबकों, अल्पसंख्यक समुदायों और स्त्रियों के लिये मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई, ताकि वे अपनी ऐतिहासिक कमज़ोरियों को पीछे छोड़कर स्वतंत्र और सक्षम नागरिक बन सकें। इस प्रकार भारत का संविधान एक सामाजिक दस्तावेज़ बन जाता है।

संविधान सभा

## न्याय एवं समानता का मुद्दा

13 दिसंबर, 1946 को संविधान सभा में डॉ. आंबेडकर ने पहली बार अपनी बात रखी। दरअसल, इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 'उद्देश्य प्रस्ताव' को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया था। उद्देश्य प्रस्ताव में उन सिद्धांतों का उल्लेख था, जिनका अनुसरण करते हुए भारत का संविधान निर्मित होने वाला था। वस्तुत: पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के समक्ष पेश किया तो वह मानकर चल रहे थे कि इस पर बहुत ज़्यादा बहस नहीं होगी। संभवत: इसी कारण उन्होंने सदस्यों से कह भी दिया था कि इस प्रस्ताव में जो कुछ लिखा हुआ है, उसमें आप कमी या बेशी न करें। उनके द्वारा प्रस्तुत इस उद्देश्य प्रस्ताव में आठ बिंदु थे : भारत एक स्वतंत्र एवं संप्रभु गणराज्य होगा; राज्यों का एक संघ होगा; राज्य स्वाधीन इकाइयाँ होंगे; संपूर्ण शक्ति एवं सत्ता जनता से प्राप्त होगी; सभी लोगों के लिये सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, अवसर की समानता, विधि के समक्ष समता, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, भ्रमण, कारोबार व संघ बनाने की स्वतंत्रता; अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों एवं जनजातीय क्षेत्रों की सुरक्षा; भारत संघ के भू-क्षेत्र, समुद्र एवं वायु क्षेत्र पर अधिकार; यह प्राचीन भूमि विश्व में अपना योग्य एवं सम्मानित स्थान प्राप्त करेगी।

उद्देश्य प्रस्ताव को पेश करते हुए पंडित नेहरू ने कहा कि वह शक्तिशाली अतीत और उससे भी शक्तिशाली भविष्य के बीच वर्तमान की तलवार की धार पर खड़े होकर भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। एक आदर्श स्थिति में संविधान जितना प्राधिकार शासक समूह को देकर उसे सक्षम बनाता है, उतना ही सामान्य नागरिक को भी। कम-से-कम आधुनिक लोकतंत्र में यह बात निश्चित रूप से सत्य है।

जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत इस उद्देश्य प्रस्ताव पर कटाक्ष करते हुए डॉ. आंबेडकर ने कहा, "पंडित जवाहरलाल नेहरू एक समाजवादी की हैसियत से मशहूर हैं, किंतु मैं इस बात को अवश्य स्वीकार करूँगा

कि मुझे इससे बड़ी निराशा हुई... प्रस्ताव को पढ़ने पर मुझे वह घोषणा याद आती है जिसे फ्राँस की विधान परिषद् ने मानव अधिकारों की घोषणा के नाम से घोषित किया था। अत: इन बातों को दुहराना, जैसा कि प्रस्ताव में किया गया है, केवल प्रस्ताव की त्रुटियों को रेखांकित करते हुए विद्वता का प्रदर्शन करना है। आगे उन्होंने कहा, यद्यपि 'इस प्रस्ताव में अधिकारों की चर्चा तो की गई है लेकिन उनकी सुरक्षा का कोई उपबंध नहीं किया गया है। यदि अधिकारों की रक्षा की व्यवस्था न की जाए तो उनका कोई महत्त्व नहीं रह जाता। इस प्रस्ताव में ऐसे उपबंधों का नितांत अभाव है।' मूल अधिकारों के संबंध में उपबंध करते समय आंबेडकर के इस तर्क से बड़ी मदद मिली। आज भी न्यायालयों में मूल अधिकार एवं उनके संरक्षण में यही तर्क कार्य करता है कि मूल अधिकारों को व्यक्ति के जीवन के अधिकार एवं अस्तित्व से पृथक नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, इस उद्देश्य प्रस्ताव में इस सामान्य सिद्धांत का कोई उल्लेख नहीं है कि 'किसी भी नागरिक को उसके जीवन एवं संपत्ति से तब तक वंचित नहीं किया जा सकता, जब तक कि उसकी विधि-सम्मत जाँच पड़ताल न की गई हो'। ध्यातव्य है कि बाद में इस तर्क को मूल अधिकारों के अंतर्गत शामिल किया गया। संविधान सभा की बहसों में मूल अधिकार एवं मानवीय गरिमा को आधारभूत मानवीय मूल्यों के रूप में स्थापित करने में डॉ. आंबेडकर का उल्लेखनीय योगदान है। इसी का परिणाम है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की तरह मूल अधिकार प्रत्येक नागरिक को प्राप्त हैं, बल्कि इनका दायरा मताधिकार से भी व्यापक है।

उद्देश्य प्रस्ताव पर प्रश्न करते हुए डॉ. आंबेडकर ने कहा कि प्रस्ताव में उल्लिखित मौलिक अधिकारों को भी कानून और सदाचार के दायरे तक सीमित किया गया है। ऐसे में प्रश्न उठता है कि 'कानून और सदाचार क्या हैं'? इसका निर्धारण भावी शासन प्रबंध करेगा, जबकि इस संदर्भ में विभिन्न शासन प्रबंधों की राय अलग-अलग होगी। ऐसे में, यदि मौलिक अधिकारों को शासन प्रबंध के एकाधिकार पर छोड़ दिया तो उनकी स्थिति क्या होगी? साथ ही, प्रस्ताव में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की बात भी की गई है, जबकि इसमें ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये थी जिसके माध्यम से राज्य के लिये सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय प्रदान करना संभव हो सकता।

शासन और संविधान के बीच अंतर को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी देश 'संवैधानिक नैतिकता' से चलता है, यह लोगों के बीच वाक् एवं कार्य-स्वातंत्र्य को बढ़ावा देती है। शासन एवं संविधान के बीच संबंधों की व्याख्या के लिये उन्होंने 'संवैधानिक नैतिकता' पर बल देते हुए कहा कि किसी भी समाज को इसे स्वत: विकसित करना होता है।

अस्पृश्यों के उत्थान के संदर्भ में डॉ. आंबेडकर का यह दृढ़ मत था कि राजनीतिक ताकत ही उनके लिये बेहतर भविष्य सुनिश्चित कर सकती है। साथ ही, उनका यह भी मानना था कि केवल राजनीति ही

**संविधान सभा**

- **कुल सदस्य** संख्या 389
  - *निर्वाचित (296)*
  - *मनोनीत (93)*
- **गठन–** कैबिनेट मिशन योजना के तहत (अध्यक्ष-पैथिक लॉरेंस)
- **प्रथम बैठक** 9 दिसंबर, 1946 (अध्यक्ष-सच्चिदानंद सिन्हा)
- **प्रारूप समिति का गठन** 29 अगस्त, 1947
- **स्थाई अध्यक्ष** डॉ. राजेंद्र प्रसाद (11 दिसंबर, 1946)
- **उद्देश्य प्रस्ताव पेश** 13 दिसंबर, 1946

सबकुछ नहीं बदल सकती है। इस संबंध में उन्होंने कहा कि केवल राजनीतिक लोकतंत्र से ही हमें संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिये, बल्कि राजनीतिक लोकतंत्र को हमें सामाजिक लोकतंत्र का रूप भी देना चाहिये। सामाजिक लोकतंत्र से उनका आशय जीवन के उस मार्ग से था जो स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व को जीवन के मूलभूत सिद्धांत के रूप में मानता हो। आर्थिक लोकतंत्र पर अपना मत रखते हुए उन्होंने कहा, आर्थिक स्तर पर हमारा समाज ऐसा है जिसमें कुछ लोगों के पास अतुल संपत्ति है, जबकि अधिकांश लोग नितांत निर्धनता में जीवन-यापन कर रहे हैं। 26 जनवरी, 1950 को हम विरोधाभासों से भरे जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि अधिकांश लोग नितांत राजनीतिक जीवन में समता का व्यवहार करेंगे और सामाजिक तथा आर्थिक जीवन में असमानता का; राजनीति में हम 'एक व्यक्ति के लिये एक मत' और 'एक मत का एक ही मूल्य' के सिद्धांतों का अनुपालन करेंगे। अत: जितनी जल्दी हो सके, हमें इन विरोधाभासों को मिटा देना चाहिये, अन्यथा जो लोग असमानता से पीड़ित हैं वे इस राजनीतिक लोकतंत्र की उस रचना का विध्वंस कर देंगे जिसका निर्माण इस सभा ने अथक परिश्रम के साथ किया है।

## अल्पसंख्यक और मुस्लिम प्रश्न

संविधान सभा में बार-बार इस बात पर चर्चा हुई कि अल्पसंख्यक कौन हैं? उनकी सुरक्षा के लिये क्या किया जाना चाहिये? भारतीय संविधान की खास बात यह रही है कि इसमें अल्पसंख्यक हितों की न केवल रक्षा की गई, बल्कि उन्हें मूल अधिकार के रूप में वर्गीकृत भी किया गया है। इससे अधिकारों के अतिक्रमण की स्थिति में उच्च एवं सर्वोच्च न्यायालय में जाने की राह खुल जाती है। हालाँकि यह कार्य आसान नहीं था, इसके लिये बीसवीं सदी के पहले पचास वर्षों में डॉ. आंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक कार्य किये। डॉ. आंबेडकर अपनी वैचारिक यात्रा की शुरुआत से ही अल्पसंख्यक

# चुनौतीपूर्ण विश्व व्यवस्था में बदलते शक्ति समीकरण

डॉ. रहीस सिंह

## नेतृत्व परिवर्तन से नई चुनौतियों का जन्म

20 जनवरी, 2021 को जब संयुक्त राज्य अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में 'जो बाइडन' शपथ ले रहे थे, तब संभवत: संक्रमणकालीन विश्व व्यवस्था के बीच झाँकती दुनिया बहुत से प्रश्नों को अपने में समेटे हुए सबकुछ चुपचाप देख रही थी। दरअसल, उसके सामने प्रश्न भी बहुत से थे, जैसे– क्या जो बाइडन के नेतृत्व में अमेरिका अनिश्चितता की विदेश नीति से बाहर आ पाएगा? क्या 'अमेरिका फर्स्ट' की ट्रंप-नीति आगे भी जारी रहेगी या कमज़ोर पड़ जाएगी? क्या विश्व एक-ध्रुवीयता के लिये नए सिरे से टकराव की ओर बढ़ेगा या फिर चुपचाप बहुपक्षीयता को स्वीकार कर लेगा? क्या अमेरिका बहुपक्षीय विश्व व्यवस्था में सहयोग करते हुए अपने नेतृत्व को बचाएगा या फिर से दुनिया को एकध्रुवीय बनाने की कोशिश में रणनीति के नए क्षेत्रों की तलाश और युद्ध के नए तरीकों का चयन करेगा? क्या अमेरिका और यूरोप का गठजोड़, जो विगत कुछ वर्षों में कमज़ोर पड़ा है, वह और अधिक कमज़ोर होगा या फिर इस अंतराल को चीन भरेगा? क्या मध्य-पूर्व में पैदा हुए नए विभाजनों को व्यक्त करने वाली खाइयाँ और ज़्यादा बढ़ेंगी तथा इस मामले में अमेरिका की क्या भूमिका होगी? अंतिम प्रश्न यह कि क्या अमेरिका वैश्विक संस्थाओं के प्रति अपने पिछले रवैये में परिवर्तन लाएगा?

इन सबके अतिरिक्त, एक अन्य महत्त्वपूर्ण पहलू भू-सामरिक व भू-आर्थिक स्थिति से संबंधित है, जहाँ दुनिया फिलहाल चीन की बजाय अमेरिका को ही नेतृत्वकर्ता के रूप में देखना चाहती है। यहाँ एक संशय उत्पन्न होता है, क्या अमेरिका इस मनोविज्ञान के अनुरूप चल पाएगा? साथ ही, कई प्रकार के अंतर्द्वंद्वों से जूझते हुए समाज तथा विभाजित लोकतंत्र के बीच दबा अमेरिका दुनिया को किस नज़रिये से देखने की कोशिश करेगा?

## राह आसान करेंगे नए विकल्प

राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के साथ ही जो बाइडन ने अमेरिकी समाज में व्याप्त श्वेत वर्चस्ववाद और नस्लवाद पर चिंता प्रकट की थी। इसमें कोई संशय नहीं है कि इस समय अमेरिकी समाज पिछड़ा और विभाजित-सा है। अत: इसे एक साझे मंच पर लाकर सामाजिक-सांस्कृतिक हितों के साथ संयुक्त करना अत्यंत जटिल कार्य होगा। ध्यातव्य है कि इस तरह के आंतरिक विभाजन सिर्फ लोकतंत्र को ही प्रभावित नहीं करते, अपितु राष्ट्र के सामर्थ्य पर भी प्रश्न-चिह्न लगा देते हैं। यह स्थिति दर्शाती है कि 'अमेरिका फर्स्ट' का नारा खोखला था, क्योंकि आंतरिक द्वंद्वों से विभाजित समाज और 'अमेरिका फर्स्ट' का नारा एक-दूसरे के पूरक नहीं हो सकते। अत: इस स्थिति से बाहर आने के लिये अमेरिका को समरसता के नए सूत्र तलाशने होंगे, अन्यथा 'कैपिटॉल हिल की घटना' आने वाले समय में अमेरिका के मौलिक चरित्र को बदलने वाली साबित हो सकती है। यह निष्कर्ष कुछ दृष्टिकोणों के आधार पर निकाला जा सकता है, पहला, 'ट्रंपियन डेमोक्रेसी' ने देश के अंदर जिन विभाजनों को जन्म दिया है, राष्ट्रवादी नज़रिये से इसके कुछ बेहतर पक्ष हो सकते हैं लेकिन इसके खतरे कहीं अधिक गंभीर हैं। इन खतरों की गंभीरता इतनी प्रबल है कि यदि समय रहते इनसे निपटा नहीं गया तो अमेरिकी लोकतंत्र पतन की ओर उन्मुख हो जाएगा। इन खतरों में सबसे बड़ा 'पोस्ट ट्रुथ' संबंधी है, जिसने ट्रंपियन थ्योरी के चारों ओर मज़बूत दीवारें खड़ी कर दीं, ताकि वह मज़बूत हो सके। ऐसे में, इन दीवारों का टूटना अत्यावश्यक है, क्योंकि बाइडन की सफलता बहुत हद तक इसी पर निर्भर करेगी।

दूसरा दृष्टिकोण यह है कि वर्तमान समय में वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता की स्थिति विद्यमान है, जिसके चलते निराशावादी वातावरण बना हुआ है। यह बाइडन द्वारा संकल्पित अमेरिका की राह में विचलन पैदा कर सकता है। अत: इस स्थिति में अमेरिका के लिये अपना रवैया बदलना आवश्यक होगा। सनद रहे, नव-बाज़ारवादी व्यवस्था का अगुआ चीन है और वह किसी भी कीमत पर इसकी बागडोर अमेरिका के हाथ में नहीं रहने देना चाहता; वैसे इसकी बागडोर अमेरिका के हाथों में है भी नहीं। ऐसे में, यह प्रश्न उठता है कि अब इस नई व्यवस्था का नेतृत्व कौन करेगा? जाहिर तौर पर इसका निर्धारण भू-आर्थिकी करेगी, जो वर्तमान समय में चीन के इशारों पर चलती हुई दिख रही है। इसलिये, किसी भी निष्कर्ष पर पहुँचने से पहले वैश्विक कूटनीति के नए एवं संभावित समीकरणों को समझने की आवश्यकता है। साथ ही, बाइडन को आर्थिक कुचक्रों से घिरी अमेरिकी अर्थव्यवस्था को अनिश्चितता एवं चुनौतियों के दायरे से भी बाहर लाना होगा ताकि वह 'फ्रेंड्स ऑफ बीजिंग' बनने से बच सके। हालाँकि, बाइडन ने पद-ग्रहण करने के साथ ही उन 15 नीतियों या फैसलों को समाप्त करके विश्व को एक नया संदेश दिया है, जिन्हें पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लागू किया था। तथापि, अभी उन्हें भी बहुत-से कड़े कदम उठाने की ज़रूरत होगी। इनमें सबसे महत्त्वपूर्ण है, अमेरिका-मैक्सिको सीमा पर दीवार खड़ी करने संबंधी फैसले को निरस्त करना; साथ ही, उन समझौतों और प्रोटोकॉल्स में अमेरिका को पुन: शामिल करना, जिनसे वह ट्रंप प्रशासन के दौरान बाहर हो गया था।

## अमेरिका और चीन के बीच बढ़ता टकराव

जो बाइडन को यह मानकर चलना होगा कि यदि चीन वैश्विक पटल पर अपनी मनमानी करने में सफल होता रहेगा तो इसका सीधा संदेश यह जाएगा कि अब अमेरिका का प्रभाव कम हो रहा है। चीन द्वारा हॉन्गकॉन्ग के लोकतंत्रवादियों के खिलाफ कार्रवाई करना, दक्षिण चीन सागर में एकाधिकारवादी गतिविधियाँ संचालित करना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के निर्णय की अवहेलना करना, ऑस्ट्रेलिया के साथ आर्थिक टकराव उत्पन्न करना, कोविड-19 के वैश्विक आपदा में परिवर्तित होने में उसकी संदिग्ध भूमिका और भारतीय सीमा पर तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न करना आदि घटनाक्रमों से साबित होता है कि चीन नियम-विनियम पर आधारित व्यवस्था का सम्मान नहीं करता है। इस दृष्टि से चीन की रणनीतिक सफलता न सिर्फ अमेरिका की वैश्विक नेतृत्वकर्ता की छवि को धूमिल करेगी, अपितु इससे विश्व व्यवस्था का नेतृत्व चीन के हाथों में जाने की संभावना भी जन्म लेगी। अत: अमेरिका को सतर्क रहने के साथ-साथ प्रभावी रणनीति बनाने की भी आवश्यकता है।

दूसरी तरफ, चीन के रवैये को देखकर ऐसा नहीं लगता है कि वह किसी भी तरह से अमेरिकी दबाव महसूस कर रहा है। इसकी बानगी एक हालिया घटनाक्रम पेश करता है। वस्तुत: कुछ दिन पहले चीन के विदेश मंत्री वांग यी तथा चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के विदेश मामलों के प्रमुख यांग जेइची अमेरिकी यात्रा पर थे। अलास्का प्रांत में इन चीनी प्रतिनिधियों की मुलाकात अमेरिकी विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकेन एवं अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलीवेन से हुई। यहाँ हुई बैठक में एंथनी ब्लिंकेन ने चीन द्वारा हाल में उठाए गए कुछ कदमों पर चिंता व्यक्त की; इनमें शिनजियांग, ताइवान एवं हॉन्गकॉन्ग में हुए मानवाधिकारों के उल्लंघन का विशेष उल्लेख था। साथ ही, चीन पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिकी संस्थानों एवं कंपनियों पर चीन लगातार साइबर हमले कर रहा है, अमेरिका चीन के इस रवैये से चिंतित है, क्योंकि ये घटनाएँ नियमबद्ध अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को चोट पहुँचा रही हैं। इसके अतिरिक्त, अपने मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध चीन की आर्थिक ज़्यादतियों की बात को भी उन्होंने चीनी प्रतिनिधियों के समक्ष रखा। हालाँकि, इसमें कुछ भी नया नहीं था क्योंकि ट्रंप सरकार भी पहले ये मुद्दे उठाती रही थी, लेकिन इस बार चीनी पक्ष इस बात से कुछ ज़्यादा ही भड़क गया। जवाब में यांग जेइची ने अमेरिकी नीतियों की खुलकर आलोचना करते हुए कहा कि अमेरिका का अपना इतिहास ही मानवाधिकारों के उल्लंघनों से भरा पड़ा है, विशेष रूप से अश्वेत अमेरिकी नागरिकों को लेकर। अपने वक्तव्य में उन्होंने अमेरिकी सरकार को मानवाधिकारों के मुद्दे पर आत्मावलोकन करने की नसीहत दी और कहा कि अमेरिकी लोकतंत्र में भी बहुत-सी खामियाँ हैं तथा कुछ अमेरिकी नागरिक इससे असंतुष्ट भी हैं। इसके जवाब में जेक सुलीवेन ने कहा कि "अमेरिका और चीन में यही मूल अंतर है कि जहाँ चीनी सरकार देश में मानवाधिकारों के हनन व अल्पसंख्यकों की चिंताओं को स्वीकार तक नहीं कर रही, वहीं अमेरिका में रंगभेद तथा लोकतंत्र की खामियों पर सार्वजनिक रूप से चर्चा हो रही है और यही बात अमेरिका को खास बनाती है।" किसी भी लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत इस बात में है कि वहाँ बेहतरी एवं सुधार की कोशिशें लगातार जारी रहें और इस बारे में खुलकर बहस भी हो सके। उन्होंने चीन की विदेश नीति पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि ऐसी व्यवस्था का विकल्प 'जिसकी लाठी उसकी भैंस' जैसी व्यवस्था होगी, तो वह विश्व व्यवस्था के लिये और भी खतरनाक होगी। अब हमारे सामने यह प्रश्न उठता है कि दोनों देशों के इस घटनाक्रम को किस नज़रिये से देखा जाए? चाहे ट्रंप सरकार की हिंद-प्रशांत नीति हो या क्वाड, अब्राहम अकॉर्ड हो या चीन के साथ आर्थिक संबंध; बाइडन सरकार ने रिपब्लिकन-डेमोक्रेट के फेर में न पड़कर मुद्दों की महत्ता एवं व्यवहार्यता के आधार पर उन्हें जारी रखने का निर्णय लिया। किंतु, चीन ने बाइडन के इस रुख को समझने में या तो चूक की या फिर अपने दंभ का परिचय दिया।

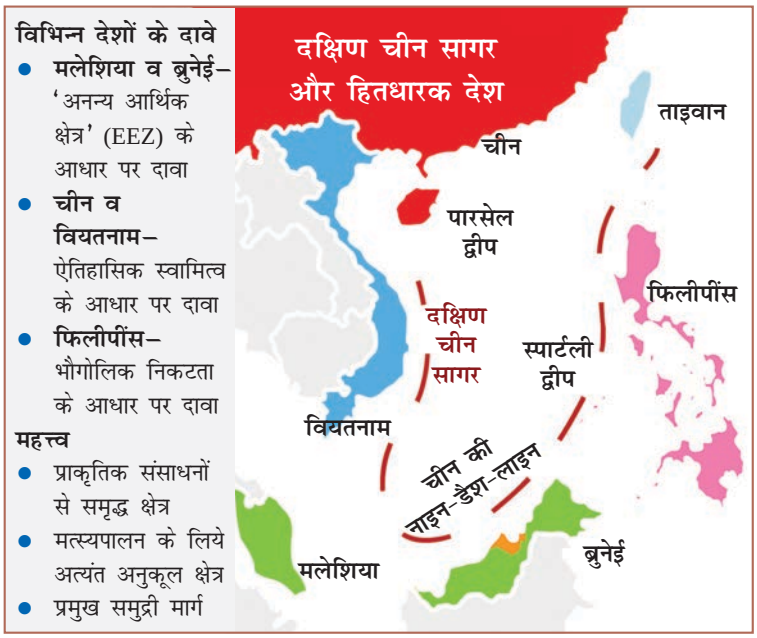


## पेचीदा होता शक्ति संतुलन

पिछले काफी समय से चीन और अमेरिका के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है, जिसकी शुरुआत लगभग तीन वर्ष पहले डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में ही हो गई थी। ट्रंप के समय में ही अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध छिड़ गया था, जो समय के साथ और ज़्यादा तल्ख होता चला गया। परंतु, दोनों देशों के बीच जारी इस संघर्ष को

# पेरिस समझौता : अमेरिका की वापसी से आया 'उम्मीद का दिन'

कबीर संजय

निश्चित तौर पर दुनिया भर के लिये यह ख़बर काफी राहत भरी है कि अमेरिका फिर से पेरिस समझौते में शामिल हो गया है। नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन अपने चुनाव प्रचार के समय ही यह मुद्दा उठाते रहे थे। उन्होंने वायदा किया था कि यदि वह अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं तो अमेरिका को पुन: पेरिस समझौते में वापस ले आएँगे। उल्लेखनीय है कि जून 2017 मे तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को पेरिस जलवायु समझौते से बाहर कर लिया था, जिसकी विश्व भर में काफी आलोचना हुई थी। अत: चुनाव प्रचार के दौरान अपने भाषणों में पेरिस समझौते में पुन: शामिल होने की घोषणा के चलते उन्हें बहुत से पर्यावरणवादियों का समर्थन भी प्राप्त हुआ था।

नवंबर में हुए चुनाव में जीत हासिल करने के बाद जब जनवरी में बाइडन ने सत्ता संभाली, तब भी उन्होने इस संबंध में अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की। परिणामस्वरूप 19 फरवरी को अमेरिका पुन: पेरिस समझौते में शामिल हो गया। जाहिर तौर पर इससे पेरिस समझौते को काफी बल मिला है क्योंकि अमेरिका के बाहर हो जाने से इसकी प्रासंगिकता पर ही सवाल खड़े हो गए थे। यद्यपि अपने स्वरूप में यह समझौता काफी व्यापक है तथा इसके अनुपालन के लिये उठाए जाने वाले कदम भी व्यापक प्रकृति वाले हैं, जिन पर लंबे समय तक कार्य किये जाने की आवश्यकता है।

यद्यपि अमेरिका के पुन: शामिल हो जाने मात्र से इस समझौते की सफलता या असफलता के संबंध में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। ध्यातव्य है कि बराक ओबामा के समय अमेरिका इस समझौते में शामिल हुआ था, किंतु उनके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति बनें डोनाल्ड ट्रंप वैश्विक तापन एवं जलवायु परिवर्तन के संबंध में अपने अलग रुख के लिये जाने जाते रहे हैं। उन्होंने ही पेरिस समझौते से अमेरिका के हटने की घोषणा की थी।

अमेरिका के इस कदम की दुनिया भर में तीखी आलोचना हुई थी क्योंकि वैश्विक कार्बन उत्सर्जन के मामले में चीन के बाद अमेरिका दूसरे स्थान पर है। ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के अनुसार, वर्ष 2017 में कार्बन उत्सर्जन में चीन की हिस्सेदारी लगभग 27 फीसदी तथा अमेरिका की 15 फीसदी रही। जहाँ यूरोपीय संघ वैश्विक कार्बन उत्सर्जन के 10 फीसदी के लिये उत्तरदायी है, वहीं भारत का अंश 7 फीसदी है। इस प्रकार, केवल ये चार देश 59 फीसदी वैश्विक कार्बन उत्सर्जन के लिये ज़िम्मेदार हैं, जबकि विश्व के शेष देश मिलकर कुल 41 फीसदी कार्बन उत्सर्जन करते हैं।

ऐसे में, अकेले 15 फीसदी कार्बन उत्सर्जन के लिये उत्तरदायी संयुक्त राज्य अमेरिका के इस महत्त्वपूर्ण समझौते से बाहर हो जाने की स्थिति में इसकी प्रासंगिकता पर सवालिया निशान लगना स्वाभाविक था। अत: अमेरिका के पुन: शामिल हो जाने से जलवायु परिवर्तन नियंत्रण की दिशा में वैश्विक प्रयासों को खासा बल मिला है।

## आखिर कैसे बढ़ रहा है वैश्विक तापमान?

आग और उपकरण, ये दो आधारभूत घटक हैं जो इंसान को जानवरों से अलग करते हैं। जिस दिन इंसान ने आग को नियंत्रित करना सीखा, उसी दिन से वह जानवरों से अलग एवं श्रेष्ठ बन गया। नियंत्रण का तात्पर्य है, इच्छा एवं आवश्यकता के अनुसार आग को जलाना एवं बुझाना सीखना। यद्यपि आग का उपयोग मनुष्य पहले से ही सीख चुका था, किंतु इच्छा एवं आवश्यकता के अनुसार उसे जलाने एवं बुझाने का हुनर उसने हासिल नहीं किया था। अत: जब मनुष्य ने यह हुनर सीख लिया, तब मानव सभ्यता विकास की राह पर एक कदम आगे बढ़ गई। मनुष्य के इसी हुनर ने संपूर्ण मानव सभ्यता को गढ़ा है। परंतु, जैसा कि सामान्य रूप से प्रचलित है, 'हर वरदान अपने साथ अभिशाप लेकर आता है'; आग के संदर्भ में भी यही हुआ। आग जो मानव सभ्यता के विकास में मील का पत्थर साबित हुई, एक समय के बाद वह मानव एवं पर्यावरण की तबाही का सबब बन गई।

मनुष्य प्रतिदिन अलग-अलग तरीकों से आग जलाता है। कहीं कोयला जलाकर विद्युत उत्पादन करता है, कहीं पेट्रोल जलाकर हवाई जहाज़ एवं सड़क से यात्रा करता है। साथ ही, प्रत्येक दिन आग से ही भोजन भी पकाता है, देखा जाए तो मानव जीवन एवं संपूर्ण मानव सभ्यता आग पर ही निर्भर है। यह हमारे जीवन को सुविधाजनक और संभव बनाती है। आग के बिना आज मानव जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। किंतु, इस घटनाक्रम का दूसरा पक्ष यह है कि हर दिन लाखों-करोड़ों तरीकों से आग जलाने का नतीजा यह निकलता है कि इससे भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस ऊर्जा से पैदा होने वाली गर्मी तथा हानिकारक गैसें पृथ्वी का तापमान बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही, कुछ अन्य तरीकों से उत्पन्न होने वाली ग्रीनहाऊस गैसें भी इस तापमान वृद्धि में योगदान देती हैं। तापमान में यह वृद्धि जिस तरह से हो रही है उससे संपूर्ण मानव सभ्यता एवं पृथ्वी के पर्यावरण के लिये गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। यही भूमंडलीय तापन (Glb l Warmig) है।

परिवहन के साधनों में मुख्य रूप से पेट्रोलियम पदार्थों का उपयोग किया जाता है। विद्युत उत्पादन के लिये कोयला मुख्य स्रोत है। पेट्रोलियम पदार्थ एवं कोयला लाखों वर्षों तक ज़मीन के अंदर भू-जैव रासायनिक अभिक्रिया के परिणामस्वरूप बनने वाले ईंधन के भंडार हैं, जिन्हें 'जीवाश्म ईंधन' (Fo sil fu ls) कहा जाता है। जीवाश्म ईंधन के

उपयोग से अतिशय गर्मी तथा भिन्न-भिन्न प्रकार की गैसें निकलती हैं। पृथ्वी का समस्त कार्य-व्यापार लाखों-करोड़ों वर्षों की प्रक्रिया का प्रतिफल है। सभी पेड़-पौधे एवं पशु-पक्षी मौसम के अनुसार अपने जीवन-क्रम को आगे बढ़ाते हैं। ध्रुवों पर जमी बर्फ पृथ्वी को ठंडा रखने में मदद करती है, किंतु जब विभिन्न कारणों से पृथ्वी लगातार गरम होती जाती है तो यह संपूर्ण चक्र बदलने लगता है। पहले पहल मौसम चक्र में होने वाले इस परिवर्तन को ही 'जलवायु परिवर्तन' (Climate chag ) नाम दिया गया। हालाँकि, कुछ वर्षों में जलवायु परिवर्तन की घटनाएँ ज़्यादा गंभीर रूप में सामने आने लगीं। इनकी गंभीरता को देखते हुए कुछ स्थानों पर इसे 'जलवायु संकट' (Climate Crisis) भी कहा जाने लगा। किंतु, अब इसकी भयावहता इस कदर बढ़ गई है कि इस दिशा में यथाशीघ्र प्रभावी कदम उठाए जाने की आवश्यकता उत्पन्न हो गई है। इसी कारण इसके संदर्भ में 'जलवायु आपातकाल' (Climate Emergency) शब्दावली के इस्तेमाल का प्रचलन बढ़ा है।

जलवायु परिवर्तन आज विश्व के समक्ष एक वास्तविक खतरा है। हाल के कुछ दशकों में दुनिया भर में इस खतरे के प्रति जागरूकता बढ़ी है तथा इस संदर्भ में पर्यावरण कार्यकर्ता से लेकर आम इंसान तक सभी न सिर्फ चिंता व्यक्त कर रहे हैं, बल्कि इस दिशा में प्रभावी उपाय किये जाने की आवश्यकता पर भी ज़ोर दे रहे हैं। इसी का परिणाम है कि पर्यावरण को बचाने के लिये दुनियाभर में लोग आंदोलन कर रहे हैं।

विशेषज्ञों में इस बात पर लगभग आम सहमति है कि औद्योगिक क्रांति यानी वर्ष 1850 से 1900 के बाद से अब तक पृथ्वी के औसत तापमान में लगभग एक डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। तापमान में हुई यह वृद्धि तमाम इंसानी गतिविधियों का प्रतिफल है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगर इसी रफ्तार से तापमान बढ़ता रहा तो वर्ष 2040 तक पृथ्वी के तापमान में डेढ़ डिग्री तक का इज़ाफा हो जाएगा, जबकि इक्कीसवीं सदी के अंत तक पृथ्वी के तापमान में तीन डिग्री तक की वृद्धि होने की पूरी संभावना है। पृथ्वी के तापमान में तीन डिग्री तक की यह बढ़ोतरी महाविनाश की ओर इशारा करती है।

यदि तापमान में इस कदर वृद्धि होती है तो इसके विनाशकारी परिणाम अवश्यंभावी हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में पृथ्वी के ग्लेशियर एवं नदियाँ सूख जाएंगी। ध्रुवों पर जमी बर्फ के पिघलने से समुद्र के जल स्तर में बढ़ोतरी होगी, फलस्वरूप बहुत से शहर जलमग्न हो जाएँगे। साथ ही, महासागरों का तापमान बढ़ने से मनुष्य को भयावह तूफानों का सामना करना पड़ेगा और लाखों की संख्या में जनजीवन को समाप्त कर देने वाली बाढ़ आएगी। तापमान में वृद्धि एवं आर्द्रता में कमी के चलते जंगलों की भयावह आग सब कुछ नष्ट कर देगी पृथ्वी की संपूर्ण जैव-विविधता नष्ट हो जाएगी। मौसम का चक्र पूर्णतः बदल जाने से लू और गर्मी भयावह आपदाएँ साबित होंगी। इन सभी के अतिरिक्त, तापमान में इतने व्यापक बदलाव से पृथ्वी पर खाद्यान्न उत्पादन भी बड़े पैमाने पर प्रभावित होगा। वस्तुतः जलवायु परिवर्तन

## पेरिस जलवायु समझौता : प्रमुख बिंदु

**(196 देशों द्वारा समर्थित ऐतिहासिक समझौता वर्ष 2020 से प्रभावी)**

### तापमान (वर्ष 2100)

- औद्योगिक-पूर्व के तापमान स्तर की तुलना में 2°C की वृद्धि से नीचे रखने का प्रयास करना।
- उपर्युक्त लक्ष्य की प्राप्ति के लिये तापमान वृद्धि को 1.5°C से नीचे रखने के सभी प्रयासों को अपनाना।

### वित्त (2020 – 2025)

- विकसित देश वर्ष 2020 से 100 बिलियन डॉलर की धनराशि उपलब्ध कराएँगे।
- उक्त धनराशि को वर्ष 2025 में 'संशोधित' किया जाएगा।

### दायित्व विभेदन

- विकसित देश ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी करने में अग्रणी भूमिका निभाएँगे।
- विकासशील देशों को अपने प्रयास बढ़ाने तथा 'ओवरटाइम' कटौती के लिये प्रोत्साहित किया जाएगा।

### उत्सर्जन के उद्देश्य (वर्ष 2100)

वर्ष 2050 से तीव्र उत्सर्जन कटौती के माध्यम से मानव गतिविधियों द्वारा उत्सर्जित तथा कार्बन सिंक द्वारा अवशोषित मात्रा के मध्य संतुलन को प्राप्त करना।

### साझा दायित्व

- विकासशील देशों की सहायता के लिये विकसित देश वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराएँगे।
- अन्य देशों को स्वैच्छिक तौर पर सहायता प्रदान करने के लिये आमंत्रित किया जा सकता है।

### समीक्षात्मक तंत्र (वर्ष 2023)

- प्रति पाँच वर्षों के पश्चात् समीक्षा
- प्रथम वैश्विक समीक्षा वर्ष 2023 में
- समीक्षा के उपरांत देशों को उनकी वचनबद्धता 'बढ़ाने' और 'संशोधित' करने के संबंध में सूचित किया जाएगा

### जलवायु क्षति

जलवायु परिवर्तन से हो रही क्षति को संबोधित करने, टालने तथा न्यून करने के लिये सुभेद्य देशों को चिह्नित किया जाएगा।

संस्कृति IAS

The Complete Administrative Culture

## अखिल मूर्ति के निर्देशन में

# ऑनलाइन वीडियो कोर्स एवं पेनड्राइव कोर्स

## वैकल्पिक विषय

# भूगोल

## द्वारा – कुमार गौरव

### इस कोर्स में एडमिशन लेने पर आपको प्राप्त होंगे

1. भूगोल विषय के सभी खंडों की वीडियो कक्षाएँ जो संस्कृति IAS के एप एवं पेनड्राइव कोर्स में उपलब्ध हैं।
2. सिविल सेवा परीक्षा में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के विश्लेषण सहित वीडियो कक्षाएँ
3. परिचय पुस्तिका
4. भूगोल विषय के प्रश्नपत्र 1 तथा 2 के सभी खंडों की सम्पूर्ण पाठ्य सामग्री–
   - (i) **पेपर 1 ( भूगोल के सिद्धांत ):** भौतिक भूगोल– भू-आकृतिक विज्ञान; जलवायु विज्ञान; समुद्र विज्ञान; जैव भूगोल; पर्यावरण भूगोल। मानव भूगोल– मानव भूगोल का स्वरूप/परिप्रेक्ष्य; आर्थिक भूगोल; जनसंख्या एवं बस्ती भूगोल; प्रादेशिक नियोजन; मानव भूगोल से संबंधित मॉडल एवं सिद्धांत।
   - (ii) **पेपर 2 ( भारत का भूगोल ):** भारत का भौतिक भूगोल; संसाधन भूगोल; कृषि; उद्योग; परिवहन, संचार एवं व्यापार; सांस्कृतिक भूगोल; प्रादेशिक नियोजन और विकास; राजनीतिक भूगोल; समसामयिक मुद्दे– पारिस्थितिकी, बाढ़, सूखा, महामारी, वनोन्मूलन, आपदाएँ, सतत् विकास आदि।
5. भूगोल विषय में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह
6. द्वितीय प्रश्नपत्र से संबंधित मानचित्र पाठ्य सामग्री

*नोट : उपर्युक्त पाठ्य सामग्री कूरियर द्वारा आपके पते पर भेजी जाएगी।*


सम्पर्क करें: 7428085757/58
या
मिस्ड-कॉल करें: 9555-124-124

631, भू-तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

Website: www.sanskritiIAS.com
Follows us on: YouTube

# करेंट अफेयर्स खंड

## प्रश्नपत्र –1


इतिहास, कला एवं संस्कृति 26
- बार्गी 26
- पोंपेई में रथ की खोज 26
- बामियान के बुद्ध 27

सामाजिक मुद्दे 29
- समलैंगिक विवाह की वैधानिक स्थिति 29
- मासिक धर्म से जुड़ी वर्जनाएँ और मिथक 31
- स्वच्छ भारत मिशन में महिलाओं की भूमिका 32
- प्रवासी श्रमिकों के लिये बेहतर नीतियों की आवश्यकता 34
- कल्याणकारी योजनाओं के लिये चुनौती बनता आधार 35


## प्रश्नपत्र –2


राजव्यवस्था एवं शासन 37
- मानवाधिकारों की व्यापकता और भारत 37
- राज्य निर्वाचन आयुक्त एवं उच्चतम न्यायालय का निर्देश 38
- क्यों आवश्यक है वाहनों की स्क्रैपिंग 39
- क्यों आवश्यक है डिजिटल मीडिया का विनियमन 41
- क्यों उपेक्षित है नगरपालिका बजट 42
- कितनी आवश्यक है नौकरशाही में लेटरल एंट्री से नियुक्ति 44
- अधिवास आधारित आरक्षण : कानूनी और आर्थिक पहलू 45
- 50% की आरक्षण सीमा सुसंगत है या नहीं 47
- इनर लाइन परमिट को वापस लेने की माँग 48

अंतर्राष्ट्रीय संबंध 49
- सैन्य टकराव रोकने की कवायद 49
- वैक्सीन राष्ट्रवाद बनाम वैश्विक सहयोग 50
- पश्चिम एशिया में अमेरिका की कूटनीतिक अस्पष्टता 51
- भारत-अमेरिका : मज़बूत आर्थिक संबंध 53
- रक्षा निर्यात से मज़बूत होगी सामरिक स्थिति 54
- हिंद-प्रशांत क्षेत्र की ओर उन्मुख ब्रिटेन 56
- क्वाड शिखर सम्मेलन और भारत के हित 57
- ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था और संभावित दिशा 58
- एशिया में बढ़ता सैन्य व्यय 59
- कैसा हो भारत-पाकिस्तान के मध्य संघर्ष-विराम का स्वरूप 61
- यूरेशियाई आर्थिक संघ और यूरेशिया का स्वरूप 62
- मैत्री सेतु 64

सामाजिक न्याय एवं कल्याण 65
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की अंब्रेला योजनाएँ 65
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार की आवश्यकता 65
- प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि 67


## प्रश्नपत्र –3


आर्थिक घटनाक्रम 68
- मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण का पुनर्मूल्यांकन 68
- खाद्य सुरक्षा के लिये आवश्यक मोटे अनाज 69
- कृषि विनियामक प्रणाली की आवश्यकता 70
- बजट 2021-22 : उपलब्धियाँ और विसंगतियाँ 71
- बैंकों का निजीकरण : कितना व्यावहारिक 73
- विकास वित्तीय संस्थान 76
- बॉण्ड यील्ड में वृद्धि : आर्थिक संवृद्धि के लिये चुनौती 78

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 79
- साइबर हमले से उत्पन्न चुनौतियाँ 79
- प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट, 2021 81
- आत्मनिर्भर पहल तथा अंतरिक्ष का निजीकरण 82
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता का भविष्य 82

आंतरिक सुरक्षा 85
- स्मार्ट वॉल 85

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी 86
- बिटकॉइन और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन 86
- स्वास्थ्य बनाम राजकोष 87
- क्या सिमलीपाल दावानल सामान्य घटना है 88
- कैसे रोकें ईंधन-वाष्प उत्सर्जन 90
- कार्बन वॉच 91
- केन-बेतवा लिंक परियोजना 92

आपदा प्रबंधन 93
- उत्तराखंड आपदा : हिमनदीय प्रस्फुटन 93


## प्रश्नपत्र –4


नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा एवं अभिरुचि 96
- संज्ञानात्मक दुविधा और साइबर सुरक्षा : नैतिकता का प्रश्न 96


## विविध


- आइंस्टीनियम 98
- एंटीफ्रीज़र 98
- मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल्स पार्क योजना 99
- भारत की पहली अंडर सी रोड टनल 99
- इंडिया अर्बन डाटा एक्सचेंज 99
- डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट 100
- महाबाहु-ब्रह्मपुत्र परियोजना 100
- लेदरबैक सी टर्टल 100
- वन नेशन, वन स्टैंडर्ड 101
- मंदारिन बतख 101
- संदेश ऐप 102
- सिटी इनोवेशन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म 102
- डायटम परीक्षण 102
- झारखंड में समर अभियान 103
- टीकाकरण के पश्चात् रक्त में एक दुर्लभ थक्का 103
- विद्यालयों एवं आँगनबाड़ी केंद्रों में जलापूर्ति 104

# 1 इतिहास, कला एवं संस्कृति

## बार्गी (Bargis)

### संदर्भ

- पश्चिम बंगाल में विधान सभा के चुनावी समर में 'इनसाइडर-आउटसाइडर' राजनीतिक बहस का विषय बन गया है। हाल ही में, यहाँ के राजनेताओं ने बाहरी प्रचारकों को 'बार्गी' कहकर संबोधित किया।

- बंगाल के इतिहास में 'बार्गी' शब्द का महत्त्वपूर्ण स्थान है। वर्ष 4 3 के बीच पश्चिम बंगाल में कई मराठा आक्रमणों का संदर्भ मिलता है, जिसके परिणामस्वरूप तत्कालीन मुगल क्षेत्र में लूटपाट और नरसंहार की कई घटनाएँ सामने आई थीं।
- इस विशिष्ट अवधि की घटनाओं ने बंगाल की चेतना को अत्यधिक प्रभावित किया था। बंगाली लोक कथाओं और साहित्य में इनकी पर्याप्त उपस्थिति देखी जा सकती है।

### बार्गी कौन थे

- मराठा और मुगल सेनाओं में घुड़सवार सैनिकों को बारगी या बार्गी (Bargi) कहा जाता था।
- यह शब्द फारसी के 'बरगीर/बारगीर' (Bargir) से आया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है 'बोझ उठाने वाला'। इतिहासकार सुरेंद्र नाथ सेन ने वर्ष 9 की अपनी किताब 'द मिलिट्री सिस्टम ऑफ द मराठाज़' में सर्वप्रथम इसका उल्लेख किया था।
- मराठा घुड़सवार सेना में कोई भी सक्षम व्यक्ति जिसके पास घोड़ा एवं सैन्य-सामग्री खरीदने की क्षमता न हो वह 'बारगीर' तथा जिसके पास घोड़ा एवं सैन्य-सामग्री खरीदने की क्षमता हो वह 'सिलेदार' (Silhed rs) के रूप में भर्ती हो सकता था।
- बारगीर और सिलेदार, सरेनौबत ('सर-ए-नौबत' या कमांडर-इन-चीफ) के नियंत्रण में होते थे। बारगीर की तुलना में सिलेदार की उन्नति की संभावनाएँ ज़्यादा होती थीं।

### ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

- वर्ष 4 से 5 के बीच बंगाल के मुगल प्रांत (जिसमें बिहार, बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्र शामिल थे) में मराठा घुड़सवारों का प्रवेश हुआ, जो तत्कालीन मुगल भारत में गहन राजनीतिक अनिश्चितता का दौर था। इसका लाभ उठाकर मराठा सरदारों ने इसके दूरदराज के क्षेत्रों में अपने राजस्व अधिकारों को सुरक्षित करने के क्रम में कई छापामार हमले किये।
- अंत में 1751 में 12 लाख रुपए के वार्षिक नज़राने के बदले मराठों एवं अलीवर्दी खान के बीच हुए समझौते से इन हमलों पर विराम लगा। लगभग दस वर्षों तक हुए इन छापामार हमलों तथा लूटपाट ने बंगाल की अर्थव्यवस्था को लंबे समय तक प्रभावित किया। परिणामत: आज भी बार्गी शब्द का उपयोग परेशान करने वाली बाहरी ताकतों के संदर्भ में किया जाता है।

## पोंपेई में रथ की खोज

### संदर्भ

हाल ही में, इटली के पोंपेई शहर से उत्खनन के दौरान एक विशाल अनुष्ठानिक रथ प्राप्त हुआ। चार पहियों वाले इस रथ में लोहे के पुर्जे, काँस्य व टिन की सजावट तथा लकड़ी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। साथ ही, इस रथ पर कार्बनिक पदार्थों के निशान भी पाए गए हैं।

### प्रमुख बिंदु

- ऐसा अनुमान है कि रोमन कुलीन वर्ग द्वारा विभिन्न समारोहों के दौरान रथ को वाहन के रूप में प्रयोग किया जाता था।

*खुदाई के दौरान प्राप्त अनुष्ठानिक रथ के अवशेष*

# 2 सामाजिक मुद्दे

## समलैंगिक विवाह की वैधानिक स्थिति

### संदर्भ

- कुछ समय पूर्व एल.जी.बी.टी. समुदाय के व्यक्तियों ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर विशेष विवाह अधिनियम, 1954 और हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की माँग की थी।
- याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि 'हिंदू विवाह अधिनियम' की धारा 5 समलैंगिक व विपरीत लिंगी जोड़ों के मध्य भेदभाव नहीं करती है। ऐसे में, समलैंगिक जोड़ों को उनके अधिकार मिलने चाहिये।
- उक्त संदर्भ में, केंद्र सरकार ने समलैंगिक विवाह के लिये विद्यमान वैवाहिक कानूनों में किसी भी परिवर्तन से इनकार करते हुए कहा है कि इस तरह के हस्तक्षेप से देश में पर्सनल लॉ (Perso n l Law) का संतुलन बिगड़ सकता है।
- गौरतलब है कि 'भारतीय दंड संहिता' (IPC) की धारा 377 को गैर-आपराधिक घोषित किये जाने के बाद भी भारत में समलैंगिक विवाह को मौलिक अधिकार के रूप मान्यता प्राप्त नहीं है।

### केंद्र का दृष्टिकोण

- केंद्र सरकार का तर्क है कि 'लिव-इन' तथा समलैंगिक संबंधों की तुलना भारतीय परिवारों की सांस्कृतिक अवधारणा से नहीं की जा सकती है।
- 'परिवार' की भारतीय अवधारणा में पति-पत्नी और बच्चे शामिल होते हैं, जिसमें पति के रूप में एक पुरुष (Bio g cal Ma ) और पत्नी के रूप में एक स्त्री (Bio g cal Wo an ) की ही परिकल्पना की गई है।
- सरकार का कहना है कि वर्ष 2018 में 'सहमति आधारित समलैंगिक यौन संबंधों' को गैर-आपराधिक घोषित करने वाला उच्चतम न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय, वस्तुत: ऐसे आचरण को मान्यता प्रदान नहीं करता है।
- वर्तमान में, समलैंगिक विवाह का पंजीकरण विभिन्न संहिताबद्ध विधियों के परिप्रेक्ष्य में भी असंगत है, जैसे– 'विवाह की शर्तें' तथा 'परंपरागत आनुष्ठानिक आवश्यकताएँ' आदि।

### आई.पी.सी. की धारा 377

- धारा 377 के अंतर्गत समलैंगिक यौन संबंध को 'अप्राकृतिक आपराधिक कृत्य' मानते हुए, इसके लिये दस वर्ष की सज़ा का प्रावधान किया गया था।
- ध्यातव्य है कि नाज़ फाउंडेशन ने दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर एक याचिका के माध्यम से पूछा था, "क्या धारा 377 संविधान द्वारा प्रदत्त समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करती? यदि हाँ, तो क्यों न इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया जाए और समलैंगिक व्यक्तियों के मध्य आपसी सहमति से बने संबंधों को विधिक मान्यता दी जाए।"
- सितंबर 2018 में, उक्त याचिका की सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया, जिसमें धारा 377 को गैर-आपराधिक घोषित करते हुए व्यक्तिगत स्तर पर वयस्कों के मध्य समलैंगिक संबंधों को मान्यता प्रदान की गई।
- अपने निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने कहा, "सहमति आधारित यौन संबंध अपराध नहीं हैं, क्योंकि लैंगिक उन्मुखता (Sexu l Orien ati ) स्वाभाविक है, इस पर व्यक्ति का कोई नियंत्रण नहीं होता है।"
- साथ ही, न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि नाबालिगों के साथ यौन संबंध तथा बिना सहमति के यौन संबंध, धारा 377 के तहत अभी भी आपराधिक कृत्य हैं।

### क्या कहते हैं विवाह संबंधी कानून

#### *विशेष विवाह अधिनियम, 1954*

- भारतीय संस्कृति में 'विवाह' को एक पवित्र एवं धार्मिक संस्था माना जाता है। विवाह संबंधी मामलों के विनियमन के लिये संसद ने वर्ष 1954 में विशेष विवाह अधिनियम पारित किया था।
- यह अधिनियम मुख्यत: अंतर-जातीय एवं अंतर-धार्मिक विवाह से संबंधित है। इसके अंतर्गत विवाह करने वाले दोनों पक्षों में से किसी को भी अपना धर्म त्यागने की आवश्यकता नहीं होती है। साथ ही, यह अधिनियम हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध आदि सभी धर्मों पर समान रूप से लागू होता है। इसके दायरे में भारत के सभी राज्य एवं संघ राज्यक्षेत्र आते हैं।
- इस अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत विवाह के पश्चात् प्रथम वर्ष के दौरान तलाक के लिये अर्जी देने पर प्रतिबंध आरोपित किया गया है।

#### *हिंदू विवाह अधिनियम, 1955*

हिंदू धर्म में विवाह से संबंधित विधियों को संशोधित व संहिताबद्ध

- नीतिगत प्रयासों के बिना मज़दूरों के प्रवास और पलायन को नहीं रोका जा सकता, किंतु रिपोर्ट में इस तरह के सुधारों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया गया है।
- यद्यपि इस रिपोर्ट में शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रवासियों की उपेक्षा को रेखांकित किया गया है, लेकिन विकास कार्यों के कार्यान्वयन में होने वाली रणनीतिक उपेक्षा के मूल कारणों को चिह्नित करने में रिपोर्ट विफल रही है।

### *सामाजिक सुरक्षा की उपेक्षा*

- सामाजिक सुरक्षा को सार्वभौमिक मानवाधिकार के रूप में स्वीकार किया गया है। साथ ही, भारत के संविधान में इसे उचित स्थान भी दिया गया है। परंतु, ग्रामीण श्रम आयोग की उक्त रिपोर्ट को पढ़कर ऐसा प्रतीत होता है कि प्रवासियों और अनौपचारिक श्रमिकों से संबंधित सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों की उपेक्षा की गई है।
- 'असंगठित क्षेत्र के उद्यमों के लिये राष्ट्रीय आयोग' (NCEUS) ने वर्ष 2006 में स्पष्ट किया था कि देश में आर्थिक व प्रशासनिक रूप से सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा का न्यूनतम स्तर प्रदान करना संभव है।
- साथ ही, आयोग ने सार्वभौमिक पंजीकरण प्रणाली और 'स्मार्ट सामाजिक सुरक्षा कार्ड' जारी करने की भी सिफारिश की थी, किंतु दुर्भाग्य से इसकी सिफारिशें अभी भी ठंडे बस्ते में हैं।

### निष्कर्ष

- वस्तुतः यह मसौदा नीति अवसंरचनागत समस्याओं की पहचान तो करती है, किंतु समस्याओं की जड़ में निहित नीतिगत विकृतियों को दूर करने में विफल प्रतीत होती है।
- अगर इस नीतिगत मसौदे से जुड़े सभी संभावित सुधारों को क्रियान्वित किया जाता है तो भविष्य में प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों को सुरक्षित किया जा सकता है।

**प्रवासन**

जब जनसंख्या किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसती है तो इस प्रक्रिया को 'प्रवासन' कहते हैं।

## कल्याणकारी योजनाओं के लिये चुनौती बनता आधार

### संदर्भ

हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने आधार कार्ड से लिंक न होने के कारण 3 करोड़ राशन कार्ड रद्द किये जाने संबंधी मामले को 'अत्यधिक गंभीर' बताया है। साथ ही, न्यायालय ने इस मामले में केंद्र व राज्य सरकारों से जवाब भी माँगा है।

### क्या है मामला

- झारखंड की कोइली देवी ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करके यह आरोप लगाया कि आधार डाटाबेस से लिंक न होने के कारण आदिवासियों एवं गरीबों के लगभग 3 करोड़ राशन कार्ड बिना किसी पूर्व-सूचना के रद्द कर दिये गए हैं।
- इस कारण कुछ राज्यों में लोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्राप्त होने वाले खाद्यान्न से वंचित हो गए और उन्हें भुखमरी का सामना करना पड़ा। विदित है कि याचिकाकर्ता ने अपनी 11 वर्षीय बेटी की वर्ष 2018 में हुई मृत्यु का कारण भुखमरी को बताया था, जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से जवाब माँगा था।

### आधार डाटाबेस लिंक में विफलता संबंधी मुद्दे

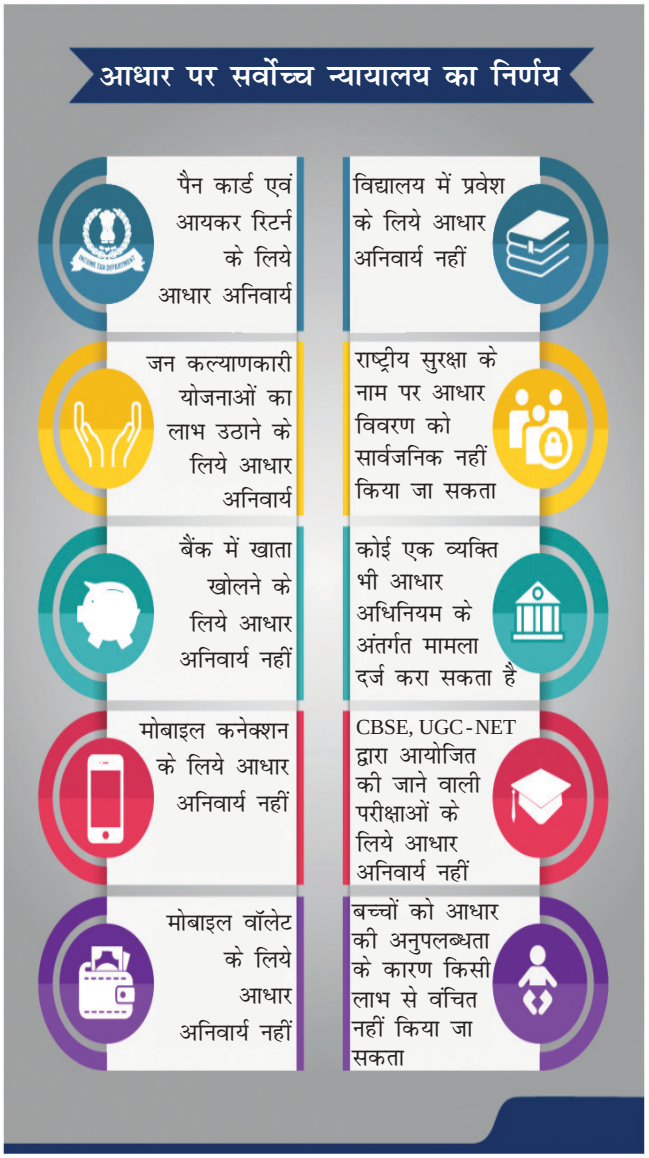

# 3 राजव्यवस्था एवं शासन

## मानवाधिकारों की व्यापकता और भारत

### संदर्भ

सरकार द्वारा पारित कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों के प्रदर्शन को हिंसक होने से रोकने के लिये सरकार ने मार्गों की नाकेबंदी के साथ-साथ प्रदर्शन स्थलों पर अस्थायी रूप से इंटरनेट को बंद कर दिया था। इसे 'विरोध के लोकतांत्रिक अधिकार' का हनन मानते हुए किसानों को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी प्राप्त हुआ। हालाँकि, सरकार ने इसे देश का 'आंतरिक मामला' मानते हुए वैश्विक समर्थन का विरोध किया है।

### मानवाधिकार : एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा

- कृषि कानूनों को लेकर किसानों के विरोध प्रदर्शन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में लाने वाली एक पर्यावरण कार्यकर्ता की गिरफ्तारी ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिह्न लगा दिया है। प्रशासन पर ऐसे आरोप लग रहे हैं कि वह मानवाधिकारों से संबंधित मुद्दों को उठाने वाले व्यक्तियों या संगठनों को अपराधी घोषित कर रहा है।
- प्रदर्शनकर्ताओं ने प्रशासन पर आरोप लगाया है कि सरकार से अलग दृष्टिकोण रखने वाले सोशल मीडिया एकाउंट्स को ब्लॉक किया जा रहा है।
- उल्लेखनीय है कि विभिन्न देशों द्वारा आंतरिक मामला बताकर किये जाने वाले बलात् व गैर-कानूनी कृत्यों को न्यायसंगत ठहराने का प्रयास मानवाधिकारों के प्रति राज्य के संकीर्ण दृष्टिकोण को दर्शाता है।

### मानवाधिकार से संबंधित विचारों का विकास और भारत

- दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद आधारित शासन का विरोध करने के लिये भारत ने विश्व को एक-साथ लाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
- भारत 1950 के दशक से ही मानवाधिकारों को संरक्षित करने के लिये किसी अंतर्राष्ट्रीय तंत्र को स्थापित करवाने के लिये प्रयासरत रहा है। इसी क्रम में, संयुक्त राष्ट्र ने 'रंगभेद के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र की विशेष समिति' का गठन किया।
- बीसवीं सदी में हस्ताक्षरित मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा ने ऐसी शर्तें निर्धारित कीं, जिनसे किसी भी स्थान पर रहने वाले व्यक्तियों के मूलभूत अधिकारों और स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया जा सके।
- भारत प्रथम मानवाधिकार आयोग का सदस्य था, जिसने 'अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय विधेयक' का मसौदा तैयार किया था। जनवरी 1947 से 10 दिसंबर, 1948 तक मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का मसौदा तैयार किया गया। इस प्रकार, मानवाधिकार भारत का एक अंतर्निहित भाव है, न कि औपनिवेशिक शासन से प्राप्त विचार।

### मानवाधिकारों में अंतर्संबंध

- भारत के संविधान निर्माताओं ने समाज की संरचना में बुनियादी परिवर्तन लाने और निरंकुशता को सभी रूपों में समाप्त करने की पूरी कोशिश की।
- संविधान की उद्देशिका में उल्लिखित 'स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व' जैसे मानवीय मूल्य फ्राँसीसी क्रांति से प्रेरित हैं। भारतीयों को अपनी पूरी क्षमता का विकास करने के लिये ये तीनों ही मूल्य आवश्यक थे।
- डॉ. आंबेडकर के अनुसार, समानता के बिना स्वतंत्रता से कुछ विशेष लोगों के वर्चस्व में वृद्धि होगी। स्वतंत्रता के बिना समानता व्यक्तिगत प्रेरणा को समाप्त कर देगी और बंधुता के बिना स्वतंत्रता कई लोगों के वर्चस्व को स्थापित करेगी।

### भारत के हालिया प्रयास

- भारत में लोकतांत्रिक अधिकारों को सीमित किये जाने संबंधी बाह्य आलोचनाओं के जवाब में सरकार ने देश की संप्रभुता को संदर्भित किया है।
- यदि अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के संदर्भ में बात की जाए तो भारत ने श्रीलंका में तमिल समुदाय के अधिकारों को संरक्षित करने के लिये और अधिक प्रयास करने पर ज़ोर दिया है। साथ ही, हालिया नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 में तीन पड़ोसी देशों के नागरिकों को भारतीय नागरिकता देने का आधार भी मानवाधिकार को बनाया गया है।
- सार्वभौमिक मानवाधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों के संबंध में भारत का अब तक का सबसे बड़ा प्रयास बांग्लादेश की मुक्ति है, जहाँ भारत ने इन सिद्धांतों को लागू करने का नेतृत्व किया। इसके अतिरिक्त, चीनी उत्पीड़न से पीड़ित दलाई लामा की मेज़बानी भी मानवाधिकारों के लिये भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

- ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिये उपकरण तथा खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन व उनके निस्तारण की पर्याप्त सुविधाओं के लिये तंत्र के विकास में बाधा।

**पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (Registered Vehicle Scrapping Facility- RVSF) केंद्र : मुख्य विशेषताएँ**

- आर.वी.एस.एफ. को 'वाहन' डाटाबेस तक पहुँच प्रदान की जाएगी। साथ ही, इसे वाहन की स्क्रैपिंग से संबंधित पंजीकरण करने और स्क्रैपिंग प्रमाण-पत्र जारी करने का भी अधिकार होगा।
- वाहनों की स्क्रैपिंग से पूर्व उनके चोरी होने या किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल होने की जाँच व सत्यापन के लिये राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एवं पुलिस डाटाबेस तक भी इसकी पहुँच होगी।
- आर.वी.एस.एफ. का पंजीकरण आरंभ में 10 वर्ष के लिये मान्य होगा और बाद में 10 वर्ष के लिये इसका नवीनीकरण कराना होगा।
- आर.वी.एस.एफ. को स्वास्थ्य व सुरक्षा नियमों, पर्यावरण मानदंडों और अन्य मंत्रालयों एवं संस्थाओं द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करना होगा।
- इन केंद्रों में टेस्ट-लेन, आई.टी. सर्वर, पार्किंग और वाहनों के मुफ्त आवागमन के लिये पर्याप्त स्थान की आवश्यकता होगी। हितों के टकराव से बचने के लिये फिटनेस केंद्रों के संचालक केवल परीक्षण सुविधाएँ ही प्रदान कर सकेंगे, मरम्मत व उपकरणों की बिक्री का कार्य नहीं कर सकेंगे।

## क्यों आवश्यक है डिजिटल मीडिया का विनियमन

### संदर्भ

केंद्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2 की धारा 6 2 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 'सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती संस्थानों के लिये दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2 ' जारी किया है।

### पृष्ठभूमि

- इन नियमों को 'सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती संस्थानों के लिये दिशा-निर्देश) नियम 2 11' के स्थान पर लाया गया है।
- इन नियमों का भाग-II 'इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय' द्वारा संचालित किया जाएगा, जबकि डिजिटल मीडिया के संबंध में आचार संहिता, प्रक्रिया एवं सुरक्षा उपायों से संबंधित भाग-III को 'सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय' द्वारा संचालित किया जाएगा।

### मुख्य विशेषताएँ

#### *सोशल मीडिया से संबंधित दिशा-निर्देश*

- सोशल मीडिया मध्यवर्ती इकाइयों द्वारा नए दिशा-निर्देशों में इंगित जाँच के नियमों का अनुपालन न किये जाने की स्थिति में 'सेफ हार्बर' का प्रावधान उन पर लागू नहीं होगा।
- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 9 मध्यवर्ती इकाइयों को एक 'सेफ हार्बर' प्रदान करती है। यदि वे सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करती हैं, तो उपयोगकर्ता-जनित सामग्री की ज़िम्मेदारी से उन्हें छूट प्राप्त होती है।
- उपयोगकर्ताओं को सशक्त बनाने हेतु सोशल मीडिया मध्यवर्ती इकाइयों सहित मध्यस्थों (जैसे कि प्रकाशक) के लिये एक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना अनिवार्य कर दिया गया है। शिकायत प्राप्त होते ही 2 घंटों के भीतर इसे स्वीकार करना होगा और इसके 5 दिनों के अंदर इसका समाधान करना होगा।
- किसी व्यक्ति की निजी बातों को उजागर करने, उसे पूर्ण या आंशिक रूप से निर्वस्त्र व यौन क्रिया में दिखाने वाले कंटेंट की शिकायत मिलने के 2 घंटों के भीतर मध्यस्थों को इसे हटाना होगा अथवा उस तक पहुँच निष्क्रिय करनी होगी।
- साथ ही, उपयोगकर्ता को मध्यस्थों द्वारा की गई कार्रवाई का विरोध करने के लिये पर्याप्त और उचित अवसर भी दिया जाना चाहिये।
- **सोशल मीडिया मध्यस्थों की दो श्रेणियाँ–** सोशल मीडिया मध्यस्थों को दो श्रेणियों– 'सोशल मीडिया मध्यस्थों' और 'प्रमुख सोशल मीडिया मध्यस्थों' के बीच बाँटा गया है। यह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपयोगकर्ताओं की संख्या के आधार पर किया गया है।
- नियमों के तहत प्रमुख सोशल मीडिया मध्यस्थों को कुछ अतिरिक्त जाँच-पड़ताल करनी होगी। इसके लिये एक मुख्य अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी। साथ ही, कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ 24 7 समन्वय स्थापित करने हेतु एक नोडल संपर्क अधिकारी के साथ एक रेज़ीडेंट शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी। ये सभी भारत के निवासी होने चाहिये।
- शिकायतों और कार्रवाइयों से संबंधित विवरण के लिये एक मासिक अनुपालन रिपोर्ट प्रकाशित करनी होगी। उपयोगकर्ताओं को अपने खातों के सत्यापन के लिये एक उचित तंत्र उपलब्ध कराया जाएगा।
- मध्यस्थों द्वारा ऐसी कोई जानकारी प्रकाशित नहीं की जाएगी जो भारत की संप्रभुता व अखंडता, सार्वजनिक आदेश, दूसरे देशों के साथ मित्रवत् संबंध आदि की दृष्टि से किसी कानून के तहत निषिद्ध हो।

**संदर्भ**

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संयुक्त सचिव और निदेशक पदों के लिये अनुबंध आधारित पार्श्विक प्रवेश की विज्ञप्ति

**क्षैतिज प्रवेश**

- मंत्रालयों में विशेषज्ञों की नियुक्ति
- द्वितीय प्रशासनिक आयोग द्वारा सिफारिश
- नीति आयोग के त्रि-वर्षीय एक्शन एजेंडा में सिफारिश

**लाभ**

- विशेषज्ञता व दक्षता को प्रोत्साहन
- नवीन विचार तथा प्रतिस्पर्द्धी परिवेश
- नियुक्ति संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति
- अनुभव एवं प्रतिभा को उचित मंच प्रदान करना

**चुनौतियाँ/चिंताएँ**

- पारदर्शिता की कमी तथा चयन प्रक्रिया में राजनीतिक हस्तक्षेप
- आरक्षण संबंधी प्रावधानों की उपेक्षा
- निष्पादन संबंधी आकलन की जटिलताएँ
- राजनीतिक निष्ठा के आधार पर चयन होने पर गलत परंपरा की शुरुआत

## क्यों नहीं मिल रहा है आरक्षण का लाभ

- कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के मई 2018 के एक नियम के अनुसार, 45 दिनों या उससे अधिक समयावधि वाली केंद्र सरकार की अस्थायी या संविदा आधारित नियुक्तियों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के साथ-साथ अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- हालाँकि, इन पदों के अनारक्षित रहने का मुख्य कारण वर्तमान में लागू '13-सूत्री रोस्टर' की व्यवस्था है। इसके अनुसार, तीन पदों तक की नियुक्तियों में आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होता है। चूँकि इसके अंतर्गत भरा जाने वाला प्रत्येक पद एकल (प्रत्येक विभाग के लिये एक) संवर्ग है, इसलिये एकल पद संवर्ग (Single Post Cadre) के मामले में आरक्षण का नियम लागू नहीं होता है।

### स्मरणीय तथ्य

**भारत में सिविल सेवाओं का विकास-क्रम**

- ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक मामलों को संचालित करने के लिये सिविल सेवा की शुरुआत।
- कंपनी के वाणिज्यिक मामलों व सैन्य कर्मियों के मध्य अंतर करने के लिये 'सिविल' सेवा शब्द का प्रयोग।
- लॉर्ड कार्नवालिस (1786-93) द्वारा भारत में सिविल सेवा की शुरुआत।
- सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिये लॉर्ड वैलेजली द्वारा 'फोर्ट विलियम कॉलेज' की स्थापना।
- चार्टर एक्ट, 1853 द्वारा प्रतियोगी परीक्षा द्वारा नियुक्ति का सुझाव।
- 1854 में सिविल सेवा आयोग, लंदन की स्थापना (न्यूनतम आयु 18 वर्ष, अधिकतम आयु 23 वर्ष)।
- 1864 में सत्येंद्रनाथ टैगोर सिविल सेवा उत्तीर्ण करने वाले प्रथम भारतीय (3 वर्ष उपरांत चार अन्य भारतीयों को सफलता)।
- 1878 में लॉर्ड लिटन द्वारा वैधानिक सिविल सेवा का प्रस्ताव।
- लोक सेवाओं पर एचिसन समिति, (1886)।
- मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों द्वारा सिविल सेवा की प्रवेश परीक्षा भारत में भी आयोजित कराने संबंधी प्रस्ताव (इलाहाबाद में प्रथम आयोजन-1922)।
- भारत सरकार अधिनियम, 1919 की धारा 96(C) के अंतर्गत भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रस्ताव (ली आयोग, 1924 द्वारा भी प्रस्तावित)।
- भारत सरकार अधिनियम, 1935 द्वारा केंद्रीय स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग तथा प्रांतों में प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रस्ताव।
- भारतीय संविधान के 14वें भाग में अनुच्छेद 308 से 323 तक संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं से संबंधित उपबंध।
- 26 जनवरी, 1950 को भारतीय संविधान लागू होने के साथ स्वतंत्र भारत में लोक सेवाओं का सूत्रपात।

# अधिवास आधारित आरक्षण : कानूनी और आर्थिक पहलू

## संदर्भ

फरवरी 2021 में हरियाणा ने 'हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवार रोज़गार अधिनियम, 2020' अधिसूचित किया था। इससे आर्थिक रिकवरी सहित कई अन्य चिंताएँ उत्पन्न हो गई हैं। साथ ही, इसने निजी क्षेत्र में रोज़गार में आरक्षण नीति को अपनाने संबंधी बहस को भी पुनर्जीवित कर दिया है।

### संवैधानिक प्रावधान

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(1) के अनुसार, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। अनुच्छेद 15(4) और 15(5) में सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये विशेष उपबंध की व्यवस्था की गई है।
- संविधान के अनुच्छेद 16 में सरकारी नौकरियों और सेवाओं में समान अवसर प्रदान करने की बात की गई है। किंतु अनुच्छेद 16(2) तथा अनुच्छेद 16(4) द्वारा राज्य को विशेष अधिकार दिया गया है कि वह पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण दे सकता है।

## इनर लाइन परमिट को वापस लेने की माँग

### संदर्भ

उत्तराखंड सरकार ने केंद्र से चमोली ज़िले की 'नीती घाटी' तथा उत्तरकाशी ज़िले की 'नेलांग घाटी' से 'इनर लाइन परमिट' (ILP) प्रणाली को वापस लेने की माँग की है।

### उद्देश्य

- उक्त माँग का उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में बेहतर प्रबंधन करने के साथ-साथ इन क्षेत्रों में पर्यटन सहित अन्य आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है।
- इसके अतिरिक्त, स्थानीय लोग गाँवों को पुनः बसाने के लिये भी इस प्रणाली को वापस लेने की माँग कर रहे हैं, जो प्रवास (Mig ati) में कमी लाने में सहायक होगा।
- गौरतलब है कि उत्तराखंड के तीन ज़िलों– उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ व चमोली में 'बाहरी व्यक्तियों' को प्रवेश या भ्रमण करने के लिये आई.एल.पी. की आवश्यकता होती है।

### इनर लाइन परमिट

- 'इनर लाइन परमिट' की व्यवस्था 'बंगाल पूर्वी सीमांत विनियमन, 1873' (Beg l Eastern Frontier Regulation, 1873) के अंतर्गत भारत में औपनिवेशिक शासकों ने लागू की थी।
- इसके द्वारा जनजातीय बहुल क्षेत्रों को अन्य क्षेत्रों से अलग किया गया है। इन क्षेत्रों में प्रवेश करने और ठहरने के लिये अन्य क्षेत्रों के निवासियों को एक विशेष परमिट की आवश्यकता होती है। इसी को 'इनर लाइन परमिट' प्रणाली कहा जाता है।
- साथ ही, यहाँ भूमि, रोज़गार आदि के संबंध में स्थानीय लोगों को संरक्षण और अन्य सुविधाएँ भी प्रदान की जाती हैं।

### उत्तराखंड और चीन सीमा

- उत्तराखंड, चीन के साथ लगभग 350 किमी. तथा नेपाल के साथ लगभग 275 किमी. की सीमा साझा करता है। राज्य के कुल 13 में से 5 ज़िले सीमावर्ती हैं। इन क्षेत्रों में अधिकांशतः मोबाइल कनेक्टिविटी का भी अभाव है।
- पिथौरागढ़ ज़िला सामरिक दृष्टि से अधिक संवेदनशील है, क्योंकि यह चीन के साथ-साथ नेपाल के साथ भी सीमा साझा करता है।

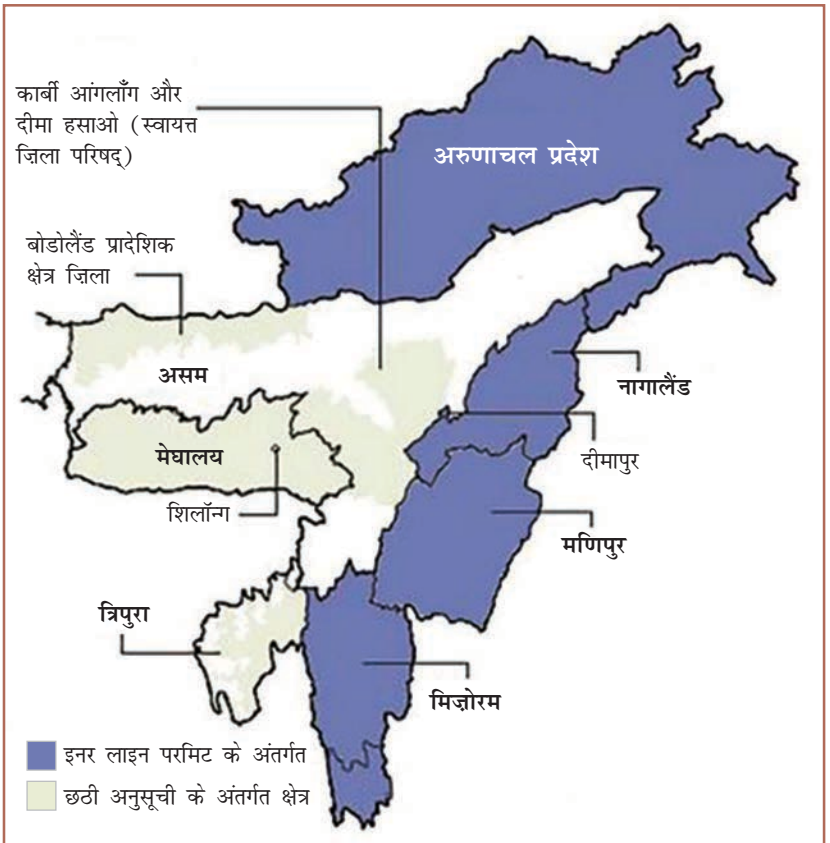


**'इनर लाइन परमिट' के अधीन क्षेत्र–**

**अरुणाचल प्रदेश:** पूरा राज्य आई.एल.पी. के अधीन

**नागालैंड:** पूरा राज्य आई.एल.पी. के अधीन

**मणिपुर:** पूरा राज्य आई.एल.पी. के अधीन

**मिज़ोरम:** पूरा राज्य आई.एल.पी. के अधीन

**मेघालय:** शिलॉन्ग को छोड़कर अन्य क्षेत्र छठी अनुसूची के अधीन

**असम:** छठी अनुसूची के अंतर्गत तीन स्वायत्त ज़िला परिषद्

**त्रिपुरा:** राज्य का 70% भौगोलिक क्षेत्र छठी अनुसूची के अधीन

# 4 अंतर्राष्ट्रीय संबंध

## सैन्य टकराव रोकने की कवायद

### संदर्भ

भारत और चीन की सेनाएँ पैंगोंग झील से पीछे हटने के लिये एक समझौते पर सहमत हो गई हैं, जिसे सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति कायम करने की दिशा में एक आशाजनक शुरुआत माना जा रहा है। ध्यातव्य है कि पिछले वर्ष चीनी सैनिकों ने भारत को 'फिंगर 8' तक पहुँचने से रोक दिया था, जिसकी वजह से सीमा पर तनाव उत्पन्न हो गया था।

### समझौते के मुख्य बिंदु

- रक्षा मंत्रालय के अनुसार, दोनों पक्ष चरणबद्ध और समन्वित ढंग से झील के उत्तरी और दक्षिणी तटों पर सैन्यबलों की तैनाती समाप्त करेंगे। दोनों पक्षों ने झील के उत्तर और दक्षिण के विवादित क्षेत्रों में गश्त पर भी अस्थायी रोक लगाने पर सहमति व्यक्त की है।
- समझौते के मुताबिक, चीनी सैनिक 'फिंगर 8' के पूर्व में स्थित सिरिजाप में अपने बेस पर लौट जाएँगे, जबकि भारतीय सैनिक 'फिंगर 3' पर धन सिंह थापा पोस्ट में अपने स्थायी बेस पर वापस आ जाएँगे।
- उल्लेखनीय है कि भारत पहले 'फिंगर 8' तक पैदल गश्त करता था। साथ ही, भारत की ओर से 'फिंगर 4' के पूर्वी क्षेत्रों तक कोई सड़क मार्ग उपलब्ध नहीं है, जबकि चीन की 'फिंगर 4' पर सशक्त उपस्थिति है, जहाँ पहले से ही सड़क का निर्माण हो चुका है और लॉजिस्टिक्स की पहुँच भी बेहतर है।
- इस प्रकार, वर्तमान समझौते से फिंगर 4 से 8 तक एक बफर ज़ोन बन जाएगा और अप्रैल 0 के बाद निर्मित सभी अस्थायी संरचनाओं को हटा लिया जाएगा।
- इस तरह दोनों पक्ष झील के दक्षिण में अपने-अपने बेस पर वापस लौट जाएँगे। साथ ही, भारत भी कैलाश श्रेणी को खाली कर देगा। गौरतलब है कि इस पर्वत श्रेणी पर अधिकार होने से चीन के साथ वार्ता में भारत को लाभ मिला है।

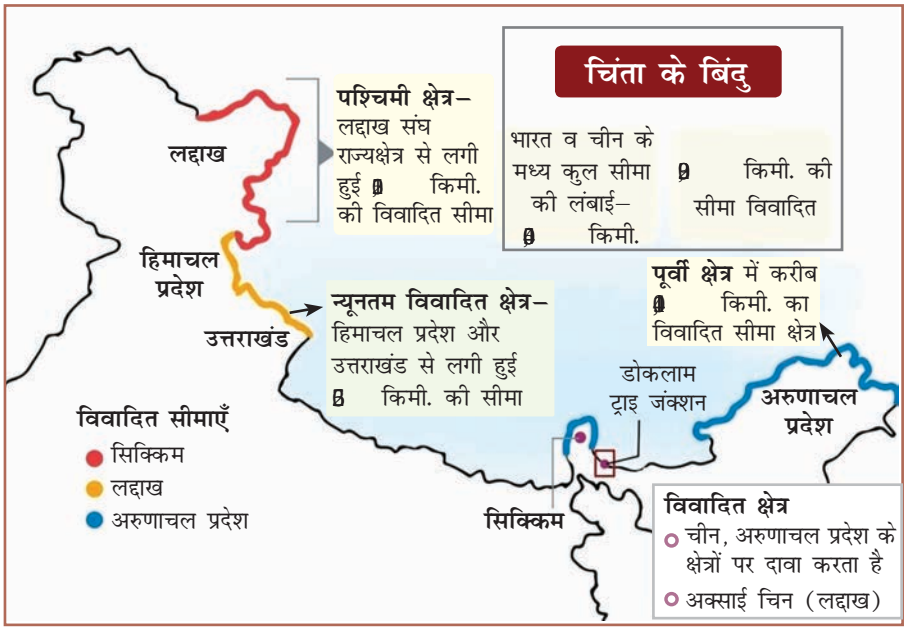


### चीन के आक्रामक व्यवहार के कारण

- **क्षेत्रीय विवादों में वृद्धि–** 'पीपुल्स लिबरेशन आर्मी' भारतीय क्षेत्रों में घुसने के लिये रणनीति के तहत सीमा पर कई बिंदुओं को सक्रिय कर रही है। वस्तुत: चीन की आक्रामकता भारत के साथ उत्तर एवं उत्तर-पूर्व में हिमालय पर्वत शृंखला तक ही सीमित नहीं है, एशिया में अपने अधिकांश पड़ोसियों के साथ उसने क्षेत्रीय विवादों में इसी प्रकार की रणनीति अपनाई है।
- **शक्ति संतुलन–** चीन ने अपने पड़ोसियों के साथ विवादों का समाधान शांतिपूर्ण समझौतों द्वारा करने का वादा तो किया, किंतु उसने इन विवादों में 'एकतरफा बदलाव' भी किये, क्योंकि उसे लगता है कि पड़ोसियों के साथ शक्ति संतुलन उसके पक्ष में है।
- **आर्थिक असंतुलन–** चीन और उसके पड़ोसी देशों के बीच बढ़ता आर्थिक शक्ति का अंतराल एक गंभीर शक्ति असंतुलन को दर्शाता है। आर्थिक शक्ति के बीच बढ़ती खाई को देखा जाए, तो असंतुलन कहीं अधिक गंभीर है। चीन का जी.डी.पी. भारत की तुलना में पाँच गुना अधिक है।

### अन्य कारण

- वर्ष 0 0 और 0 में उत्तरी सीमाओं पर हुए सैन्य विवादों के विपरीत पिछले वर्ष अप्रैल में शुरू हुआ सैन्य टकराव अधिक समय तक चला।
- सैन्य और आर्थिक असंतुलन के साथ-साथ चीन की महत्त्वाकांक्षी राजनीति ने भी भारत

## आगे की राह

अमेरिका की सफलता काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि वह इस क्षेत्र की तीन प्रमुख शक्तियों के बीच संतुलन कैसे कायम करता है? साथ ही, यदि इस क्षेत्र में वह अपनी नीति को संतुलित विस्तार देना चाहता है, तो उसे अपनी शक्ति, कूटनीति व अनुभव का उचित प्रयोग करना पड़ेगा।

# भारत-अमेरिका : मज़बूत आर्थिक संबंध

## संदर्भ

संयुक्त राज्य अमेरिका में नए राष्ट्रपति जो बाइडन के प्रशासन संभालने के बाद विशेषज्ञों द्वारा यह संभावना व्यक्त की जा रही है कि भारत-अमेरिका के आर्थिक संबंध पहले से अधिक प्रगाढ़ होंगे। दोनों देश आर्थिक क्षेत्र में जी.डी.पी., रोज़गार और उत्पादन जैसे विभिन्न पहलुओं पर परस्पर सहयोग से लाभ अर्जित कर सकते हैं।

## भारत-अमेरिका आर्थिक संबंध : प्रमुख बिंदु

- 1990 के दशक में भारत की आर्थिक नीति में आए परिवर्तन से भारत-अमेरिका आर्थिक संबंधों में व्यापक सुधार आया।
- पिछले दो दशकों से वस्तु एवं सेवा व्यापार में अमेरिका भारत का महत्त्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार है। वर्ष 2018 में दोनों देशों के मध्य रिकॉर्ड 142.6 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ था।
- वर्ष 2019-20 में भारत ने अमेरिका से कुल 35.7 बिलियन डॉलर का आयात किया, जबकि अमेरिका को 53 बिलियन डॉलर का निर्यात किया गया।
- वर्ष 2014-2019 के बीच दोनों देशों के द्विपक्षीय व्यापार में वार्षिक चक्रवृद्धि बढ़ोतरी दर (CAGR) 7.7% रही। यदि दोनों देशों के द्विपक्षीय व्यापार में 11.9% सी.ए.जी.आर. की वृद्धि होती है, तो वर्ष 2036 तक दोनों के मध्य 500 बिलियन डॉलर के व्यापार लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।
- सामान्यत: भारत अमेरिका के साथ व्यापार अधिशेष की स्थिति में रहता है। वर्ष 2001-02 में जहाँ भारत का व्यापार अधिशेष 5.2 बिलियन डॉलर था, वर्ष 2019-20 में यह बढ़कर 17.3 बिलियन डॉलर हो गया है।
- इसके अतिरिक्त, अमेरिका भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का पाँचवां सबसे बड़ा स्रोत है।

## सहयोग के प्रमुख क्षेत्र

भारत और अमेरिका दोनों के ही आर्थिक हित प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं। साथ ही, दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएँ भी एक-दूसरे की पूरक हैं, जैसे- यदि अमेरिका आर्थिक रूप से समृद्ध है, तो भारत मानव संसाधन एवं बौद्धिक संपदा से परिपूर्ण है, अमेरिका के पास उन्नत प्रौद्योगिकीय क्षमता है, तो भारत विनिर्माण की क्षमता से संपन्न है। अत: दोनों देश विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के माध्यम से अपने-अपने आर्थिक हितों को पूरा कर सकते हैं।

### *कोविड-19 महामारी की रोकथाम तथा निवारण के क्षेत्र में सहयोग*

- वैश्विक महामारी की रोकथाम, निदान तथा उपचार में दोनों देश एक-दूसरे का सहयोग कर सकते हैं। हालाँकि, भारत-अमेरिका पहले से ही वैश्विक स्तर पर कोविड वैक्सीन के निर्माण एवं वितरण में सहयोग कर रहे हैं।
- वर्तमान में, भारत विश्व में वैक्सीन वितरण का प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है। इससे 'यू.एस.-इंडिया हेल्थ डायलॉग' को पुनर्जीवित करने और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर परस्पर सहयोग में भी वृद्धि होगी। अत: अब आवश्यकता है कि अमेरिका भारत की बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित नीतियों पर विश्वास व्यक्त करे।

### *व्यापारिक क्षेत्र में सहयोग*

- व्यापारिक संबंधों को अधिक विस्तार देने के लिये भारत-अमेरिका द्वारा आसान विकल्पों की खोज की जानी चाहिये, मुक्त व्यापार समझौता इस दिशा में महत्त्वपूर्ण विकल्प सिद्ध हो सकता है।
- बाज़ार पहुँच जैसे मुद्दे पर विचार करने के लिये 'यू.एस.-इंडिया ट्रेड पॉलिसी फोरम' की बैठकों को पुन: संचालित और ट्रेक-2 समूह की वार्ता का आयोजन किया जाना चाहिये।

**अमेरिका के साथ भारत का व्यापार अधिशेष (बिलियन डॉलर)**

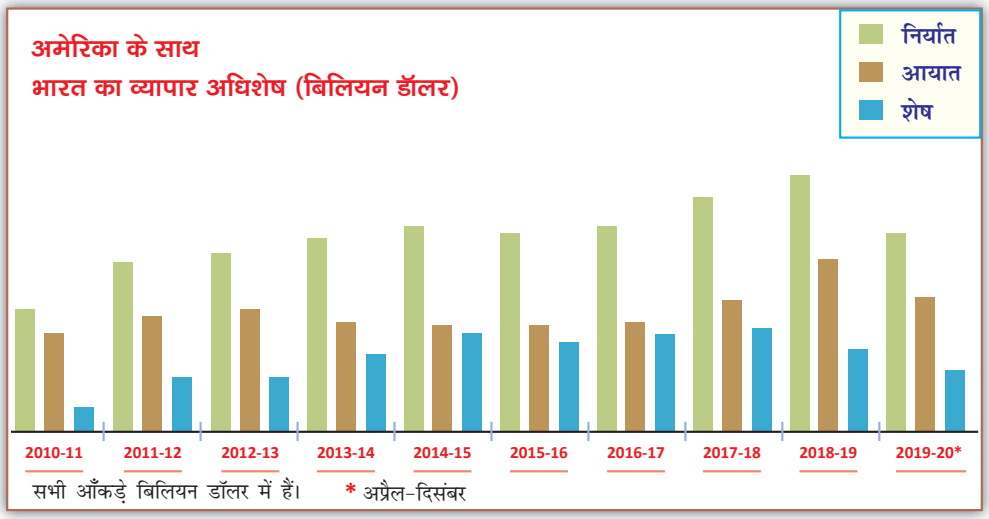


सभी आँकड़े बिलियन डॉलर में हैं। * अप्रैल-दिसंबर

- यह स्थिति देशों के मध्य बढ़ती रक्षा प्रतिस्पर्द्धा को दर्शाती है। साथ ही, निकट भविष्य में इस प्रवृत्ति में बदलाव की आशा भी नहीं है क्योंकि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा परिदृश्य के अभी सामान्य होने की संभावना कम ही है।
- गौरतलब है कि वर्ष 2020 में चीन के रक्षा व्यय में हुई वृद्धि अन्य सभी एशियाई देशों के संयुक्त रक्षा बजट में हुई वृद्धि से अधिक है।

**2019 में भारत तीसरा सर्वाधिक सैन्य व्ययकर्ता**

| देश | व्यय (बिलियन डॉलर) |
|---|---|
| संयुक्त राज्य अमेरिका | 732.0 |
| चीन | 261.0 |
| भारत | 91.1 |
| रूस | 87.3 |
| सऊदी अरब | 61.9 |
| फ्राँस | 50.1 |
| जर्मनी | 49.3 |
| ब्रिटेन | 48.7 |
| जापान | 47.6 |
| दक्षिण कोरिया | 43.9 |

## एशिया-प्रशांत क्षेत्र में सैन्य व्यय में वृद्धि : एक विश्लेषण

- जापान ने वर्ष 2021 के लिये अभी तक के रिकॉर्ड रक्षा व्यय को मंजूरी दी है। जापान का रक्षा बजट पिछले नौ वर्षों से लगातार बढ़ रहा है, जिसका प्रमुख कारण समुद्री क्षेत्र में चीन का आक्रामक व्यवहार और उत्तर कोरिया से संभावित परमाणु व मिसाइल खतरा है।
- इसके अतिरिक्त, जापान ने गैर-पारंपरिक सैन्य क्षेत्रों, जैसे– बाह्य अंतरिक्ष, साइबर और 'इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वारफेयर' के लिये वित्त की व्यवस्था भी चीन, विशेष रूप से 'पी.एल.ए. सामरिक सहायता बल' की स्थापना को ध्यान में रखकर की है।
- भारतीय रक्षा बजट में भी वित्त वर्ष 2021-22 के लिये 1.4% की मामूली वृद्धि हुई है। इसके बावजूद, पूँजीगत व्यय के लिये लगभग 18.8% का आवंटन अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है, जो महामारी के बावजूद रक्षा क्षेत्र के लिये सरकार की प्राथमिकताओं को इंगित करता है।
- हिंद-प्रशांत क्षेत्र के एक अन्य महत्त्वपूर्ण देश ऑस्ट्रेलिया के रक्षा व्यय में भी वृद्धि हुई है, इसका रक्षा बजट जी.डी.पी. के लगभग 2.19% के आस-पास रहने का अनुमान है। ध्यातव्य है कि ऑस्ट्रेलिया भी चीन से व्यापारिक और आर्थिक मोर्चे पर चुनौतियों का सामना कर रहा है।
- इसके अतिरिक्त, चीन का सैन्य आधुनिकीकरण अमेरिका के 'खरीद, अनुसंधान व विकास प्रयासों' में वृद्धि के लिये एक उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है।
- दक्षिण चीन सागर, पूर्वी चीन सागर और हिंद महासागर में चीन की सक्रियता तथा बंगाल की खाड़ी व अरब सागर में इसकी बढ़ती उपस्थिति ने सभी प्रमुख समुद्री शक्तियों के साथ-साथ छोटे दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों को अपनी सैन्य क्षमताओं में वृद्धि के लिये प्रेरित किया है।
- चीन के उदय, दक्षिण चीन सागर में संप्रभुता व क्षेत्रीय अखंडता संबंधी महत्त्वपूर्ण भू-राजनीतिक चुनौतियों के मद्देनज़र वियतनाम, सिंगापुर, फिलीपींस, इंडोनेशिया तथा दक्षिण कोरिया जैसे छोटे देशों ने भी अपने रक्षा व्यय में वृद्धि की है।

**वैश्विक रक्षा व्यय 2020**

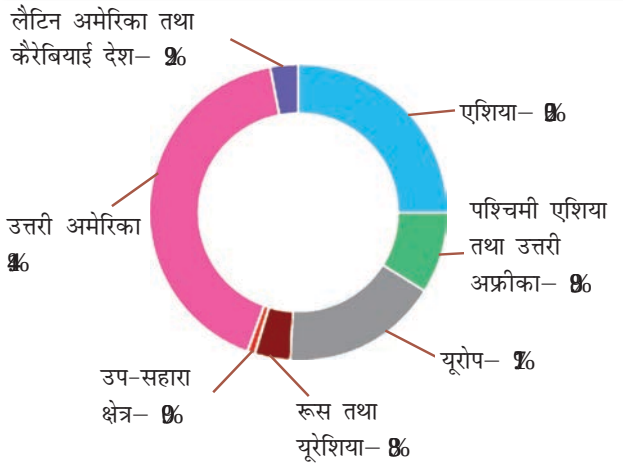


## भावी अनुमान

- वैश्विक सैन्य व्यय में हुई कुल वृद्धि में लगभग दो-तिहाई योगदान अमेरिका और चीन का है। हालाँकि, सामरिक विशेषज्ञों ने अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के कारण वैश्विक रक्षा व्यय में कमी की संभावना व्यक्त की है।
- साथ ही, वैश्विक महामारी के प्रतिकूल आर्थिक प्रभाव एशिया-प्रशांत क्षेत्र पर भी देखे जा सकते हैं, किंतु इस क्षेत्र का रक्षा व्यय जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया के समक्ष भावी सुरक्षा अनिवार्यताओं और चिंताओं को भी वास्तविक तौर पर प्रदर्शित करता है।

# 5 सामाजिक न्याय एवं कल्याण

## महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की अंब्रेला योजनाएँ

### संदर्भ

महिला और बाल विकास मंत्रालय ने अपनी सभी प्रमुख योजनाओं और कार्यक्रमों को तीन अंब्रेला योजनाओं के अंतर्गत वर्गीकृत किया है।

### प्रमुख बिंदु

- ये तीन अंब्रेला योजनाएँ क्रमशः 'मिशन पोषण 2.0', 'मिशन वात्सल्य' और 'मिशन शक्ति' हैं। इस वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है।
- भोजन में पोषक तत्त्वों की मात्रा बढ़ाने तथा वितरण व पहुँच को आसान बनाने के लिये सरकार ने बजट में 'पूरक पोषण कार्यक्रम' तथा 'पोषण अभियान' का विलय कर दिया तथा 'मिशन पोषण 2.0' शुरू किया है। यह मिशन 112 'आकांक्षी ज़िलों' में पोषण संबंधी बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिये आरंभ किया गया है।

### अन्य तथ्य

- वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत की कुल जनसंख्या में महिलाओं एवं बच्चों की जनसंख्या लगभग 67.7 प्रतिशत है। ध्यातव्य है कि सामाजिक-आर्थिक एवं पर्यावरणीय विकास में महिलाओं की प्रमुख भूमिका होती है।

तीनों अंब्रेला योजनाएँ और उनमें शामिल विभिन्न योजनाएँ व कार्यक्रम इस प्रकार हैं–

| अंब्रेला योजनाएँ | शामिल की गई योजनाएँ |
|---|---|
| सक्षम आँगनबाड़ी एवं मिशन पोषण 2.0 | एकीकृत बाल विकास सेवाएँ (ICDSs) - आँगनबाड़ी सेवाएँ, पोषण अभियान, किशोरियों के लिये योजनाएँ, राष्ट्रीय शिशुगृह (Creche) योजना |
| मिशन वात्सल्य | बाल संरक्षण सेवाएँ और बाल कल्याण योजनाएँ |
| मिशन शक्ति | **संबल** (वन स्टॉप सेंटर, महिला पुलिस स्वयंसेवक, महिला हेल्पलाइन/स्वाधार/उज्ज्वला/विधवा आश्रयस्थल इत्यादि)<br>**सामर्थ्य** (बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ; क्रेच; प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना; जेंडर बजटिंग एवं शोध) |

- इनमें से 'मिशन शक्ति' का उद्देश्य महिलाओं का संरक्षण और सशक्तीकरण सुनिश्चित करना, 'मिशन वात्सल्य' का उद्देश्य बाल संरक्षण व कल्याण सुनिश्चित करना, जबकि 'सक्षम आँगनबाड़ी व मिशन पोषण 2.0' का उद्देश्य महिलाओं व बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करना है।

## सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार की आवश्यकता

### संदर्भ

बजट 2021-22 और आर्थिक सर्वेक्षण में बढ़ती हुई खाद्य सब्सिडी के संबंध में चिंता व्यक्त करते हुए इसके समुचित प्रबंधन पर ज़ोर दिया गया है। कुछ समय पूर्व नीति आयोग ने भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (National Food Security Act — NFSA), 2013 में कुछ संशोधन प्रस्तावित किये हैं।

### खाद्य सब्सिडी की स्थिति

- विभिन्न योजनाओं के तहत राज्यों द्वारा केंद्रीय पूल से बढ़ती खाद्यान्नों की माँग तथा खाद्य सब्सिडी में भी निरंतर वृद्धि हो रही है।
- वित्त वर्ष 2016-17 से 2019-20 के दौरान, भारतीय खाद्य निगम (FCI) द्वारा खाद्य सब्सिडी के लिये 'राष्ट्रीय लघु बचत कोष' (National Small Savings Fund - NSSF) से लिये गए ऋण को मिलाकर कुल खाद्य सब्सिडी ₹1.65 लाख करोड़ से ₹2.2 लाख करोड़ के बीच थी।
- एफ.सी.आई. न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से खाद्यान्न की खरीद करती है। लाभार्थियों को यही खाद्यान्न सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Public Distribution System - PDS) के माध्यम से रियायती मूल्य पर उपलब्ध कराया जाता है। सरकार बजट में खाद्य सब्सिडी के माध्यम से अनाजों के क्रय एवं विक्रय मूल्यों के बीच अंतर का भुगतान करती है।

### उच्च सब्सिडी का कारण

- विगत तीन वर्षों में राज्यों द्वारा केंद्रीय पूल से वार्षिक आधार पर लिये गए खाद्यान्न की मात्रा 60 मिलियन टन से बढ़कर लगभग 66 मिलियन टन हो गई है। वस्तुतः राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत देश की लगभग दो-तिहाई आबादी को शामिल करने के कारण राज्यों की खाद्यान्न माँग में स्वाभाविक वृद्धि हुई है।
- वित्त वर्ष 2020-21 के लिये सब्सिडी का संशोधित अनुमान लगभग ₹4.23 लाख करोड़ है, जिसमें ₹84,636 करोड़ के

अतिरिक्त बजटीय आवंटन को शामिल नहीं किया गया है। सरकार ने अतिरिक्त बजटीय संसाधनों के प्रचलन को समाप्त करने का निर्णय लिया है। इसी क्रम में एफ.सी.आई. द्वारा एन.एस.एस.एफ. से लिये गए ऋण की शेष राशि (Arrear) को खाद्य सब्सिडी में शामिल करने का निर्णय लिया गया है।

- जुलाई 2019 में प्रस्तुत अंतरिम बजट में अतिरिक्त बजटीय संसाधनों की चर्चा के समय सरकारी एजेंसियों की उन उधारियों को चिह्नित किया गया था, जिनका भुगतान सरकार को करना पड़ता है। वित्त वर्ष 2021-22 में बजटीय प्रावधान के द्वारा खाद्य सब्सिडी के रूप में भारतीय खाद्य निगम को दिये जाने वाले एन.एस.एस.एफ. ऋण को समाप्त करने का प्रस्ताव किया गया है।

## केंद्रीय निर्गम मूल्य से संबंधित मुद्दे

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अंतर्गत लाभार्थियों को रियायती दर पर खाद्यान्न प्राप्त करने का कानूनी अधिकार है। इन रियायती दरों को 'केंद्रीय निर्गम मूल्य' (Central Issue Prices - CIP) कहते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण में सी.आई.पी. में वृद्धि का संकेत किया गया है, किंतु विभिन्न राज्यों में खाद्यान्नों के खुदरा निर्गम मूल्यों में विद्यमान अंतर ने इस मुद्दे को जटिल बना दिया है।
- राज्य सरकारों द्वारा निर्गम मूल्यों में वृद्धि के बिना केंद्र सरकार द्वारा सी.आई.पी. में वृद्धि करने से राज्यों के आर्थिक बोझ में वृद्धि होगी।
- केंद्र और राज्यों द्वारा सी.आई.पी. में वृद्धि न करने के पीछे राजनीतिक कारण भी हैं, क्योंकि रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने की घोषणाएँ मतदाताओं को आकर्षित करती हैं। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1967 में विधानसभा चुनावों के दौरान तमिलनाडु में ₹1 प्रति 4.5 किग्रा. और आंध्र प्रदेश में वर्ष 1983 में ₹2 प्रति किग्रा. की दर से चावल देने की घोषणा की गई थी।
- 50 वर्ष पश्चात् सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में परिवर्तन आने और गरीबी में कमी होने के बावजूद खाद्यान्नों की न्यूनतम कीमतों के औचित्य पर विचार करने की आवश्यकता है।

## रियायती मूल्यों की वैधता अवधि और संशोधन का तरीका

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत रियायती मूल्यों को अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि से तीन वर्षों की अवधि के लिये निश्चित किया गया था, किंतु राज्यों द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम को अलग-अलग तिथियों से लागू किया गया है। ऐसे में अधिनियम लागू किये जाने की तिथियों में एकरूपता के अभाव व अन्य राजनीतिक कारणों से सरकार ने अभी तक रियायती मूल्यों में संशोधन नहीं किया है।
- रियायती कीमतों में संशोधन करने के लिये सरकार को एक अधिसूचना के माध्यम से अधिनियम की अनुसूची-I में परिवर्तन करना होगा।

## सुधार की आवश्यकता

- इस संदर्भ में, केंद्र सरकार को मूल्य निर्धारण प्रणाली सहित समग्र खाद्य सब्सिडी प्रणाली पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। वर्ष 2015 में भी एक आधिकारिक समिति ने एन.एफ.एस.ए. के अंतर्गत कवरेज को 67% से घटाकर 40% करने का सुझाव दिया था।

### खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013

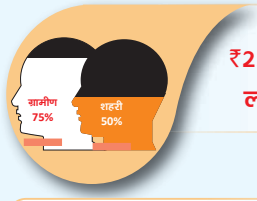


₹2.43 लाख करोड़; जी.डी.पी. का लगभग 2% (बजट 2021-22)

- **पाँच किलो:** प्रत्येक लाभार्थी को 3, 2, 1 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से क्रमशः चावल, गेहूँ तथा मोटे अनाज की प्राप्ति

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत शामिल कार्यक्रम–

- मध्याह्न भोजन
- एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली
- मातृत्व लाभ

| सकारात्मक पक्ष | सीमाएँ |
|---|---|
| • 81 करोड़ नागरिकों के लिये खाद्य एवं पोषण सुरक्षा<br>• परिवार की सबसे बड़ी महिला परिवार की मुखिया<br>• अंत्योदय कार्डधारकों को प्रत्येक माह 35 किलो खाद्यान्न | • उच्च राजकोषीय घाटा<br>• लीकेज एवं प्रौद्योगिकीय समस्याएँ<br>• वर्ष 2019 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 102वाँ स्थान |

**अन्य वैश्विक उदाहरण :** दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील, नेपाल आदि देशों में खाद्य सुरक्षा का अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त।

- साथ ही, एल.पी.जी. सब्सिडी की तरह इस सब्सिडी का भी 'स्वेच्छा से त्याग' (Give -Up) करने का विकल्प दिया जा सकता है। यद्यपि राज्यों को 'प्राथमिकता वाले परिवारों' को चिह्नित करने की अनुमति है, किंतु केंद्र सरकार ऐसे लाभार्थियों की संख्या कम करने के लिये उन्हें सब्सिडी छोड़ने का विकल्प दे सकती है।
- इसके अतिरिक्त, स्थाई दर (Flat Rates) की वर्तमान व्यवस्था

# 6 आर्थिक घटनाक्रम

## मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण का पुनर्मूल्यांकन

### संदर्भ

केंद्र सरकार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के मध्य 'मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण' के संबंध में हुए मूल समझौते की अवधि 31 मार्च को समाप्त हो रही है। अत: सार्वजनिक क्षेत्र में मौद्रिक नीति के इस पहलू का मूल्यांकन आवश्यक है।

### मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण

- 'मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण' निर्दिष्ट वार्षिक मुद्रास्फीति दर को प्राप्त करने के लिये केंद्रीय बैंक की एक नीति है। यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि दीर्घकालिक आर्थिक विकास के लिये मूल्य स्थिरता बनाए रखना आवश्यक है तथा मूल्य स्थिरता मुद्रास्फीति को नियंत्रित करके प्राप्त की जा सकती है।
- मौद्रिक नीति निर्धारण में पारदर्शिता, स्थिरता, पूर्वानुमान तथा केंद्रीय बैंक की जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु 'मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण' को महत्त्वपूर्ण माना जाता है। गौरतलब है कि कीमतों में निरंतर होने वाली वृद्धि से बचत एवं निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
- इसे केंद्रीय बैंक के अन्य संभावित नीतिगत लक्ष्यों के अनुरूप निर्धारित किया जा सकता है, जिनमें विनिमय दर, बेरोज़गारी या राष्ट्रीय आय को लक्षित करना शामिल है।
- केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित मुद्रास्फीति तथा उसके निकटस्थ लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये 'कठोर मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण', जबकि ब्याज दरों में स्थिरता, विनिमय दर, उत्पादन व रोज़गार से संबंधित चुनौतियों से निपटने के लिये 'लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण' को अपनाया जाता है।

### भारत का मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढाँचा

- केंद्रीय बैंक तथा भारत सरकार ने वर्ष 2015 में आर्थिक विकास एवं मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने हेतु एक नीतिगत ढाँचे पर सहमति व्यक्त की थी। इसके प्राथमिक उद्देश्य के अंतर्गत वर्ष 2016 में 'लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण' नीति को अपनाया गया। इसके साथ ही, भारत मुद्रास्फीति नियंत्रण के लिये संस्थागत तंत्र विकसित करने वाले देशों की श्रेणी में शामिल हो गया।
- 'लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण' ढाँचे को वैधानिक आधार प्रदान करने के लिये भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 में संशोधन कर यह प्रावधान किया गया कि केंद्र सरकार प्रत्येक पाँच वर्ष में केंद्रीय बैंक से परामर्श कर 'मुद्रास्फीति लक्ष्य' को निर्धारित करेगी।
- इसके पश्चात् $4 \pm 2$ % लचीली मुद्रास्फीति का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसके अंतर्गत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को मुद्रास्फीति का प्रमुख संकेतक निर्धारित किया गया।

### मुद्रास्फीति संबंधी धारणा

- 1970 के दशक में उच्च मुद्रास्फीति के परिप्रेक्ष्य में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रीडमैन ने सुझाव दिया कि मुद्रास्फीति नियंत्रित करने के लिये 'मुद्रा-आपूर्ति लक्ष्यीकरण' को एक साधन के रूप में अपनाया जा सकता है।
- हालाँकि, समष्टिगत आर्थिक नीतियों के माध्यम से व्यापक हितों को प्राप्त नहीं किया जा सकता, किंतु ये मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के संबंध में उपयोगी समझ विकसित करने में लाभप्रद हो सकती हैं।

**मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण**

| पक्ष | विपक्ष |
|---|---|
| तेज़ी एवं मंदी से सुरक्षा | आर्थिक संवृद्धि के साथ टकराव की संभावना |
| मुद्रास्फीति पर नियंत्रण | अर्थव्यवस्था के लिये उच्च मुद्रास्फीति आवश्यक |
| कम मुद्रास्फीति से लाभ | अर्थव्यवस्था के लिये सीमित संभावना |
| स्पष्टता | अपरिवर्तनीय |

**प्राप्ति के प्रयास**

1. मौद्रिक नीति में मूल्य स्थिरता पर बल
2. सरकार तथा केंद्रीय बैंक द्वारा लक्षित दर का निर्धारण
3. निश्चित अवधि में मुद्रास्फीति लक्ष्य की प्राप्ति का प्रयास
4. लक्ष्य की प्राप्ति के लिये राजकोषीय एवं मौद्रिक नीति का अभिसरण

पार्क' बनाए जाने की योजना भी प्रस्तावित है। अवसंरचना से जुड़ी परियोजनाओं के वित्तीयन के लिये नए बैंक का निर्माण भी किया जाएगा। इससे देश में व्यापार से जुड़ी गतिविधियाँ बढ़ेंगी और नए रोज़गार के अवसर उत्पन्न होंगे। इसके अतिरिक्त, परिवहन के क्षेत्र में रेल, बस, सड़क, मेट्रो आदि से जुड़े नए प्रस्ताव भी शामिल किये गए हैं। शहरी इलाकों में 20 हज़ार नई बसें चलाई जाएँगी। टियर-2 शहरों में 'लाइट मेट्रो' और 'नियो मेट्रो' की शुरुआत की जाएगी। इटारसी-विजयवाड़ा में 'फ्यूचर रेडी कॉरिडोर' का निर्माण किया जाएगा। अगले वर्ष तक 8,500 किलोमीटर की नई सड़क परियोजनाएँ शुरू की जाएँगी। इससे देशवासियों को बेहतर और विश्व स्तरीय परिवहन सेवाएँ प्राप्त होंगी।

## स्वास्थ्य संबंधी समग्र दृष्टिकोण

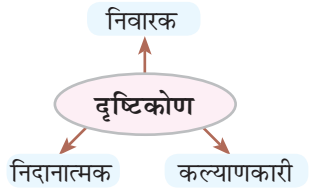


पूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान को मिलाकर 'मिशन पोषण 2.0' को शुरू किया जाएगा

- छह वर्षों में परिव्यय 64,180 करोड़ रुपए
- स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों को सहायता

**पी.एम. आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना**

- एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं की स्थापना
- क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक्स की स्थापना

- एन.सी.डी.सी. को सुदृढ़ करना
- एकीकृत स्वास्थ्य सूचना पोर्टल का विस्तार

- न्यूमोकोकल वैक्सीन को देश-भर में लगाया जाना
- 2021-22 में कोविड-19 वैक्सीन के लिये 35,000 करोड़ रुपए

- **कर प्रस्ताव :** कोविड-19 के कारण सरकार की आय में कमी, जबकि खर्च में वृद्धि हुई। ऐसे में, आयकर की दरों में बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन सरकार ने इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की। इससे करदाताओं पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। साथ ही, बजट में नए करदाताओं को भी राहत प्रदान की गई है। 75 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को कर से छूट प्राप्त होगी। देश में करीब 6 करोड़ करदाता हैं, इनमें से करीब 3 करोड़ 'व्यक्तिगत करदाता' हैं। इन पर कराधान से जुड़ी नीतियों का सकारात्मक असर होगा।

## कर प्रस्ताव

उन वरिष्ठ नागरिकों (75 वर्ष और इससे अधिक उम्र के) को आयकर का रिटर्न भरने से छूट देना, जिनकी आय का स्रोत केवल पेंशन और उस पर मिलने वाला ब्याज है

आयकर कार्यवाही के अंतर्गत कर निर्धारण प्रक्रिया को पुनः खोलने की समय-सीमा को 6 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष करना

छोटे करदाताओं के लिये एक विवाद निपटान समिति का गठन

आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण को फेसलेस बनाया जाना है

ऐसे व्यक्तियों के लिये कर की लेखा-परीक्षा की सीमा को बढ़ाना जो अपना 95 प्रतिशत लेन-देन डिजिटल रूप से करते हैं

आर.ई.आई.टी./ इन्वी आई.टी. को भुगतान किये जाने वाले लाभांश को टी.डी.एस. से छूट देना

सस्ते मकानों की खरीद के लिये 31 मार्च, 2022 तक लिये जाने वाले ऋण पर 1.5 लाख रुपए की अतिरिक्त कटौती सुलभ होगी

पहले से रिटर्न फाइल करने पर सूचीबद्ध प्रतिभूतियों, लाभांश आय आदि से पूँजीगत आय को कवर करना

स्टार्टअप के लिये टैक्स होलिडे का दावा करने की पात्रता को एक वर्ष और बढ़ाया जाना प्रस्तावित है

- **समावेशी विकास एवं आकांक्षी भारत :** इसके अंतर्गत कृषि से संबंधित क्षेत्रों– कृषक कल्याण, ग्रामीण भारत, प्रवासी श्रमिकों एवं मज़दूरों के वित्तीय समावेशन से उनकी आय पर सकारात्मक असर होगा।

## प्रवासी मज़दूर और श्रमिक

- 'एक राष्ट्र-एक कार्ड' स्कीम को 32 राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में चलाया जा रहा है।
- गिग वर्कर एवं बिल्डिंग निर्माण कार्य में मज़दूरों के लिये एक पोर्टल चालू करना।
- गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म के मज़दूरों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ उपलब्ध कराना।

# 7 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

## साइबर हमले से उत्पन्न चुनौतियाँ

### संदर्भ

हाल ही में, चीनी 'हैकर्स' द्वारा मुंबई व तेलंगाना में विद्युत आपूर्ति बाधित करने के लिये साइबर हमले किये गए थे। इससे पूर्व भी कोविड वैक्सीन से संबंधित शोध कार्यों को हैक करने की कोशिश की गई थी। वर्तमान में भारत और चीन के मध्य जारी तनाव के मद्देनज़र इस प्रकार की गतिविधियाँ भारत की साइबर सुरक्षा के समक्ष गंभीर चुनौतियाँ हैं।

### पृष्ठभूमि

- भारत में पहले भी कई बड़े साइबर हमले हो चुके हैं, जैसे– वर्ष 2009 में निर्वासित तिब्बती सरकार एवं भारतीय दूतावास पर घोस्टनेट, वर्ष 2010 में स्टक्सनेट (Stuxnet), वर्ष 2014 में राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज पर सकफ्लाई (Suckfly), वर्ष 2019 में कुडनकुलम् नाभिकीय संयंत्र तथा भारतीय बैंकों पर डी-ट्रैक (D-Track) हमला इत्यादि।
- इनके अतिरिक्त, कई साइबर हमलों में विभिन्न सचिवालयों एवं सुरक्षा प्रतिष्ठानों को भी निशाना बनाया गया था।
- ध्यातव्य है कि उक्त साइबर हमलों में से अधिकतर चीन के हैकर्स द्वारा किये गए, जबकि कुछ के पीछे अमेरिकी व अन्य देशों की एजेंसियों के हाथ होने के प्रमाण मिले हैं।

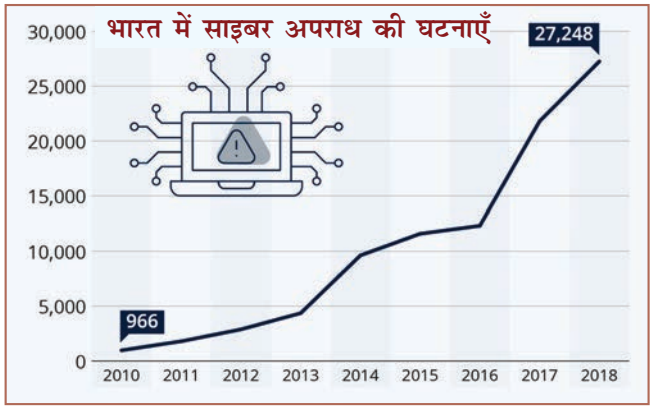


### हालिया साइबर हमले

- वर्ष 2021 में मैसाचुसेट्स स्थित एक फर्म द्वारा जारी रिपोर्ट में उजागर हुआ कि हाल के दिनों में 'रेड ईको' (Red Echo) नामक चीनी समूह ने गुप्त जानकारियाँ एकत्रित करने तथा व्यवस्थागत अवरोध उत्पन्न करने के लिये बड़ी संख्या में 'मैलवेयर्स' आदि का प्रयोग किया है। इस समूह ने भारत के एक बड़े विद्युत क्षेत्रक को भी निशाना बनाया था।
- रिपोर्ट के अनुसार, साइबर हमले में 10 विभिन्न भारतीय विद्युत क्षेत्रक संगठनों को लक्षित किया गया था, जिनमें चार 'क्षेत्रीय भार प्रेषण केंद्र' (Regional Load Despatch Centres – RLDCs) शामिल हैं, जो देश में विद्युत की माँग और आपूर्ति को संतुलित कर 'पावर ग्रिड' के सुचारु संचालन में सहायता करते हैं।
- रेड ईको ने 'शैडोपैड' (Shadow Pad) नामक 'मैलवेयर' का प्रयोग किया। यह मैलवेयर 'बैकडोर चैनल्स' की मदद से सर्वर तक पहुँच सुनिश्चित करता है।
- विद्युत मंत्रालय ने इन गतिविधियों की पुष्टि करते हुए स्पष्ट किया कि नवंबर 2020 में कुछ केंद्रों पर शैडोपैड मैलवेयर के हमले की सूचना मिली थी। यद्यपि इन घटनाओं के कारण किसी डाटा की क्षति या चोरी नहीं हुई है।

### क्यों आवश्यक है साइबर सुरक्षा

- विश्व में चीन के बाद सर्वाधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता भारत में हैं तथा साइबर हमलों का सामना करने वाले देशों में भी भारत शीर्ष देशों में शामिल है। वर्तमान में साइबर सुरक्षा के मुद्दे केवल हैकिंग व वित्तीय धोखाधड़ी तक ही सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी बेहद संवेदनशील हो गए हैं।
- विमुद्रीकरण और कोविड-19 जैसे कारकों ने लोगों को दैनिक अनुप्रयोग में डिजिटल प्रौद्योगिकियों को अपनाने हेतु प्रेरित किया है। कोविड-19 के संदर्भ में सावधानी बरतने के लिये अधिकांश गतिविधियों को डिजिटल रूप से संचालित किया जा रहा है तथा 'घर से कार्य' (Work From Home) का प्रचलन भी व्यापक पैमाने पर बढ़ा है। इसलिये 'साइबर स्पेस' पर भारत की निर्भरता कई गुना बढ़ गई है।
- साइबर हमले के माध्यम से किसी व्यक्ति या संस्था अथवा राष्ट्र की गोपनीयता भंग करने का प्रयास किया जाता है। इससे इनकी गरिमा व संप्रभुता का हनन होता है।

### भारत की संस्थागत साइबर सुरक्षा अवसंरचनाएँ

पिछले दो दशकों से भारत में साइबर सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिये विभिन्न संस्थानों की स्थापना की गई है। इनमें से कुछ प्रमुख संस्थान अग्रलिखित हैं–

# 8 आंतरिक सुरक्षा

## स्मार्ट वॉल

### संदर्भ

हाल ही में, अमेरिकी राष्ट्रपति 'जो बाइडन' ने अमेरिका और मैक्सिको की सीमा पर दीवार के निर्माण पर रोक लगा दी है। हालाँकि, इसके विकल्प के रूप में 'स्मार्ट वॉल' की पेशकश की गई है।

### स्मार्ट वॉल

- 'स्मार्ट वॉल' तकनीक आधारित एक प्रकार की अदृश्य दीवार है, जो भौतिक रूप से दिखाई नहीं देती।
- स्मार्ट वॉल वाले क्षेत्र में सशस्त्र बलों द्वारा भौतिक रूप से गश्त किये जाने के स्थान पर उन्नत तकनीक आधारित निगरानी उपकरणों का प्रयोग किया जाएगा। दोनों ही देशों के लिये यह सीमा सुरक्षा सुनिश्चित करने की प्रस्तावित योजना है।
- 'स्मार्ट वॉल' तकनीक भौतिक अवरोधों की आवश्यकता के बिना सीमा सुरक्षा संबंधी मुद्दों को हल कर सकती है। यह दीवार सेंसर, रडार एवं उन्नत निगरानी उपकरणों का उपयोग कर सीमा पर घुसपैठ रोकने में सक्षम होगी।

### पुरानी अवधारणा : नया विकास

- स्मार्ट वॉल की अवधारणा नई नहीं है, इसकी परिकल्पना स्टील की दीवार के पूरक के तौर पर की गई थी।
- इसमें कहा गया था कि मोबाइल निगरानी टावरों को स्थापित करने के साथ इस आभासी दीवार की पूरी प्रणाली में रडार, कंप्यूटर से लैस सीमा नियंत्रण वाहन, नियंत्रण सेंसर और भूमिगत सेंसर शामिल होंगे।
- निगरानी टावरों और कैमरों के साथ इसमें थर्मल इमेजिंग का उपयोग भी किया जाएगा, जो वस्तुओं का पता लगाने में मदद करेगा। यह प्रणाली जानवरों, मनुष्यों और वाहनों के बीच अंतर करने में सक्षम होगी तथा हैंडहेल्ड मोबाइल उपकरणों को अपडेट्स भी भेजेगी।

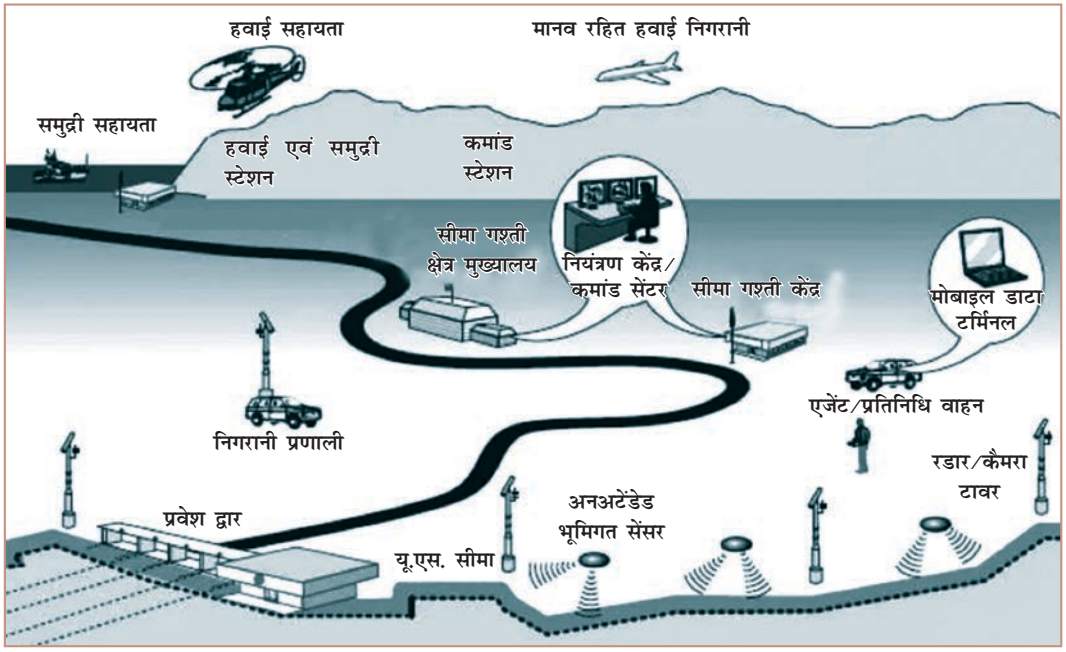


### भारत के परिप्रेक्ष्य में इसके लाभ

- इस प्रकार की दीवार आतंकवादियों और तस्करों को रोकने के साथ-साथ सीमाओं को सुरक्षित करने और सीमा-पार घुसपैठ को रोकने में सहायक होगी।
- भारत के संदर्भ में इसके प्रयोग में सीमाओं की अस्पष्टता और उसके जटिल भौगोलिक स्वरूप पर भी विचार किया जाना चाहिये, जहाँ बाड़ अथवा दीवारों जैसी भौतिक संरचना को खड़ा करना बेहद मुश्किल है। स्मार्ट वॉल को जटिल भौगोलिक स्वरूप वाले सीमावर्ती क्षेत्रों में भी संचालित किया जा सकता है।
- इसके स्वचालित परिचालन से सेना की भौतिक उपस्थिति के बिना भी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी।
- लागत प्रभावशीलता, पर्यावरण को कम नुकसान तथा भूमि का कम उपयोग इसके कुछ अन्य लाभ हैं। साथ ही, इससे सीमा पर सैनिकों की तैनाती की समस्या भी कम हो जाएगी।

# 9 पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

## बिटकॉइन और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन

### संदर्भ

ऐसे समय में जब वैश्विक स्तर पर आभासी मुद्रा (क्रिप्टोकरेंसी) जैसी नवीनतम वित्तीय प्रवृत्तियाँ तेज़ी से आकार ले रही हैं, बिटकॉइन माइनिंग की वजह से होने वाले कार्बन उत्सर्जन को लेकर चिंताएँ बढ़ रही हैं।

### बिटकॉइन और कार्बन फुटप्रिंट

- बिटकॉइन से उत्पन्न होने वाला वार्षिक कार्बन फुटप्रिंट लगभग मुंबई के कार्बन फुटप्रिंट के बराबर है। यदि इसे वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो यह स्लोवाकिया के कार्बन फुटप्रिंट के बराबर है।
- डच अर्थशास्त्री एलेक्स डी व्रीज़ के अनुसार, बिटकॉइन एक वर्ष में लगभग 38.10 मीट्रिक टन के बराबर कार्बन फुटप्रिंट उत्पन्न करते हैं। एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2017 में मुंबई का वार्षिक कार्बन फुटप्रिंट लगभग 32 मीट्रिक टन था।
- 'बिटकॉइन एनर्जी कंज़म्पशन इंडेक्स', बिटकॉइन नेटवर्क के ऊर्जा उपभोग का अनुमान लगाने वाला प्रथम व्यवस्थित प्रयास है। हाल ही में, माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक बिल गेट्स ने भी कहा कि अन्य ज्ञात विधियों की तुलना में प्रति बिटकॉइन हस्तांतरण में अपेक्षाकृत अधिक विद्युत खपत होती है।

#### *क्या होता है कार्बन फुटप्रिंट?*

- कार्बन फुटप्रिंट से तात्पर्य किसी संस्था, व्यक्ति या उत्पाद द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य ग्रीनहाउस गैसों के रूप में किये गए कुल कार्बन उत्सर्जन से है।
- ये ग्रीनहाउस गैसें मानवीय गतिविधियों के कारण उत्पन्न होती हैं। समस्त मानवीय क्रियाकलाप, जैसे– खानपान से लेकर कपड़े पहनना इत्यादि कार्बन फुटप्रिंट के कारकों में शामिल हैं।

### बिटकॉइन निर्माण और विद्युत आवश्यकता के बीच संबंध

- बिटकॉइन क्रिप्टोग्राफी के नियमों के आधार पर संचालित और निर्मित एक प्रकार की आभासी मुद्रा है। इसकी शुरुआत वर्ष 2009 में हुई थी। बिटकॉइन को एक विशेष प्रक्रिया के माध्यम से बनाया जाता है, जिसे 'माइनिंग' (Min ) कहते हैं।
- डिजिटल कॉइन को 'माइन' (Mi – बनाने/कोडिंग के संदर्भ में प्रयुक्त) करने के लिये 'माइनर्स' (Mi rs – डिजिटल कॉइन की कोडिंग करने वाला) को उन्नत व तीव्र गति वाले कंप्यूटर प्रोसेसर की आवश्यकता होती है, जिसमें बहुत अधिक विद्युत खपत होती है। बिटकॉइन, एथरियम, रिपल, स्टेलर इत्यादि क्रिप्टोकरेंसी के कुछ उदाहरण हैं।
- कॉइन माइनिंग में जटिल गणना के लिये लंबे समय तक कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। पहले से ही पर्याप्त संख्या में कॉइन की उपलब्धता के कारण नए कॉइन की माइनिंग में अधिक समय लगता है, फलस्वरूप इस प्रक्रिया में उतनी ही अधिक विद्युत खपत होती है। ज़्यादा लाभ प्राप्ति के लिये लोग अधिक माइनिंग का प्रयास करते हैं।
- वर्ष 2017 में बिटकॉइन नेटवर्क ने लगभग 30 टेरावाट घंटे (TWH) विद्युत उपभोग किया, किंतु वर्तमान में इसकी खपत दोगुनी से भी अधिक होने का अनुमान है, जो नॉर्वे की लगभग कुल विद्युत खपत के बराबर है।

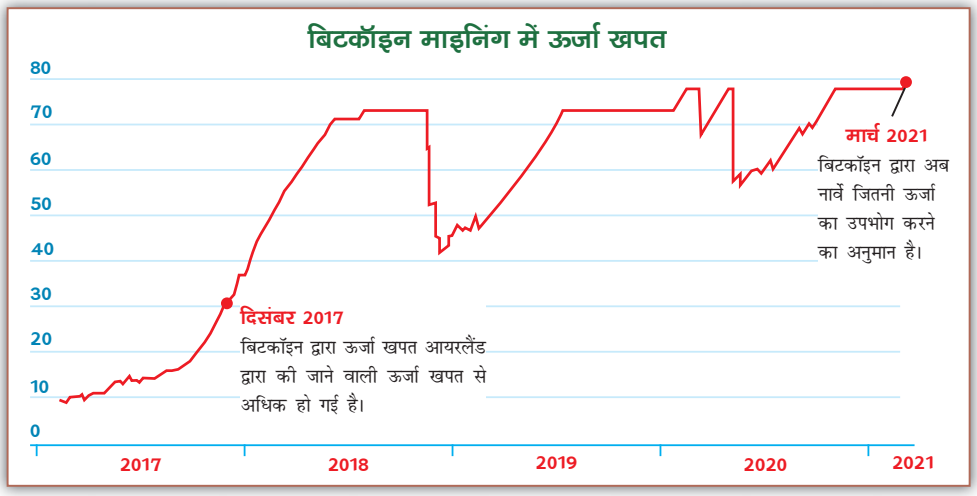


- प्रत्येक बिटकॉइन हस्तांतरण में औसतन 300 किग्रा. कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, जो लगभग 7,50,000 क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करने में उत्पन्न कार्बन फुटप्रिंट के बराबर है। बिटकॉइन को यदि एक देश के तौर पर देखा जाए तो यह ऑस्ट्रिया या बांग्लादेश की तुलना में अधिक विद्युत का उपभोग करता है।

### कार्बन फुटप्रिंट की गणना

- बिटकॉइन माइनिंग में व्यापक पैमाने पर ऊर्जा खपत की प्रकृति के साथ-साथ अधिक समस्या माइनिंग की अधिकांश सुविधाओं का उन क्षेत्रों में उपस्थित होना है, जो ताप विद्युत (कोयला आधरित) पर अधिक निर्भर हैं।
- बिटकॉइन नेटवर्क के कार्बन प्रभाव को निर्धारित करना भी एक जटिल कार्य है, क्योंकि माइनर्स को ट्रैक करना आसान नहीं है। इस माइनिंग की कुल लागत का लगभग 60% हिस्सा उसमें उपयोग की जाने वाली विद्युत की कीमत है।

### बिटकॉइन माइनिंग के अन्य प्रभाव

- बिटकॉइन माइनिंग का प्रभाव अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों पर भी पड़ता है। नए ब्लॉकचेन को तैयार करने में अधिक समय तक उच्च तकनीक वाले कंप्यूटर का उपयोग करने से इनका जीवन-काल कम हो जाता है।
- बिटकॉइन माइनर्स को इनका (ब्लॉकचेन) उत्पादन करने के लिये पर्याप्त संख्या में चिप की आवश्यकता होती है। कोविड-19 संकट के दौरान इनकी कमी ने वैश्विक स्तर पर इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन को प्रभावित किया है।
- इसके अतिरिक्त कृत्रिम बुद्धिमत्ता, परिवहन और घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे अन्य क्षेत्रों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है।
- साथ ही, ईरान जैसे देश आर्थिक प्रतिबंधों को दरकिनार करने के लिये क्रिप्टोकरेंसी का अधिक उपयोग कर रहे हैं।

### कार्बन फुटप्रिंट को कैसे नियंत्रित करें?

- इसका पहला उपाय माइनिंग कार्यों पर रोक लगाना है, जिस तरह कनाडा के क्यूबेक में किया गया है। विद्युत दरों में वृद्धि के अतिरिक्त ऐसे उपकरणों को ज़ब्त करना भी इसका एक उपाय हो सकता है।
- सरकारें डिजिटल एसेट मार्केटप्लेस से क्रिप्टोकरेंसी पर भी प्रतिबंध लगा सकती हैं, क्योंकि यह डिजिटल मुद्रा की कीमतों को प्रभावित करेगा।
- सरकारों को इस तरह के कठोर क्रिप्टोकरेंसी कानून बनाने पर ज़ोर देना चाहिये जो माइनिंग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के साथ-साथ इसे आपराधिक गतिविधि मानते हों।
- साथ ही, मौजूदा 'फेमा' (FEMA) तथा सेबी के कानूनों में संशोधन कर इसके लिये धन के प्रवाह व पूँजी जुटाने संबंधी विकल्पों को भी विनियमित किया जा सकता है।

## स्वास्थ्य बनाम राजकोष : एल.पी.जी. की बढ़ती कीमतों का सामाजिक प्रभाव

पिछले कुछ समय से डीज़ल, पेट्रोल और रियायती एल.पी.जी. की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है। इससे 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' की सफलता पर प्रश्न उठने लगे हैं। गौरतलब है कि यह योजना सामाजिक और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण है।

### सब्सिडी-युक्त एल.पी.जी. की कीमत में वृद्धि

- सब्सिडी-युक्त एल.पी.जी. की कीमतों में वित्त वर्ष 2020-21 में 50% की वृद्धि हुई है। पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार, विगत सात वर्षों में एल.पी.जी. की कीमतें दोगुनी हो गई हैं। इससे सरकार की फ्लैगशिप योजना– 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' के परिणामों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशंका है।
- वर्ष 2016 से महिलाओं को राहत देने एवं इनडोर वायु प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से इस योजना के अंतर्गत 8 करोड़ निर्धन परिवारों को एल.पी.जी. कनेक्शन प्रदान किये गए हैं।
- ₹1,600 की 'अग्रिम कनेक्शन सब्सिडी' प्रदान करते हुए उज्ज्वला योजना ने एल.पी.जी. कवरेज को 85% से अधिक घरों तक पहुँचाने में मदद की है। इसके विपरीत, वर्ष 2011 में एक-तिहाई से कम परिवार ही एल.पी.जी. कवरेज के अंतर्गत आते थे।

**प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना**
**(पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय)**

ग्रामीण तथा शहरी महिलाओं के लिये प्रत्यक्ष सरकारी पहल

आठ करोड़ से अधिक महिलाएँ प्रत्यक्षत: लाभान्वित (एस.सी., एस.टी. तथा अन्य कमज़ोर वर्गों तक योजना विस्तारित)

बी.पी.एल. कार्डधारकों को निशुल्क एल.पी.जी. कनेक्शन

महिलाओं को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना

जैव-ईंधन से उत्पन्न स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों से सुरक्षा

महिलाओं को जैव-ईंधन एकत्रित करने की समस्या से मुक्ति

बच्चों के साथ-साथ सभी के लिये धुआँरहित घर

### चुनौतियाँ

- उज्ज्वला योजना पर विभिन्न आकलन के निष्कर्षों के अनुसार, यद्यपि एल.पी.जी. की पहुँच में वृद्धि हुई है, परंतु कई नए लाभार्थी इसका निरंतर उपभोग नहीं कर रहे हैं।
- 'ऊर्जा, पर्यावरण एवं जल परिषद्' (Council on Energy, Environment and Water – CEEW) के प्राथमिक सर्वेक्षण के अनुसार, औसत आधार पर उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के नियमित उपभोग की तुलना में हाल के समय में उनकी उपभोग प्रवृत्ति लगभग आधी हो गई है।
- गरीब परिवारों में एल.पी.जी. के कम उपभोग के दो मुख्य कारण हैं। पहला, सब्सिडी के बावजूद एल.पी.जी. की कीमतें इन परिवारों के लिये वहनीय नहीं हैं। दूसरा, अधिकतर ग्रामीण उपभोक्ताओं की जैव-ईंधन तक पहुँच आसान होती है, जिसके कारण इसे एल.पी.जी. से प्रतिस्थापित करना मुश्किल होता है।
- जैव-ईंधन के प्रयोग से इनडोर वायु प्रदूषण फैलने के अतिरिक्त, राष्ट्रीय स्तर पर कुल पी.एम. 2.5 प्रदूषण में 30% तक वृद्धि होती है, जो परिवहन, फसल अपशिष्ट या कोयला दहन की हिस्सेदारी से अधिक है।

### मूल्य वृद्धि का प्रभाव

- सब्सिडी-युक्त एल.पी.जी. की कीमतों में वृद्धि से निर्धन लोग सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। भारत अपने कुल उपभोग के 50% से अधिक एल.पी.जी. का आयात करता है। इसी कारण आयातित एल.पी.जी. की कीमतों के आधार पर ही घरेलू एल.पी.जी. की कीमतें निर्धारित की जाती हैं।
- वैश्विक स्तर पर एल.पी.जी. की बढ़ती कीमतों के बीच सरकार ने वित्त वर्ष 2 में उज्ज्वला 2 के तहत 1 करोड़ नए कनेक्शन प्रदान करने का प्रस्ताव किया है। हालाँकि, सरकार ने पिछले वित्त वर्ष के सापेक्ष इस वित्त वर्ष में एल.पी.जी. सब्सिडी में 0% की कमी की है, जो अच्छा संकेत नहीं है।
- सब्सिडी-युक्त एल.पी.जी. से संबंधित मूल्य-निर्धारण प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि हाल के वर्षों में एल.पी.जी. की मूल्य संरचना और सब्सिडी के बारे में जानकारी प्राप्त करना, आम लोगों के लिये कठिन हो गया है।

### उपाय

- केंद्र सरकार का दृष्टिकोण सब्सिडी के बेहतर लक्ष्यीकरण द्वारा एल.पी.जी. सब्सिडी और इसकी खपत के मध्य संतुलन बनाने वाला होना चाहिये। इसके लिये सब्सिडी-युक्त एल.पी.जी. का प्रयोग करने वाले उच्च व मध्य-उच्च वर्ग के परिवारों की सब्सिडी में कटौती की जा सकती है।
- एक अन्य दृष्टिकोण के अंतर्गत उपभोक्ताओं के मौजूदा एल.पी.जी. खपत प्रतिरूप पर भरोसा करना है।
- कम खपत वाले परिवारों को प्रति सिलेंडर अधिक सब्सिडी प्रदान की जा सकती है।
- एल.पी.जी. सब्सिडी के 'लीकेज' को रोकने के प्रयासों में तेज़ी लाई जानी चाहिये। साथ ही, 'रिफिलिंग' की लागत के लिये 'ई.एम.आई.' की सुविधा भी एक अच्छा विकल्प है।

## क्या सिमलीपाल दावानल सामान्य घटना है

### संदर्भ

'सिमलीपाल जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र' (Simlipal Biosphere Reserve) में शुष्क मौसम के दौरान प्रायः दावानल की घटना देखी जाती है। हाल ही में, इस जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में लगभग एक सप्ताह तक भीषण दावानल की घटना देखी गई।

### सिमलीपाल जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र

- सिमलीपाल का नाम 'सिमुल' (रेशम कपास) के पेड़ से व्युत्पन्न है। यह एक राष्ट्रीय उद्यान व 'टाइगर रिज़र्व' है। यह ओडिशा के मयूरभंज ज़िले के उत्तरी भाग में अवस्थित है।
- 2 जून, 9 को पूर्वी घाट के पूर्वी छोर पर स्थित सिमलीपाल व आस-पास के 5 वर्ग किमी. क्षेत्र को भारत सरकार ने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया था।
- सिमलीपाल में ऑर्किड की 9 व अन्य वनस्पतियों की लगभग 3 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इनके अतिरिक्त, उभयचरों की लगभग 2, सरीसृपों की 2, पक्षियों की 4 तथा स्तनधारियों की 4 प्रजातियाँ भी इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। ये सभी इस क्षेत्र की समृद्ध जैव-विविधता को दर्शाती हैं। 'साल' यहाँ पाया जाने वाला एक प्रमुख वृक्ष है।
- सिमलीपाल के संक्रमण क्षेत्र (Transition Zone) में लगभग 0 गाँव हैं, जिनमें लगभग 5 लाख लोग रहते हैं। इनमें से जनजातियों की जनसंख्या कुल आबादी का लगभग 7% है।

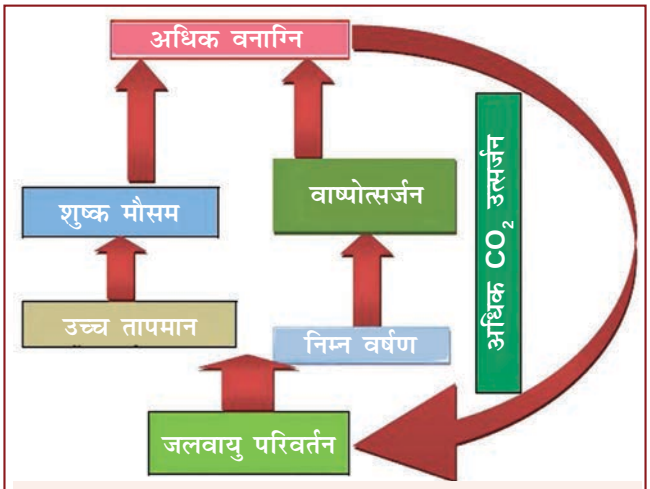



दावानल एवं जलवायु परिवर्तन

# 10 आपदा प्रबंधन

## उत्तराखंड आपदा : हिमनदीय प्रस्फुटन

### संदर्भ

- 7 फरवरी, 2021 को नंदा देवी हिमनद (Glacier) का एक हिस्सा टूटने से उत्तराखंड के चमोली ज़िले में 'फ्लैश फ्लड' की घटना देखी गई। इससे ऋषिगंगा और धौलीगंगा नदी में आई बाढ़ ने दो पनबिजली परियोजनाओं– ऋषिगंगा परियोजना (13.2 मेगावाट) तथा तपोवन विष्णुगढ़ परियोजना (520 मेगावाट) को क्षतिग्रस्त कर दिया।
- ध्यातव्य है कि हिमनदों के टूटने से झीलों के जल स्तर में अचानक वृद्धि होने से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसे 'ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड' (GLOF) के नाम से जाना जाता है।

### प्रमुख कारक

- जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के अंतर-सरकारी पैनल की नवीनतम मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार, हिमनदों के स्थान छोड़ने तथा पर्माफ्रॉस्ट के पिघलने की वजह से पहाड़ी ढलानों की स्थिरता में कमी और हिमनदीय झीलों की संख्या व उनके क्षेत्रफल में वृद्धि होने का अनुमान है।
- आने वाले दशकों में हिमनदीय झीलों की संख्या व उनके क्षेत्रफल में वृद्धि होने की प्रबल संभावना है। साथ ही, खड़े ढाल वाले तथा अस्थिर पहाड़ों के निकट नई झीलों के विकास की भी संभावना है।
- ग्लेशियोलॉजी और हाइड्रोलॉजी विशेषज्ञों के अनुसार, इस तरह का हिमस्खलन एक 'अत्यंत दुर्लभ घटना' थी।
- उपग्रह तथा गूगल अर्थ की तस्वीरों के अनुसार, इस क्षेत्र के पास कोई हिमाच्छादित झील नहीं देखी गई, तथापि इस बात की भी संभावना है कि इस क्षेत्र के हिमनदों में जल का बड़ा संग्रह हुआ हो, जिस कारण यह घटना हुई।
- ध्यातव्य है कि जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम प्रारूप (जैसे बर्फबारी, बारिश और सर्दियों का तुलनात्मक रूप से गर्म होना) में अनियमितता बढ़ी है। यह बर्फ पिघलने का एक प्रमुख कारण हो सकता है।
- विशेषज्ञों के अनुसार, बर्फ के 'थर्मल प्रोफाइल' (यह पूर्व में -6 से -20 C था, जो अब बढ़कर लगभग -2°C हो गया है) के बढ़ने से हिमनदों के पिघलने की दर में वृद्धि हुई है।
- हिमनद के टूटकर अलग होने की प्रक्रिया 'ग्लेशियर काल्विंग' (Glacier Calving) कहलाती है।
- भूकंपीय गतिविधियों, जल में अत्यधिक दबाव का बनना तथा जलवायु परिवर्तन को इसका प्रमुख कारण माना जाता है।
- जीवाश्म ईंधनों का अत्यधिक प्रयोग, ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन, ओज़ोन परत में छिद्र आदि ऐसे अनेक कारण हैं, जिनकी वजह से हिमनद तेज़ी से पिघल रहे हैं।
- 'वुड्स होल ओशनोग्राफिक इंस्टीट्यूट' के अनुसार, विश्व के अधिकांश पर्वतीय हिमनद जो पूर्व में बड़े आकार के थे, वैश्विक तापन के कारण अब तेज़ी से सिकुड़ रहे हैं।
- हिमनदों में बढ़ती अस्थिरता तथा बुनियादी ढाँचे से जुड़ी परियोजनाओं में बढ़ता निवेश इस बात के सूचक हैं कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहेगी। इनके जोखिम को कम करने के लिये यदि समय रहते आवश्यक कदम न उठाए गए, तो ये और भी विनाशकारी हो सकते हैं।

#### नंदा देवी हिमनद

- कंचनजंगा के बाद नंदा देवी भारत में हिमालय की दूसरी सबसे ऊँची चोटी है।
- यूनेस्को ने वर्ष 1988 में 'नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान' को विश्व विरासत स्थल घोषित किया था।
- ब्रह्म-कमल, देवदार, सनौबर जैसी वनस्पतियों के साथ-साथ कस्तूरी मृग, हिम तेंदुआ, हिमालयी काले भालू तथा हिमालयी तहर जैसे प्रमुख स्तनधारी यहाँ पाए जाते हैं।

### क्या होते हैं हिमनद

- हिमनद संपीड़ित बर्फ (Compressed Snow) की परतों से निर्मित विशाल आकार के बर्फीले पहाड़ होते हैं, जो गुरुत्वाकर्षण तथा चट्टानों के सापेक्ष बर्फ की कोमलता के कारण फिसलते अथवा आगे बढ़ते हैं।
- ऑस्ट्रेलिया के अलावा लगभग सभी महाद्वीपों पर हिमनद पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ सैकड़ों-हज़ारों वर्ष पुराने हैं।
- हिमनद अपने उद्गम स्थलों से सैकड़ों किलोमीटर क्षेत्र तक फैले हो सकते हैं तथा बर्फ के संचय या पिघलने के आधार पर इनका आकार छोटा अथवा बड़ा हो सकता है।
- हिमनदों के पीछे हटने के बाद बनने वाली 'प्रोग्लेशियल झीलें' (Proglacial Lakes) अकसर तलछट और बोल्डर जैसी संरचनाओं से बँधी होती हैं।

# 11 नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा एवं अभिरुचि

## संज्ञानात्मक दुविधा और साइबर सुरक्षा : नैतिकता का प्रश्न

### संदर्भ

- पिछले कुछ वर्षों में संज्ञानात्मक हैकिंग के उदय ने मानव समाज में गलत सूचनाओं का प्रचार-प्रसार बढ़ाया है। परिणामस्वरूप साइबर सुरक्षा का प्रश्न भी घेरे में है। साथ ही, मानव समाज में 'संज्ञानात्मक दुविधा' का भी जन्म हुआ है। साइबर सुरक्षा का मूलभूत उद्देश्य कंप्यूटर प्रणाली, नेटवर्क और डिजिटल जीवन को सुरक्षा प्रदान करना है। वर्तमान में दुष्प्रचार और गलत सूचनाओं का प्रसार भी संज्ञानात्मक हैकिंग के कारण उपजने वाली प्रमुख समस्याएँ हैं।
- वस्तुत: 'संज्ञानात्मक हैकिंग' सोशल इंजीनियरिंग का एक अनैतिक स्वरूप है, जो समाज के एक बड़े वर्ग की मानसिकता में नकारात्मक परिवर्तन लाता है। इस अनैतिक प्रक्रिया के माध्यम से लोगों की मनोवैज्ञानिक कमज़ोरियों का अनुचित लाभ उठाया जाता है तथा उनके पूर्वाग्रहों को मज़बूत किया जाता है। यह उनमें तार्किक और आलोचनात्मक तरीकों से सोचने की क्षमता को कम करके 'संज्ञानात्मक दुविधा' को जन्म देता है।
- 'संज्ञानात्मक दुविधा' एक ऐसी मन:स्थिति होती है, जिसमें व्यक्ति मानसिक द्वंद्व का अनुभव करता है। ऐसे में वह विभिन्न मान्यताओं, विश्वासों और मूल्यों का चयन करने में नैतिक दुविधा की स्थिति से गुज़रता है।

### संज्ञानात्मक हैकिंग के पीछे मूलभूत कारण

आज का समाज मनोवैज्ञानिक रूप से कमज़ोर होता जा रहा है और गलत तथ्यों को भी सत्य मान बैठता है। इसके प्रमुख कारण निम्नवत् हैं–

- **तथ्यों की जाँच-परख का अभाव–** सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियोज़, सूचनाओं आदि में मौजूद तथ्यों की जाँच किये बिना अन्य लोगों तक पहुँचा देना।
- **समाज का बुनियादी ढाँचा प्रभावित–** चूँकि भारतीय समाज मूल्यों और परंपराओं के आधार पर विकसित हुआ है। अत: यदि उसके विरोध में कोई तथ्य प्रचारित और प्रसारित होता है, तो सामाजिक एवं धार्मिक मूल्यों को चोट पहुँचती है।
- **गोपनीयता और सत्यनिष्ठा जैसे मूल्यों पर हमला–** साइबर हमले व्यक्ति की गोपनीयता का हनन करते हैं। साथ ही, व्यक्ति और समाज की सत्यनिष्ठा को भी आघात पहुँचाते हैं।
- **धार्मिक सहिष्णुता में होती कमी–** समाज में बढ़ती असहिष्णुता एवं द्वेष की भावना से धार्मिक समरसता में कमी आई है। परिणामस्वरूप व्यक्ति सभी धर्मों के प्रति समतामूलक दृष्टिकोण बनाए रखने में नाकाम रहा है।

### प्रभाव

- सूचनाओं और तथ्यों को तोड़-मरोड़कर प्रस्तुत करने से व्यक्ति के साथ-साथ समस्त मानव समाज में पूर्वाग्रहों और गलत धारणाओं का विकास होता है। पूर्वाग्रह के प्रभाव में आने पर किसी समुदाय अथवा धर्म विशेष के प्रति व्यक्ति की अभिवृत्तियों में परिवर्तन आता है और उसी के अनुरूप वह व्यक्ति आचरण भी करने लगता है।
- संज्ञानात्मक हैकिंग के माध्यम से दुष्प्रचार करके लक्षित लोगों के विचारों व सोचने के तरीकों में परिवर्तन लाया जा सकता है। इससे समाज की एकजुटता व सद्भावना को चोट पहुँचती है। इसका मुख्य लक्ष्य लोगों की वास्तविक समझ व नज़रिये में नकारात्मक परिवर्तन लाना होता है।
- ऐसी स्थिति के कारण व्यक्ति में हिंसात्मक प्रवृत्ति का जन्म होता है, जिससे

व्यक्ति उत्तेजित होकर मानसिक संतुलन खो बैठता है। परिणामस्वरूप समाज पर व्यापक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

- अमेरिका में 'कैपिटॉल हिल की दंगे वाली घटना' संज्ञानात्मक हैकिंग के प्रभावों का एक ज्वलंत उदाहरण है। संज्ञानात्मक हैकिंग के प्रत्यक्ष व परोक्ष प्रभाव बुनियादी ढाँचे पर साइबर हमले की तुलना में अधिक विनाशकारी होते हैं। इसके अतिरिक्त, दुष्प्रचार से हुई क्षति की भरपाई करना भी अत्यंत चुनौतीपूर्ण होता है।
- अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को फर्ज़ी व झूठा बताना, कई यूरोपीय देशों में कोविड-19 महामारी के प्रसार के लिये 5G टावरों को उत्तरदायी ठहराते हुए जलाना इत्यादि भी 'कॉन्सपिरेसी थ्योरी' के ही उदाहरण हैं। इसके लिये भी दुष्प्रचार और संज्ञानात्मक हैकिंग काफी हद तक उत्तरदायी हैं।
- कोविड-19 महामारी से संबंधित दुष्प्रचार ने लोगों को मास्क ना पहनने, वैकल्पिक इलाजों का उपयोग करने और टीकाकरण ना कराने की ओर प्रेरित किया है, जिससे वायरस को रोकना और अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया है।

## निपटने के उपाय

- 'भावनात्मक बुद्धिमत्ता' का उपयोग कर ऐसे मामलों से निपटा जा सकता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता समाज में सभी व्यक्तियों के मनोभावों की जाँच करके उन्हें एक संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बना सकती है। जैसे–
  - विचारों में सामंजस्य स्थापित करना।
  - अंत:करण की प्रासंगिकता।
  - तार्किकता का विकास करना इत्यादि।
- सोशल मीडिया पर सूचनाओं को आगे प्रेषित करने से पूर्व अपने स्तर पर जाँच-परख करना।
- 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता' (AI) का बेहतर ढंग से अनुप्रयोग करना, ताकि किसी सूचना के संभावित प्रभावों का निष्पक्ष आकलन किया जा सके।
- इसके अतिरिक्त, दुष्प्रचार के प्रति उत्पन्न होने वाली प्रतिक्रिया को संयमित किये जाने की आवश्यकता है।
- इससे संबंधित पहचान, सामग्री, संदर्भ, कार्य और व्यवहार को साझा करने के लिये एक मंच का निर्माण किया जा सकता है। इससे वृहद् पैमाने पर तीव्र गति से सही सूचनाओं का आदान-प्रदान संभव हो सकेगा।
- साइबर सुरक्षा का एक महत्त्वपूर्ण घटक 'शिक्षा' है। अत: विभिन्न माध्यमों से साइबर शिक्षा को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिये। तकनीक पर आधारित उद्योगों व सरकारों को समाज व नागरिकों में जागरूकता बढ़ाने के लिये समन्वय स्थापित करना चाहिये।
- इस तरह, साइबर हमले व्यक्ति के समक्ष नैतिक-द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न करते हैं। ऐसे में, एक सामाजिक प्राणी होने के नाते उसका यह कर्तव्य बनता है कि वह तार्किक आधार पर और नैतिक सद्गुणों से निर्देशित होकर निर्णय ले, ताकि समाज की तथा व्यक्ति विशेष की सुरक्षा प्रभावित न हो।

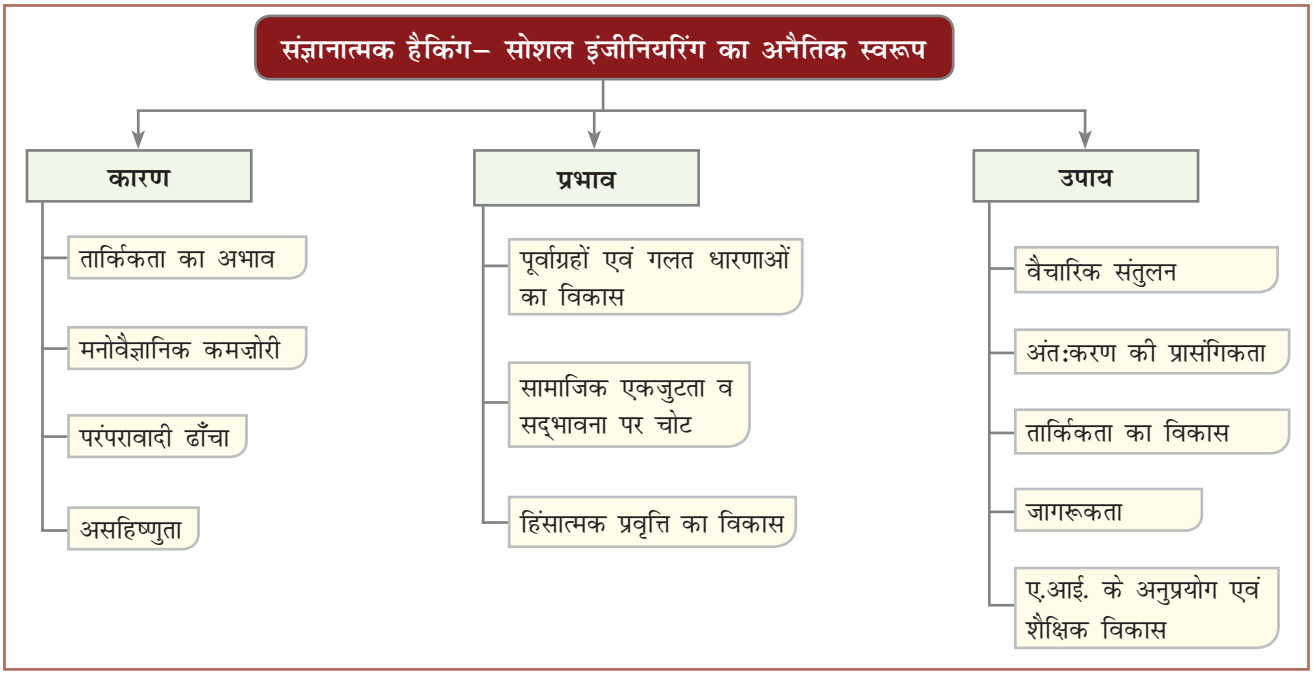

# विविध

## आइंस्टीनियम (Einsteinium)

### संदर्भ

- कैलिफोर्निया स्थित बर्कले प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों ने आवर्त सारणी के परमाणु क्रमांक 99 वाले तत्त्व के गुणों का अध्ययन किया।
- इसे अल्बर्ट आइंस्टीन के नाम पर 'आइंस्टीनियम' कहा गया है। इस अध्ययन के बाद पहली बार शोधकर्ता 'तत्त्वों के गुणों' को चिह्नित करने में सक्षम हुए हैं।

### प्रमुख बिंदु

- वैज्ञानिकों ने तत्त्व के अधिक स्थिर समस्थानिकों में से एक 'आइंस्टीनियम-254' का अध्ययन किया, जिसका अर्द्ध-जीवनकाल 276 दिन होता है। आइंस्टीनियम तत्त्व के सबसे सामान्य समस्थानिक 'आइंस्टीनियम 3 ' का अर्द्ध-जीवनकाल 0 दिन होता है।
- उच्च रेडियोधर्मिता और सभी समस्थानिकों के अल्प जीवनकाल के कारण इस तत्त्व का क्षरण हो गया है और अब यह प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है, किंतु गहन और सटीक रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा इसे निर्मित किया जा सकता है।
- इस तत्त्व की खोज वर्ष 1952 में पहले हाइड्रोजन बम विस्फोट के पश्चात् प्राप्त मलबे से हुई थी। यह विस्फोट दक्षिण प्रशांत महासागर में 'एनीवेटोक एटोल' पर स्थित एलुगेलैब नामक द्वीप पर एक परीक्षण के दौरान 'आइवी माइक' नामक एक थर्मोन्यूक्लियर उपकरण में हुआ था, जो नागासाकी में हुए विस्फोट की तुलना में 500 गुना अधिक विनाशकारी था।

### महत्त्व

- वर्तमान में यह तत्त्व सीमित मात्रा में उपलब्ध है, जिसका उपयोग केवल वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये किया जा सकता है। इसे नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता है। इस शोध के बाद वैज्ञानिक, कण त्वरक (Particle Accelerato ) द्वारा निर्मित एक सटीक एक्स-रे का उपयोग करते हुए इस तत्त्व के अन्य परमाणुओं के साथ बंधों (Bd ) की जटिलता को समझने में सक्षम हुए हैं।
- इस परमाणु व्यवस्था का अध्ययन कर वैज्ञानिक अन्य तत्त्वों और इनके समस्थानिकों के महत्त्वपूर्ण रासायनिक गुणों का पता लगा सकते हैं, जो परमाणु ऊर्जा उत्पादन और रेडियोफार्मास्यूटिकल के लिये उपयोगी हो सकते हैं।

## एंटीफ्रीज़र (Antifreezer)

### क्या है एंटीफ्रीज़र

- 'एंटीफ्रीज़र' मोटरवाहन की शीतलन प्रणाली में प्रयुक्त द्रव के प्रमुख घटकों में से एक है, जिसे इंजन शीतलक के रूप में भी जाना जाता है। इसका उपयोग बेहद ठंडे तापमान के दौरान इंजन को सुचारु रूप से संचालित करने के लिये किया जाता है। इसे जल के साथ मिश्रित करने पर जल का हिमांक सामान्य स्तर से कम हो जाता है, इस कारण इसका उपयोग उद्योगों में एंटीफ्रीज़िंग के लिये किया जाता है।
- यह ग्लाइकॉल-आधारित तरल पदार्थ है, जो मुख्य रूप से एथिलीन ग्लाइकॉल या प्रोपेलीन ग्लाइकॉल से बना होता है।

### एथिलीन ग्लाइकॉल

- 'एथिलीन ग्लाइकॉल' एक गंधहीन सिंथेटिक तरल औद्योगिक यौगिक है, जो उपभोक्ता उत्पादों, जैसे– मोटर वाहन शीतलक, हाइड्रोलिक ब्रेक तरल पदार्थ, पेंट, प्लास्टिक तथा सौंदर्य प्रसाधन आदि में पाया जाता है। इसका उपयोग कार, हवाई जहाज़ तथा नौकाओं में एंटीफ्रीज़ और डी-आइसिंग विलयन बनाने के लिये किया जाता है।
- एथिलीन ग्लाइकॉल स्वाद में मीठा होता है। सीमित मात्रा में इसका उपयोग फार्मास्यूटिकल उद्योग में भी किया जाता है।

### एथिलीन ग्लाइकॉल के दुष्प्रभाव

- एथिलीन ग्लाइकॉल अंतर्ग्रहण के बाद रासायनिक रूप से विषाक्त यौगिकों में टूट जाता है, इसके उप-उत्पाद केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, हृदय तथा गुर्दे को प्रभावित करते हैं। इसका प्रसार सामान्यत: वायु, जल, भोजन, तथा कृषि उत्पादों के माध्यम से होता है।
- इससे गंभीर मेटाबॉलिज़्म एसिडोसिस (ऐसी स्थिति जिसमें शरीर में बहुत अधिक एसिड जमा हो जाता है), गुर्दे की शिथिलता, हाइपरक्लेमिया, (वह स्थिति जिसमें शरीर में पोटेशियम का स्तर सामान्य से अधिक हो जाता है) तथा दृष्टिहीनता हो सकती है।
- यह तंत्रिका तंत्र को स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त कर देता है, जिससे व्यक्ति की मानसिक कार्यक्षमता प्रभावित होती है।

संस्कृति IAS
The Complete Administrative Culture

अखिल मूर्ति के निर्देशन में

## करेंट अफेयर्स की समग्र तैयारी एक ही प्लेटफॉर्म पर

करेंट अफेयर्स के साथ-साथ और भी बहुत-कुछ...

फॉलो करें

# www.sanskritiias.com

### न्यूज़ आर्टिकल

- अंग्रेज़ी के प्रमुख अखबारों (द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स, लाइव मिंट) से परीक्षोपयोगी समाचारों का हिंदी में विश्लेषण।
- पीआईबी, पीआरएस तथा अन्य महत्त्वपूर्ण वेबसाइट्स से परीक्षा की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण समाचारों का दैनिक विश्लेषण।
- राज्य सभा टीवी (RSTV) के महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमों का हिंदी में विश्लेषण।

### जिस्ट

करेंट अफेयर्स की महत्त्वपूर्ण पत्रिकाओं (योजना, कुरुक्षेत्र, डाउन टू अर्थ, साइंस रिपोर्टर, ई.पी.डब्ल्यू.) के प्रमुख लेखों का मासिक सार-संग्रह।

### कॉन्सेप्ट थ्रू इन्फोग्राफिक्स

करेंट अफेयर्स के महत्त्वपूर्ण विषयों का इंफोग्राफिक्स के माध्यम से प्रस्तुतीकरण।

### PT Card

प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्त्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के किसी विषय पर प्रतिदिन एक PT-Card.

### PT Quiz

प्रारंभिक परीक्षा के लिये प्रतिदिन करेंट अफेयर्स आधारित 5 प्रश्न और उनके व्याख्या सहित उत्तर।

### मुख्य परीक्षा मॉडल प्रश्नोत्तर

प्रतिदिन मुख्य परीक्षा (सामान्य अध्ययन) के प्रत्येक प्रश्नपत्र से एक प्रश्न तथा उसके उत्तर की मॉडल फ्रेमिंग।

### महत्त्वपूर्ण शब्दावली

समसामयिक घटनाओं तथा सामान्य अध्ययन के विषयों से संबंधित चर्चित अवधारणाओं/शब्दों का परिभाषिक अर्थ तथा संबंधित तथ्य

**नोट : यदि आप नियमित रूप से प्रतिदिन एक से डेढ़ घंटा इस वेबसाइट पर आकर पढ़ाई करते हैं, तो हम आपको आश्वस्त करते हैं कि करेंट अफेयर्स की तैयारी और मुख्य परीक्षा उत्तर-लेखन अभ्यास के लिये आपको किसी अन्य स्रोत पर निर्भर नहीं रहना होगा।**

631, भू-तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009 | संपर्क करें: 7428085757/58 या मिस्ड-कॉल करें: 9555-124-124

Website: www.sanskritiIAS.com | Follows us on: YouTube

# मानचित्र

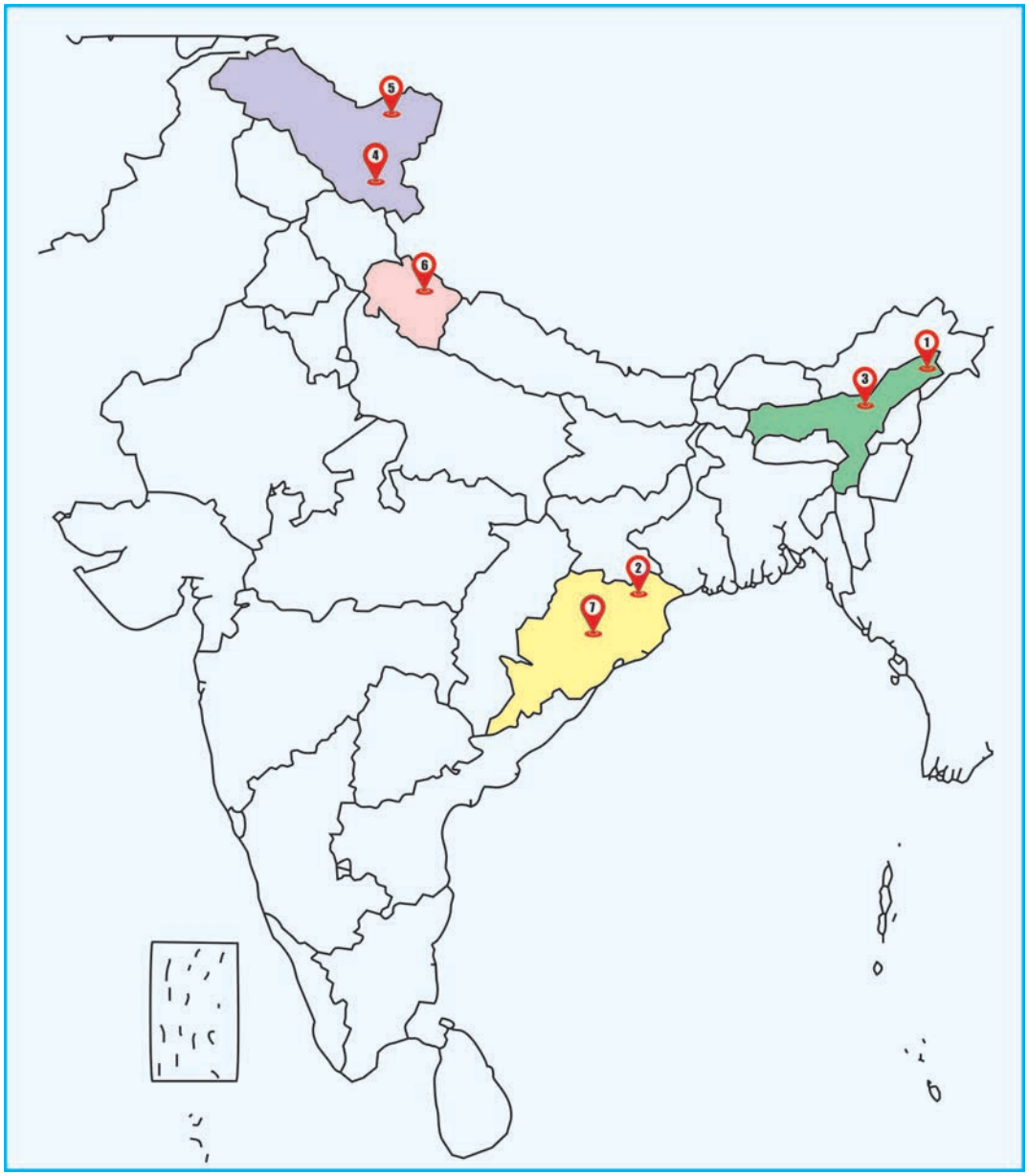

मानचित्र–1 (भारत)

1. वह स्थान जहाँ पर एक सदी के बाद मंदारिन बतखें देखी गईं।
2. वह जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो हाल ही में दावानल के कारण चर्चा में रहा।
3. विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जहाँ नए सेतु प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया।
4. रामसर स्थल सूची में शामिल होने वाली भारत की 42वीं आर्द्रभूमि।
5. चीन से विवाद को लेकर चर्चा में रहा भारत का महत्त्वपूर्ण स्थल।
6. वह स्थान जो 'इनर-लाइन परमिट' (ILP) प्रणाली को हटाने की माँग को लेकर चर्चा में रहा।
7. वह बाघ आरक्षित क्षेत्र जहाँ से 'सुंदरी' बाघिन को मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिज़र्व में स्थानांतरित किया गया।

*(इस मानचित्र के उत्तर पृष्ठ संख्या 140 पर देखें)*

## मानचित्र-2 (एशिया)

1. पश्चिमी एशिया का वह बंदरगाह जो रासायनिक विस्फोट के कारण चर्चा में रहा।
2. वह झील जो वर्षों तक सूखी रहने के बाद हाल ही में पुनः जलमग्न हो गई।
3. वह स्थान जहाँ पर 'ए नाइट विद बुद्धा' नामक एक कार्यक्रम में बुद्ध की प्रतिमा का 3डी प्रदर्शन किया गया।
4. वह क्षेत्र जो हाल ही में दो देशों के मध्य हुए संघर्ष के कारण चर्चा में रहा।
5. भारत के सहयोग से निर्मित होने वाला बाँध।
6. वह झील जिसके निकट पाए गए निक्षेपों के कुछ लक्षण मंगल ग्रह से एकत्रित निक्षेपों के समरूप हैं।
7. वह क्षेत्र जहाँ रोहिंग्या शरणार्थियों को बसाया जा रहा है।

*(इस मानचित्र के उत्तर पृष्ठ संख्या 141 पर देखें)*

## योजना

### वित्त आयोग

- वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 0 के तहत केंद्र एवं राज्यों के वित्तीय संसाधनों के प्रबंधन तथा विभाजन योग्य संसाधनों के नियमन हेतु किया गया है।
- प्रथम वित्त आयोग का गठन 2 नवंबर, 9 को श्री के.सी. नियोगी की अध्यक्षता में किया गया था। तब से अब तक 5 वित्त आयोग गठित किये जा चुके हैं।
- वित्त आयोग संविधान के अनुच्छेद 0 , 3 तथा 0 के अंतर्गत धनराशियों का अंतरण करता है। इन अनुच्छेदों में केंद्र और राज्यों के बीच कर एवं राजस्व के ऊर्ध्वाधर तथा सभी राज्यों के बीच क्षैतिज बँटवारे की प्रक्रिया का भी प्रावधान है।

### 15वाँ वित्त आयोग

- 15वें वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा 2 नवंबर, 0 को किया गया था। चार सदस्यीय इस वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह हैं।
- वर्ष 2021-26 के लिये राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत इसकी रिपोर्ट का शीर्षक 'वित्त आयोग कोविड के दौर' में है, जो महामारी के कारण अर्थव्यवस्था की गंभीर स्थिति तथा सीमित संसाधनों के कारण आयोग के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों को दर्शाता है।
- इस रिपोर्ट पर केंद्र सरकार ने 1 फरवरी, 0 को संसद में प्रस्तुत अपनी कार्रवाई प्रतिवेदन में अधिकतर सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं।
- 5 वें वित्त आयोग को राजस्व के बँटवारे के अतिरिक्त राज्यों को विशेष रूप से विभिन्न प्रकार की सहायता राशि देने के राजकोषीय सिद्धांतों की समीक्षा करने और उन पर टिप्पणी करने की ज़िम्मेदारी भी सौंपी गई है।
- साथ ही, आयोग को प्रतिरक्षा और आंतरिक सुरक्षा जैसे विषयों के लिये वित्त पोषण की सिफारिशें करने संबंधी प्रणाली निर्धारित करने का दायित्व भी सौंपा गया है।
- आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण में अच्छा प्रदर्शन करने वाले कुछ राज्यों की इस आशंका को भी सुलझाने का प्रयास किया है कि कुशल जनसांख्यिकीय प्रबंधन के बावजूद उन्हें दंडित किया जा सकता है।
- इसके अलावा, अव्यपगत रक्षा निधि और कार्यनिष्पादन प्रोत्साहन के कुछ मानदंडों के उपयोग से संबंधित चुनौतियों को भी उचित ढंग से निपटा लिया गया है।

### ऊर्ध्वाधर अंतरण : दृष्टिकोण और तर्क

- संविधान ने संघ और राज्यों को कराधान के विभिन्न स्रोतों से राजस्व जुटाने का अधिकार दिया है। साथ ही, यह ज़िम्मेदारी भी सौंपी है कि वे सातवीं अनुसूची में निर्दिष्ट तीनों सूचियों (संघ, राज्य और समवर्ती) के विषयों पर धन खर्च करें।
- संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, केंद्र सरकार को कर लगाने और संसाधन जुटाने की अधिक शक्तियाँ मिली हैं, जबकि राज्यों को खर्च करने की अधिक शक्ति प्राप्त है।
- स्पष्ट है कि केंद्र एवं राज्यों के बीच संरचनात्मक ऊर्ध्वाधर असंतुलन है। राजस्व और व्यय संबंधी उत्तरदायित्वों के बीच यह असंतुलन समुचित ऊर्ध्वाधर अंतरण का आधार है। 5 वें वित्त आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट में इस अंतरण को 4% करने की सिफारिश की है। इससे संसाधनों का पूर्वानुमान लगाने में मदद मिलेगी और उनमें स्थिरता बनाई रखी जा सकेगी।
- यह अंतरण पहली रिपोर्ट में अनुशंसित हिस्से और 14वें वित्त आयोग द्वारा आवंटित किये गए संसाधनों के अनुरूप है।
- 4 वें वित्त आयोग की सिफारिशों की तुलना में इस आयोग ने पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य के बदले हुए दर्जे के अनुसार नए केंद्रशासित प्रदेशों (जम्मू-कश्मीर और लद्दाख) के लिये करीब % का समायोजन किया है, क्योंकि अब इन प्रदेशों को संसाधन उपलब्ध कराने का दायित्व केंद्र सरकार का है।
- इस स्तर के ऊर्ध्वाधर अंतरण से जहाँ संघ को अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करने का अवसर मिलेगा, वहीं केंद्रशासित प्रदेशों को अपने मुक्त संसाधनों को उचित स्तर पर बनाए रखने में भी मदद मिलेगी।

### क्षैतिज वितरण

- करों का क्षैतिज वितरण आवश्यकता, समता और कार्यनिष्पादन के आधार पर किया जाता है।
- 15वें वित्त आयोग ने व्यय की आवश्यकता, समानता और कार्यनिष्पादन के सिद्धांतों के बीच सामंजस्य स्थापित करते हुए करों के क्षैतिज वितरण के लिये अग्रलिखित मानदंड तय किये हैं–

भी नवाचार एवं अनुसंधान के क्षेत्र में निजी निवेश को वर्तमान की सबसे बड़ी आवश्यकता बताया गया है।

- हालाँकि, देश में अनुसंधान एवं विकास पर जी.डी.पी. का मात्र 0.65% ही व्यय किया जाता है, जो विश्व की 10 आर्थिक महाशक्तियों की तुलना में कम है। ये महाशक्तियाँ अनुसंधान एवं विकास की गतिविधियों पर अपनी जी.डी.पी. का 1.5 से 3.0% तक व्यय करती हैं।
- विकसित देशों की तुलना में भारत निजी क्षेत्र अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों पर कम निवेश करता है, जबकि सरकार द्वारा नवाचार के लिये निजी क्षेत्रों को विभिन्न करों में आकर्षक छूट प्रदान की जाती है। भारत में जहाँ निजी क्षेत्र के नाम केवल 36% पेटेंट हैं, वहीं विकसित देशों में औसतन 62% पेटेंट निजी क्षेत्रों के नाम दर्ज हैं।

### बजट 2021-22 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

- बजट 2021-22 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र को विशेष प्रोत्साहन प्रदान किया गया है। इस क्षेत्र के लिये 13,949 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया गया है, इसमें 8,228 करोड़ रुपए पूँजीगत व्यय के रूप में शामिल हैं।
- कुल धनराशि में से 6,302 करोड़ रुपए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय को, 2,787 करोड़ रुपए जैव-प्रौद्योगिकी विभाग को तथा 5,385 करोड़ रुपए 'वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद्' को आवंटित किये गए हैं।
- बजट में एक 'राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन' के गठन का प्रावधान है, जिसके लिये पाँच वर्षों में 5,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएँगे।
- बजट में सामुद्रिक विकास एवं अनुसंधान पर भी बल दिया गया है। इसके लिये 'डीप ओशन मिशन' योजना अमल में लाई जाएगी, जिसके लिये सरकार अगले पाँच वर्षों में चार हज़ार करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध कराएगी।

### निष्कर्ष

केंद्र सरकार की दूरदृष्टि और अनुसंधान एवं विकास को दूसरी आवश्यकताओं से अधिक प्राथमिकता देने के कारण कृषि, स्वास्थ्य एवं औद्योगिक क्षेत्रों में देश निरंतर आत्मनिर्भर बन रहा है। साथ ही, इस क्षेत्र में 'विज्ञान, तकनीक एवं नवाचार नीति, 2020' के माध्यम से केंद्र सरकार ज़मीनी स्तर पर पहुँच सुनिश्चित कर रही है।

## मानव पूँजी और गुणवत्तापरक शिक्षा को जोड़ता बजट

### संदर्भ

प्रधानमंत्री ने वर्ष 2014 में 'फाइव टी' (T ) का सूत्र दिया था, जिसमें परंपरा (Trad tion) , प्रतिभा (Talen ), पर्यटन (Tou ism), प्रौद्योगिकी (Techn gy) और व्यापार (Trad ) के माध्यम से आगे बढ़ने का मंत्र निहित था। इसमें भारत की विशाल मानव पूँजी के उपयोग को उच्चतम स्तर तक पहुँचाने की अभिनव पहल भी छुपी थी।

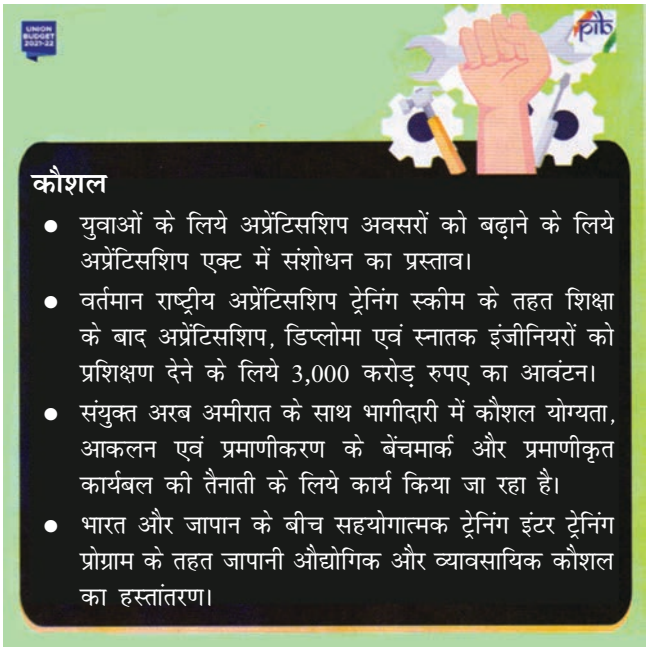


### शिक्षा : मानव पूँजी का महत्त्वपूर्ण घटक

- मानव पूँजी के बेहतर उपयोग के लिये आवश्यक है कि स्टार्टअप इंडिया तथा स्टैंडअप इंडिया जैसी पहलों को एक व्यापक फलक देकर युवा कौशल को उनके साथ जोड़ा जाए। हालाँकि, इसके लिये भारत की शिक्षा व्यवस्था में नीतिगत सुधारों की आवश्यकता है।
- एक आवश्यकता यह भी है कि भारतीय युवा को रोज़गार इच्छुक (Job Seek r) की परंपरागत मन:स्थिति से निकालकर रोज़गार प्रदाता (Job Prov d r) के अन्वेषी एवं उद्यमी मनोविज्ञान से जोड़ा जाए।
- अनेक रिपोर्ट्स भी इस ओर इशारा करती हैं कि भारत को 'रोज़गार संतुलन' पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। श्रम आपूर्ति एवं माँग के मध्य व्यापक भौगोलिक असमानता विद्यमान है। इसे देखते हुए प्रधानमंत्री ने 'प्रतिस्पर्द्धी संघवाद' पर ध्यान केंद्रित किया है।
- साथ ही, जनसांख्यिकीय लाभांश को प्राप्त करने के उद्देश्य से असंतुलनों को दूर करने के लिये 'मेक इन इंडिया', 'स्टार्टअप इंडिया', 'स्टैंडअप इंडिया', 'डिजिटल इंडिया' तथा 'मुद्रा योजना' जैसे कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया गया है, ताकि देश में एक नई उद्यमशीलता संस्कृति विकसित हो सके।

**बजट 2021-22 : मानव पूँजी को सशक्त बनाने के उपाय**

### विद्यालयी शिक्षा

- 15,000 से अधिक विद्यालयों में गुणवत्ता की दृष्टि से सुधार किया जाएगा, ताकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सभी घटकों का अनुपालन हो सके। इससे वे अपने-अपने क्षेत्र में एक उदाहरण पेश करेंगे, जिससे अन्य विद्यालयों के विकास में भी सहायता मिलेगी।
- गैर-सरकारी संगठनों/निजी विद्यालयों/राज्यों के साथ भागीदारी में 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित किये जाएँगे।

### उच्चतर शिक्षा

- भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग के गठन को लेकर इस वर्ष विधेयक पेश किया जाएगा। यह एक अम्ब्रेला निकाय होगा, जिसमें मापदंड-निर्धारण, प्रत्यायन, विनियमन और वित्तपोषण के लिये चार अलग-अलग घटक होंगे।
- सभी सरकारी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों द्वारा कई शहरों में अम्ब्रेला सिस्टम-एक छत्रक संरचनाओं की स्थापना की जाएगी, जिससे बेहतर समन्वय स्थापित किया जा सकेगा।
- उच्च शिक्षा के लिये लेह में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी।

### अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण

- जनजातीय क्षेत्रों में 750 एकलव्य मॉडल रिहायशी स्कूलों की स्थापना करने का लक्ष्य।
- अनुसूचित जाति के कल्याण के लिये पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना पुनः प्रारंभ की गई।

### कौशल विकास

- युवाओं के लिये अवसरों को बढ़ाने हेतु अप्रेंटिसशिप अधिनियम में सुधार का प्रस्ताव।
- इंजीनियरिंग में स्नातक और डिप्लोमाधारकों के लिये शिक्षा-उपरांत अप्रेंटिसशिप, प्रशिक्षण हेतु मौजूदा 'राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण योजना' (NATS) के पुनर्निर्माण के लिये 3,000 करोड़ रुपए।

## राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020

- मानव पूँजी के विकास हेतु निर्धारित उद्देश्यों को अधिक व्यापक आधार देने में 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020' निर्णायक सिद्ध होगी।
- भारत के लिये एक ऐसे शिक्षा मॉडल की आवश्यकता थी, जिसमें अनुसंधान एवं जिज्ञासा, सृजनशीलता व नवीनता, उन्नत प्रौद्योगिकी, उद्यमशीलता तथा नैतिकता जैसे घटक शामिल हों।
- नई शिक्षा नीति न केवल इन आवश्यक घटकों को आगे ले जाने के लिये प्रावधानों और संभावनाओं का समावेश करती है, बल्कि यह कुछ अन्य आयामों को जोड़ने का कार्य भी करती है जो 21वीं सदी की बाज़ारवादी प्रतिस्पर्द्धा के युग में बेहद आवश्यक है।
- इस नीति के प्रमुख पहलुओं में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, एक क्षत्रक व्यवस्था, सामाजिक समानता, सांस्कृतिक एवं प्रगतिशील शिक्षा, कौशल आधारित शिक्षा, अभिनव शिक्षा, अनुसंधान व विकास पर बल और डिजिटल शिक्षा के साथ-साथ न्यूनतम सरकार तथा अधिकतम शासन के प्रोत्साहन का संकल्प शामिल है।
- डॉ. के. कस्तूरीरंगन एवं उनके सहयोगियों ने लगभग ढाई लाख से अधिक लोगों से सुझाव लेकर अद्वितीय परिश्रम से एक बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रस्तुत किया।
- इस नीति के अंतर्गत शिक्षा के पुराने प्रतिरूप अर्थात् पाठ्यक्रम के 10+2+3 के स्थान पर 5+3+3+4 प्रतिरूप को अपनाना एक क्रांतिकारी परिवर्तन है। यह पाठ्यक्रम भारतीय युवाओं को बाज़ार की प्रतिस्पर्द्धा के साथ जोड़ेगा।
- नई शिक्षा नीति में दो मूलभूत आयाम और भी हैं। पहला, पाश्चात्यता के स्थान पर भारतीयता को प्रोत्साहन। यह 'वोकल फॉर लोकल' मंत्र के लिये प्रेरक का कार्य करेगा। दूसरा, इसमें उच्च शिक्षा में परिवर्तन लाने का खाका निहित है।
- वर्ष 2021-22 के बजट में मानव पूँजी और नई शिक्षा नीति के बीच स्थापित जुड़ाव को मज़बूत बनाने के लिये वित्तपोषण की उपयुक्त व्यवस्था की गई है।
- वित्त मंत्री ने बजट भाषण में 'राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान' (NRF) पर होने वाले परिव्यय को बढ़ाने की घोषणा की है। इसमें चुने हुए राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान देते हुए देश में समग्र शोध परिवेश को मज़बूत बनाया जा सकेगा। साथ ही, सरकार एक नई पहल के रूप में 'राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन' की शुरुआत भी करेगी।

### निष्कर्ष

यह वास्तविकता है कि युवा मस्तिष्क सबसे सशक्त संसाधन है। बजटीय प्रावधानों के साथ भारतीय युवा अब 'न्यू नॉर्मल' (ई-लर्निंग के लिये प्रयुक्त तकनीकी शब्द) के साथ आगे बढ़ेगा और 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' के साथ-साथ आत्मनिर्भर भारत की महान यात्रा का कुशल एवं मूल्यवान सहयात्री बनेगा। नई शिक्षा नीति और शिक्षा संबंधी अन्य प्रावधान इस दिशा में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएँगे।

## जलवायु परिवर्तन और बजट

### संदर्भ

- आर्थिक सर्वे, 2020-21 में यह अनुमान व्यक्त किया गया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था को कोरोना-पूर्व की स्थिति में पहुँचने और उससे आगे निकलने में महज दो वर्षों का समय लगेगा।

### सुझाव

- कमियों की पहचान के लिये व्यवस्था बनाने और इस दिशा में किये जा रहे प्रयासों का प्रभाव मापने के लिये मॉनिटरिंग व रिपोर्टिंग तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है।
- 'जलवायु बजट टैगिंग' (CBT) उपकरण के माध्यम से जलवायु-केंद्रित व्यय की पहचान, वर्गीकरण और आवंटन में मदद मिलेगी।
- विधायी प्रस्ताव में सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरण व प्रशासनिक प्रभावों का विस्तृत लेखा-जोखा शामिल करने से चुनिंदा नीतियों में छुपे नकारात्मक प्रभावों को शून्य करने में मिलेगी। इससे देश में पारदर्शी व प्रजातांत्रिक कानून निर्माण को बढ़ावा मिलेगा।
- अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने 'स्वच्छ ऊर्जा क्रांति' के अंतर्गत एक विस्तृत कार्य-योजना का प्रारूप प्रस्तुत किया, जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न हो रहे जोखिमों का निदान करना और जलवायु की वर्तमान आपात समस्याओं के समाधान में विश्व को नेतृत्व प्रदान करना है।

### निष्कर्ष

- वर्तमान में एक ऐसे व्यापक नज़रिये की आवश्यकता है जिसमें शिक्षा, जीवन शैली के मूल्य और विकास के दर्शन का समावेश हो। बजट 2021-22 में अनेक प्रयासों द्वारा जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये स्वच्छ ऊर्जा पर अधिक ध्यान, आपदा के समय त्वरित प्रतिक्रिया देने वाला आधारभूत ढाँचा, जल संचयन व संरक्षण, इलेक्ट्रिक वाहन आधारित यातायात सुविधा व चरणबद्ध पौधारोपण जैसे उपायों को शामिल किया गया है।
- अत: जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिये सभी साझेदारों को सामूहिक, व्यापक और समग्र रूप से मिलकर कार्य करना होगा।

## कुरुक्षेत्र

## बजट 2021-22 में कृषि क्षेत्र

### संदर्भ

- बजट 2021-22 डिजिटल रूप में पेश किया गया भारत का पहला बजट था। इसमें अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण, रोज़गार सृजन, विकास को गति प्रदान करने तथा निवेश में वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है।
- वर्ष 2020 में कोरोना महामारी के कारण लगने वाले लॉकडाउन से संपूर्ण अर्थव्यवस्था में 7.2% की गिरावट आई, जबकि कृषि क्षेत्र में 3.4% की वृद्धि देखने को मिली।
- सरकार कृषि क्षेत्र के विकास के लिये प्रतिबद्ध है तथा इसके लिये कई सुधारों, जैसे- आय में वृद्धि के लिये राहत पैकेज, किसानों के लिये उचित मूल्य तथा आपूर्ति शृंखला के सुधार की घोषणा की गई है।

### कृषि क्षेत्र

- बजट में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के लिये 1,31,531 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है। यह आवंटन बजट 2020-21 में मंत्रालय को किये गए आवंटन से 11,231 करोड़ रुपए कम है, जबकि बजट 2020-21 के संशोधित अनुमान से 7,000 करोड़ रुपए अधिक है। मंत्रालय को राशि आवंटन में की गई कमी की प्रमुख वजह पी.एम.-किसान योजना के आवंटन में की गई कटौती है। इसका प्रमुख कारण योजना के लिये पंजीकृत लाभार्थियों (11.62 करोड़) तथा वास्तविक लाभार्थियों (10.04 करोड़) के बीच का अंतर है।
- बजट में कृषि क्षेत्र के लिये आधारभूत संरचना के विकास पर विशेष बल दिया गया है। कृषि क्षेत्र में आधारभूत संरचना के पर्याप्त विकसित न होने के कारण फसलों की कटाई के बाद का नुकसान लगभग 15-20% है। सरकार ने कृषि क्षेत्र में आधारभूत संरचना के विकास के लिये मई 2020 में 1 लाख करोड़ रुपए के 'कृषि आधारभूत संरचना कोष' के गठन की घोषणा की थी।
- किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से बजट में ई-नाम (e-NAM) में वृद्धि करते हुए उसमें 1,000 और मंडियों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।
- कृषि क्षेत्र से जुड़े ऋण वितरण के लक्ष्य में 1 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है तथा वर्ष 2021-22 के लिये यह लक्ष्य 16 लाख करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। सिंचाई क्षेत्र में बेहतर विकास के लिये नाबार्ड के 'लघु सिंचाई फंड' को दोगुना कर दिया गया है।

### सब्सिडी व्यय

- बजट में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिये 16,000 करोड़ रुपए तथा लघु अवधि के ऋण पर ब्याज सब्सिडी के लिये 19,468 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई हैं।
- खाद्य तथा उर्वरक सब्सिडी के बोझ में तेज़ी से वृद्धि हो रही है। आर्थिक समीक्षा में खाद्य सब्सिडी व्यय में हो रही वृद्धि की समस्या को दूर करने की बात कही गई है। उर्वरकों पर दी जाने वाली सब्सिडी से जहाँ सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ रहा है, वहीं इनके असंतुलित प्रयोग से भूमि एवं फसलों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।

- उर्वरकों के असंतुलित प्रयोग से निपटने के लिये यूरिया को पोषण आधारित सब्सिडी के दायरे में लाने तथा प्रति हेक्टेयर उर्वरक के लिये प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की सुविधा जैसे कदम उठाए जा सकते हैं।

### न्यूनतम समर्थन मूल्य का प्रावधान

- सरकार ने बजट में न्यूनतम समर्थन मूल्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। बजट के अनुसार, 2020-21 में न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से गेहूँ लाभार्थियों की संख्या 43.36 लाख तथा धान के लिये लाभ पाने वालों की संख्या 1.54 करोड़ हो गई है।
- न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत आने वाली सभी 23 फसलों के मूल्यों में वृद्धि के साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य को उत्पादन लागत के डेढ़ गुना तक सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है।
- न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था पर्याप्त खाद्य भंडार को प्राप्त करने के साथ खाद्य सुरक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी महत्त्वपूर्ण है।

### महत्त्वपूर्ण घोषणाएँ

- बजट में ऑपरेशन ग्रीन योजना (2018) का विस्तार करते हुए इसमें शीघ्र खराब होने वाली 22 अन्य फसलों को शामिल किया गया है। पहले इस योजना में केवल आलू, प्याज तथा टमाटर को ही शामिल किया गया था।
- किसानों की आय को दोगुना करने में मत्स्यपालन क्षेत्र के महत्त्व को देखते हुए मत्स्यपालन विभाग के बजटीय आवंटन में 48% की वृद्धि की गई है। साथ ही, पाँच प्रमुख मत्स्यिकी बंदरगाहों– चेन्नई, विशाखापत्तनम, पाराद्वीप, कोच्चि तथा पेटुआघाट को आर्थिक गतिविधियों के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने का प्रावधान किया गया है।
- स्वामित्व योजना के क्षेत्र में वृद्धि करते हुए अब इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया है। इससे किसानों को उनकी भूमि का मालिकाना हक प्राप्त हो सकेगा, जिससे उन्हें बैंक-ऋण प्राप्त करने में आसानी होगी।
- बजट में सोना, चाँदी, शराब, कपास आदि वस्तुओं पर कृषि आधारभूत संरचना एवं विकास उपकर लगाने का प्रावधान किया गया है। पेट्रोल पर 2.5 रुपए तथा डीज़ल पर 4 रुपए प्रति लीटर की दर से उपकर लगाया जाएगा। इस उपकर से 3,000 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है।

## स्वस्थ नागरिक, सशक्त राष्ट्र

### बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिये प्रावधान

- भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के लिये किया जाने वाला बजट आवंटन प्रारंभ से ही बहुत कम रहा है। यह वर्ष 2014-15 में जी.डी.पी. का मात्र 1.2% था, जो वर्ष 2020-21 में बढ़कर 1.8% हो गया है।

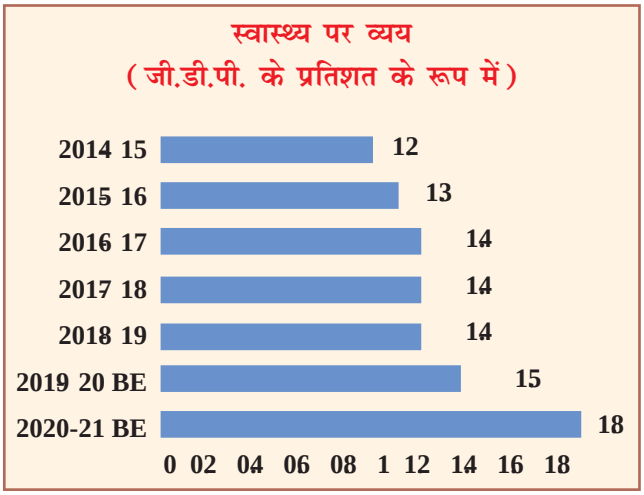


- राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 में स्वास्थ्य क्षेत्र में होने वाले व्यय को वर्ष 2024-25 तक बढ़ाकर जी.डी.पी. का 2.5% करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बजट 2021-22 में स्वास्थ्य एवं देखभाल के लिये आवंटन में 137% की वृद्धि करते हुए इसे बढ़ाकर 2,23,846 करोड़ रुपए कर दिया गया है।
- वर्ष 2021-22 का बजट कोविड-19 महामारी की अभूतपूर्व परिस्थितियों के बीच प्रस्तुत किया गया है। भारत अधिक जनसंख्या एवं उच्च जनसंख्या घनत्व वाला देश होने के बाद भी कोविड मामलों की पुष्टि एवं उससे होने वाली मृत्यु के संबंध में विश्व के अन्य देशों की तुलना में निचले पायदान पर रहा है।
- कोविड-19 पर नियंत्रण के लिये भारत ने वृहद् स्तर पर टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया है। इसमें बीमारी के प्रति अधिक सुभेद्य व्यक्तियों को वरीयता दी जा रही है।

### प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना

- बजट 2021-22 में 'प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना' की घोषणा छह वर्ष की अवधि के लिये 64,180 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ की गई। इस योजना का उद्देश्य प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक तीनों स्तरों पर स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करना है।
- इस योजना का लक्ष्य रोग निगरानी तंत्र को सुदृढ़ करना है, जिससे देश को भविष्य में सक्षम तरीके से रोगों का सामना करने के लिये तैयार किया जा सके। इसके अंतर्गत 4 क्षेत्रीय राष्ट्रीय विषाणु संस्थान, 15 स्वास्थ्य आपातकालीन संचालन केंद्र, 2 मोबाइल अस्पताल तथा 1 'नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ' की स्थापना का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, 602 ज़िलों और 12 केंद्रीय संस्थानों में हॉस्पिटल ब्लॉक की स्थापना की जाएगी।

## अवसंरचना विकास एवं ग्रामीण भारत

### संदर्भ

- वर्ष 2021-22 का बजट 'आत्मनिर्भर भारत' की संकल्पना पर आधारित बजट है। इसमें ग्रामीण भारत की अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से कई महत्त्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।
- ग्रामीण क्षेत्र में किये जाने वाले निवेश से आर्थिक गतिविधियों के विस्तार के साथ ही रोज़गार के नवीन अवसरों का भी सृजन होता है। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के साथ ही गरीबी को कम करने में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं, जैसे- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), सौभाग्य (ग्रामीण), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) तथा डिजिटल भारत आदि से ग्रामीण क्षेत्र की आधारभूत अवसंरचना के विकास को गति मिल रही है।

### मनरेगा

- सरकार ने अप्रैल 2020 में मनरेगा के लिये दी जाने वाली मज़दूरी को 182 रुपए से बढ़ाकर 202 रुपए कर दिया है तथा कुल भुगतान का 99% लाभार्थियों के खातों में किया गया है।
- वर्ष 2021-22 के बजट में मनरेगा के लिये 73,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसके साथ ही, सरकार ने आश्वस्त किया है कि यदि भविष्य में आवश्यकता होती है, तो वह इसके लिये और धन उपलब्ध कराएगी।

### प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

- इस योजना का प्रारंभ 25 दिसंबर, 2000 को हुआ था। इसके अंतर्गत अब तक 6 लाख 42 हज़ार किमी. सड़कों का निर्माण किया जा चुका है। बजट 2021-22 में इसके लिये 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
- सड़क नेटवर्क के क्षेत्र में भारत का विश्व में द्वितीय स्थान है। इसमें ग्रामीण सड़कों की भागीदारी 80% है। खराब सड़कों की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण में 'मेरी सड़क' ऐप बहुत ही सहायक सिद्ध हुआ है।

### प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) को 20 नवंबर, 2016 को प्रारंभ किया गया था। इसके अंतर्गत वर्ष 2022 तक 2.95 करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2021-22 के बजट में इसके लिये 27,500 करोड़ रुपए आवंटित किये गए हैं।
- इस योजना में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के सहयोग से एल.पी.जी. कनेक्शन तथा सौभाग्य योजना के सहयोग से विद्युत कनेक्शन प्रदान करने की व्यवस्था है।

### जल जीवन मिशन

- इस योजना को अगस्त 2019 में प्रारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- इस योजना में प्रति व्यक्ति 55 लीटर जल प्रतिदिन उपलब्ध कराने के लिये 3.60 लाख करोड़ रुपए व्यय किये जाएँगे। वर्ष 2021-22 के बजट में इसके लिये 50,011 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। शत-प्रतिशत परिवारों को नल कनेक्शन उपलब्ध कराने वाला गोवा देश का पहला राज्य बन गया है।

### श्यामा प्रसाद मुखर्जी शहरी-ग्रामीण मिशन

- इस मिशन को 5142.08 करोड़ रुपए की लागत से 16 सितंबर, 2015 को प्रारंभ किया गया। इसमें 14 घटक हैं।
- इनमें कृषि प्रसंस्करण, कृषि सेवाएँ, संग्रहण एवं भंडारण, मोबाइल स्वास्थ्य इकाई, विद्यालय, स्वच्छता, पाइप द्वारा जलापूर्ति, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन इत्यादि प्रमुख हैं।

### अन्य महत्त्वपूर्ण पहलू

- बजट में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिये 11,588 करोड़ रुपये तथा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के लिये 9,994 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
- किसान ऊर्जा सुरक्षा महाभियान (कुसुम योजना) के अंतर्गत देश के तीन करोड़ डीज़ल या बिजली से चलने वाले पंप सेटों को सौर ऊर्जा से संचालित किये जाने की दिशा में प्रयास किये जा रहे हैं। इसके साथ ही ड्रिप सिंचाई सहित अन्य क्षेत्रों में भी कार्य किया जा रहा है।

# डाउन टू अर्थ

## भारतीय किसान की वर्तमान स्थिति

### संदर्भ

भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने में किसानों का सबसे महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। भारत में एक किसान के पास 1.08 हेक्टेयर औसत भूमि है। उद्योगों के आठ प्रकारों में केवल कृषि ही वह क्षेत्र है, जिसने वर्ष 2020-21 में महामारी के बावजूद वृद्धि दर्ज की है। इन सबके बावजूद किसानों के सम्मुख कई समस्याएँ विद्यमान हैं।

गंगोत्री और यमुनोत्री को आपस में जोड़ेगी। जहाँ यह परियोजना निर्माणाधीन है, वहाँ की ज़मीन रेतीली है, जिसके कारण भूस्खलन का जोखिम अधिक है।

- इस परियोजना के कारण हिमालयी क्षेत्र में पेड़ों की कटाई एवं निर्माण कार्यों से हिमनदों को गंभीर क्षति पहुँच सकती है।
- हिमालयी क्षेत्र प्राकृतिक रूप से आपदाओं के प्रति संवेदनशील है। यहाँ की द्रोणियाँ इतनी पतली एवं उथली हैं कि ये बाढ़ को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं होती हैं।
- 'नेचर जर्नल' के एक अध्ययन के अनुसार, एशिया के पर्वतीय क्षेत्रों में हिमनदों से संबंधित भूस्खलन में अत्यंत वृद्धि हुई है।

### निष्कर्ष

- आपदाओं की बारंबारता एवं तीव्रता को कम करने के लिये हिमालयी क्षेत्र का लगातार अध्ययन होना चाहिये, जिससे हिमनदों की स्थिति से संबंधित जानकारी प्राप्त होती रहे। साथ ही, इस जानकारी को समय-समय पर स्थानीय लोगों में भी प्रसारित किया जाना चाहिये।
- चारधाम परियोजना पर पुनर्विचार किया जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त, अपशिष्ट पदार्थों (कूड़ा-करकट, गैर-उपयोगी पूजा सामग्री आदि) को नदियों में प्रवाहित करने पर रोक लगाई जानी चाहिये। इससे नदियों का जल स्तर नियंत्रित रहेगा और बाढ़ की बारंबारता में कमी आएगी।

## जलवायु परिवर्तन एवं जल संसाधन

### संदर्भ

- जलवायु परिवर्तन का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जल संसाधन पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। भारत जैसे संवेदनशील देश में इसके गंभीर सामाजिक-आर्थिक प्रभाव परिलक्षित हो रहे हैं। लाखों गरीब लोग घटते जल संसाधन, आर्द्रभूमियों में आ रही गिरावट और बदतर जल प्रबंधन के साथ जीने के लिये संघर्ष कर रहे हैं।
- जल संसाधन तेज़ी से घट रहे हैं। बदलते वर्षा पैटर्न के कारण सतही जल की उपलब्धता में कमी के कारण भू-जल पर निर्भरता बढ़ी है।

### जल संकट के प्रभाव

- 'अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान' के अध्ययन के अनुसार, विश्व की आधी से अधिक आबादी को वर्ष 2050 तक जल की कमी के कारण जोखिमपूर्ण स्थितियों का सामना करना पड़ेगा।
- बाढ़ एवं लंबे समय तक सूखे जैसी आपदाएँ मानसिक स्वास्थ्य जैसे विकारों का कारण बनती हैं। कृषि के अतिरिक्त मत्स्य क्षेत्र में संकट भी खाद्य सुरक्षा के लिये खतरा है।
- जल की कमी से जल संबंधी विवादों के बढ़ने एवं नए विवादों के उत्पन्न होने की आशंका है।
- जल स्रोतों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से संबंधित कई अन्य सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक मुद्दे हैं, जो मानव जीवन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते है, जैसे– खाद्य पदार्थों एवं जल की कीमतों में वृद्धि तथा इनके आवंटन में असमानता, पलायन, हिंसा तथा पर्यटन में कमी आदि।
- जलवायु परिवर्तन के प्रति कुछ वर्ग बेहद संवेदनशील हैं। इनमें बच्चे, बुजुर्ग एवं बीमार शामिल हैं। इनके अतिरिक्त, गर्भवती महिलाएँ, मानसिक रोगों से पीड़ित व्यक्ति, निम्न सामाजिक-आर्थिक स्थिति वाले लोग, प्रवासी एवं शरणार्थी असुरक्षित हो सकते हैं।

### निष्कर्ष

- विश्व आर्थिक मंच ने वैश्विक जोखिमों में प्रथम स्थान पर जल संकट को ही रखा है। इसके चलते दुनिया के सभी क्षेत्रों में आर्थिक और सामाजिक क्षति पहुँचने की आशंका है।
- 21वीं सदी के अंत तक जलवायु परिवर्तन से सूखे की घटनाओं और तीव्रता में वृद्धि होने की आशंका है।

## बदहाल होती नदियाँ

### संदर्भ

- 'केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड' (CPCB) एवं राज्यों की प्रदूषण निगरानी एजेंसियों के विश्लेषण से यह जानकारी मिलती है कि सतही जल स्रोतों का लगभग 90% हिस्सा अब उपयोग योग्य नहीं बचा है।
- वर्ष 0 की एक रिपोर्ट के अनुसार, सतही जल का लगभग 0% हिस्सा प्रदूषित है। इसके लिये उत्तरदायी कारक; घरेलू सीवेज, अस्वच्छता, खराब सेप्टेज प्रबंधन एवं अनुचित साफ-सफाई की नीतियाँ हैं।

### नदियों में दूषित जल का निकास

- नदियों में बढ़ते प्रदूषण के साथ-साथ इनके प्रवाह में बदलाव, क्षीण होती जैव-विविधता, बालू खनन आदि का प्रभाव पड़ रहा है।
- 'केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड' (CPCB) की वर्ष 0 की रिपोर्ट के अनुसार, 6 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों में से 3 में नदियों का प्रवाह प्रदूषित है। महाराष्ट्र में सबसे अधिक 3 प्रदूषित प्रवाह हैं, इसके बाद असम तथा मध्य प्रदेश का स्थान आता है।
- सी.पी.सी.बी. की वर्ष 0 की रिपोर्ट में जहाँ 2 नदियों के 0 प्रवाह प्रदूषित थे, वहीं वर्ष 0 की रिपोर्ट में 3 नदियों के 3 प्रवाह प्रदूषित हैं।

- सी.पी.सी.बी. ने अधिसूचित किया है कि एक लीटर जल में 0 मिलीग्राम से अधिक जैविक ऑक्सीजन माँग (BOD) होने पर जल की गुणवत्ता को बेहद खराब माना जाएगा।
- सी.पी.सी.बी. ने गंगा नदी के प्रदूषण की निगरानी के लिये एक तैयार मानचित्र में जानकारी दी कि गंगा के मुख्य मार्ग के जल की गुणवत्ता चिंताजनक रूप से खराब है।
- गंगा नदी के कन्नौज से गाजीपुर तक के प्रदूषण को असंतोषजनक बताया गया है। इन स्थानों पर टोटल कोलीफार्म (TC) की मात्रा 0 एम.पी.एन. (मिनिमम प्रोपेबल नंबर) प्रति 0 मिली. दर्ज की गई है।

## प्रदूषण की स्थिति

- गंगा की सफाई को प्राथमिकता देते हुए तीन साल पहले 'नदी सफाई कार्यक्रम' शुरू किया गया था, किंतु इससे गंगा की स्थिति में विशेष परिवर्तन नहीं आया।
- लॉकडाउन का विशेष प्रभाव गंगा नदी पर नहीं पड़ा, जबकि यमुना नदी के पानी की गुणवत्ता में मामूली सुधार हुआ।
- भू-जल पर निर्भरता दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। एक अनुमान के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 0% घरेलू जल आवश्यकताएँ भू-जल से पूरी होती हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों की 0% निर्भरता भू-जल पर है।
- वर्ष 0 में 'एनवायरनमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेटर्स' नाम के जर्नल में यह कहा गया था कि देश के 6 राज्यों का जल यूरेनियम से दूषित है। एक अन्य अध्ययन में कहा गया कि यूरेनियम का मुख्य स्रोत प्राकृतिक है। सिंचाई के लिये अधिक मात्रा में भू-जल की निकासी से भू-जल स्तर में गिरावट आई है।
- इसके अतिरिक्त, समुद्री जल का रिसाव, औद्योगिक अपशिष्ट एवं अव्यावहारिक कृषि पद्धतियों के कारण भू-जल गंभीर रूप से प्रदूषित हो रहा है।

## किसान एवं सरकार

### संदर्भ

- विगत 0 वर्षों में संपूर्ण विश्व में 'सुधार' शब्द ने एक विशिष्ट अर्थ ग्रहण कर लिया है। इसके अंतर्गत सरकार के हस्तक्षेप को कम करते हुए, निजीकरण, उदारीकरण व वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया जाता है। इसे 'वाशिंगटन सहमति' के नाम से भी जाना जाता है।
- विगत कुछ समय से ग्रामीण भारत की समस्याओं को देखते हुए सरकार की आलोचना की जा रही है, किंतु भारत की सामाजिक-आर्थिक विशेषता को ध्यान में रखते हुए सरकार को किसानों तथा उपभोक्ताओं के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिये बाज़ारों में हस्तक्षेप करने के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक निवेश भी करते रहना होगा।

### कृषि और उद्योग : भिन्न-भिन्न क्षेत्र

- उद्योग क्षेत्र की भाँति भारतीय कृषि को 'असेंबली लाइन' में आयोजित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि भारत में मानसून की शुरुआत के साथ खेत में बुआई की जाती है और मौसम के बदलते स्वरूप के साथ उत्पादन की विभिन्न गतिविधियाँ संचालित की जाती हैं।
- भारत में लगभग 0% किसान लघु एवं सीमांत वर्ग के हैं, जो 2 हेक्टेयर से कम भूमि पर कृषि कार्य करते हैं। ऐसे किसान कृषि उपज के भंडारण के लिये गोदामों का व्यय वहन करने में सक्षम नहीं होते, जिस कारण उन्हें अपनी फसल बेचने के लिये मजबूर होना पड़ता है। ऐसी स्थिति में सरकार के हस्तक्षेप के बिना किसान और उपभोक्ता, दोनों को नुकसान उठाना पड़ेगा।

### सरकार की भूमिका

कृषि क्षेत्र विभिन्नताओं से भरा है, जिस कारण कृषकों एवं उपभोक्ताओं के हितों का ध्यान रखते हुए सरकार को बाज़ार में हस्तक्षेप करना पड़ता है। इसके अभाव में प्राय: गंभीर असंतुलन के कारण भारतीय बाज़ार गरीबों, दलितों व आदिवासियों के शोषण का एक बड़ा माध्यम बन जाता है। निम्नलिखित कारणों से सरकार की विशेष भूमिका तय होती है–

- डैनी रोड्रिक का एक वक्तव्य है कि "सभी बाज़ारों का अस्तित्व बनाए रखने और प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिये सरकारी संस्थाओं को विशाल ढाँचे की आवश्यकता होती है, जो बाज़ारों को संचालित करते हैं।" इनमें कर प्रणाली, कानून व्यवस्था, अदालतें, पुलिस बल, नौकरशाह, केंद्रीय बैंक आदि संस्थाओं का होना आवश्यक है।
- किसान प्राय: सूदखोरों, साहूकारों एवं बड़े व्यापारियों के चंगुल में फँस जाते हैं। ये किसानों को 0 –0% वार्षिक ब्याज दर पर ऋण प्रदान करते हैं। इससे किसान ऋण के कुचक्र में उलझ जाते हैं। ऐसे में सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक है।
- पूँजीवादी देश अपने किसानों को सब्सिडी प्रदान करते हैं, किंतु यही देश यह भी चाहते हैं कि भारत 'विश्व व्यापार संगठन' (WTO) का सदस्य बने रहने के लिये अपने किसानों को इस प्रकार की सहायता न दे और मुक्त बाज़ार की नीति का अनुसरण करे।
- कृषि क्षेत्र की बेहतरी और किसानों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से सरकार बाज़ारों में हस्तक्षेप करती है।

- भारतीय खाद्य निगम (FCI) और कृषि मूल्य आयोग दोनों का गठन वर्ष [illegible] में इस सोच से किया गया था कि हरित क्रांति से किसानों के अतिरिक्त उत्पादन को उस कीमत पर खरीदा जाए कि फसल की लागत निकलने के बाद उन्हें उचित मुनाफा मिल सके। इसके लिये खरीदी गई फसल को 'सार्वजनिक वितरण प्रणाली' (PDS) के माध्यम से उपभोक्ताओं को कम मूल्यों पर दिये जाने की व्यवस्था की गई, जिससे किसानों एवं उपभोक्ताओं दोनों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित हुई।

## प्रमुख चुनौतियाँ

- हरित क्रांति खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। हालाँकि, इसने गंभीर संकट उत्पन्न कर दिया, जिसके कारण देश के [illegible]% ज़िलों में भू-जल स्तर एवं जल की गुणवत्ता में कमी आई और अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से उत्पादन भी कम होने लगा।
- देश का [illegible]% जल कृषि में उपयोग होता है, जिसका [illegible]% तीन फसलों– गेहूँ, चावल और गन्ने में प्रयोग किया जाता है। यह चिंता का विषय है कि ऐसे भागों में भी इन्हीं तीन फसलों की खेती की जाती है, जहाँ जल की अत्यंत कमी है। चूँकि, सरकारी खरीद पूर्णत: चावल, गेहूँ पर ही आधारित है, जबकि अन्य फसल उगाने वाले किसानों को ऐसा समर्थन मूल्य नहीं मिलता है। इसके साथ ही, सबसे बड़ी समस्या यह है कि सरकारी खरीद बहुत कम किसानों से तथा कुछ ही राज्यों में की जाती है।
- वर्ष 2[illegible] के आँकड़ों से पता चलता है कि सरकार का मुख्य लक्ष्य उपभोक्ता हैं, न कि किसान। वस्तुत: इन वर्षों में जब दालों की माँग बढ़ी, तो सरकार ने न केवल अपनी खरीद में दालों को शामिल किया, बल्कि आयात भी किया।

## प्रमुख सुझाव

- वर्तमान में सरकारी खरीद के दायरे में अधिक फसलों तथा क्षेत्रों को शामिल किया जाना चाहिये। इससे किसानों की आय में वृद्धि, जल सुरक्षा एवं स्वास्थ्य में सुधार होगा।
- शाह और विजयशंकर की रिपोर्ट ([illegible] में कहा गया है कि यदि फसलों को उनके पारिस्थितिकी अनुकूल क्षेत्रों में उगाया जाए, तो जल की अधिक बचत की जा सकती है। इस बदलाव को प्रोत्साहित करने के लिये सरकार को इन फसलों को अपनी खरीद योजना में शामिल करना होगा।
- स्थानीय रूप से खरीदी गई फसलों को आँगनबाड़ी केंद्रों एवं विद्यालयों की मिड-डे-मील योजना में शामिल किया जाना चाहिये। इससे किसानों को स्थायी बाज़ार उपलब्ध होंगे। साथ ही, भारत में कुपोषण से निपटने में भी मदद मिलेगी।
- इसके अतिरिक्त, भारत में मंडियों के विस्तार की आवश्यकता है। वर्तमान में भारत में कुल [illegible] मंडियाँ तथा [illegible] उप-मंडियाँ हैं। इनके द्वारा सिर्फ [illegible]% कृषि उपज ही खरीदी जाती है। एक अनुमान के अनुसार, भारत को अभी [illegible] मंडियों की और आवश्यकता है। साथ ही, इन मंडियों के काम-काज को पारदर्शी और किसान हितैषी बनाने की भी आवश्यकता है।
- अधिकाधिक ज़रूरतमंदों तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिये स्वयं सहायता समूहों के बैंक लिंकेज को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
- वर्तमान में रासायनिक कृषि के बेहतर विकल्प की तलाश करनी होगी, जो मृदा की पोषक क्षमता में वृद्धि करे। हालाँकि, वर्ष [illegible] के बजट में रासायनिक उर्वरकों हेतु लगभग [illegible] करोड़ रुपए सब्सिडी प्रदान की गई थी।
- रासायनिक उर्वरकों हेतु प्राप्त होने वाली सब्सिडी को जैविक फसलों की दिशा में बदलना होगा। इससे ग्रामीण आजीविका की व्यापक संभावना उत्पन्न होगी।
- भारतीय किसानों द्वारा बाज़ार का लाभ उठाने के लिये स्वयं का एक शक्तिशाली संगठन बनाना चाहिये। इसके लिये सरकार के समर्थन की भी आवश्यकता होगी।
- कृषि में निवेश को बढ़ावा देने के साथ-साथ कृषि को आवश्यक बदलावों के साथ भी जोड़ना होगा।

# मनरेगा का महत्त्व एवं ग्रामीण विकास में भूमिका

## संदर्भ

- 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम' अर्थात् मनरेगा को वर्ष [illegible] में देश के सबसे पिछड़े [illegible] ज़िलों में प्रारंभ किया गया था, बाद के वर्षों में इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया। मनरेगा का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी दूर करने के लिये प्रत्येक परिवार से एक सदस्य को [illegible] दिन के रोज़गार का वैधानिक अधिकार प्रदान करना है।
- इस कानून के अंतर्गत हुए कार्यों में [illegible]% कार्य जल संरक्षण से संबंधित हैं। यही कारण है कि अनेक कमियों के बावजूद मनरेगा के तहत [illegible] वर्षों में [illegible] करोड़ से भी अधिक जल संपत्तियों का निर्माण किया जा चुका है।

## मनरेगा : ग्रामीण विकास को समर्पित

- मनरेगा योजना ग्रामीण क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों के साथ ही जल स्रोतों के प्रबंधन पर भी केंद्रित है।
- विगत कुछ वर्षों में व्यक्तिगत परिसंपत्तियों के निर्माण पर विशेष बल दिया गया है। वर्ष [illegible] में जारी दिशा-निर्देश में व्यक्तिगत ज़मीन पर परिसंपत्तियाँ विकसित करने को शामिल कर प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के दायरे को विस्तृत कर दिया गया।

- मनरेगा के तहत निर्मित जल संपत्तियों से मृदा की गुणवत्ता एवं भू-जल में सुधार हुआ है।
- मनरेगा के अंतर्गत निर्मित सामूहिक परिसंपत्तियों से समाज एवं पर्यावरण पर प्रभाव पड़ा या नहीं, इसकी जाँच के लिये कई शोध किये गए, जिससे यह निष्कर्ष निकला कि कर्नाटक जैसे राज्य, जहाँ कठोर चट्टानें पाई जाती हैं, वहाँ वर्ष [redacted] की अवधि में विभिन्न जल संपत्तियों द्वारा [redacted] क्यूबिक मीटर जल भंडारण क्षमता विकसित की गई, जो दिल्ली के वार्षिक घरेलू जल की आवश्यकता का छह गुना है।
- इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ द्वारा वर्ष 2018 में किये गए एक अध्ययन के अनुसार, 21 राज्यों के 30 ज़िलों के अलग-अलग जलवायु क्षेत्रों के सर्वेक्षण में कहा गया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत में मनरेगा सबसे विश्वसनीय कार्यक्रम सिद्ध हुआ है।

### निष्कर्ष

मनरेगा की समीक्षा से यह स्पष्ट होता है कि इस योजना ने ग्रामीण क्षेत्रों में जल की उपलब्धता में वृद्धि की है। मनरेगा के अंतर्गत निर्मित संपत्तियों का सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि इससे जल उपलब्धता में वृद्धि से उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है।

## इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली

## कृषि कानून : आधुनिकीकरण के साथ संघर्ष और ज़मीनी वास्तविकता

### संदर्भ

संसद द्वारा पारित 'कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्द्धन एवं सरलीकरण) अधिनियम', 'कृषक (सशक्तीकरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन एवं कृषि सेवा पर करार अधिनियम' और 'आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम' विगत कुछ महीनों से चर्चा में हैं। इन कानूनों के विरुद्ध देश भर में किसान एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालाँकि, प्रदर्शनकारियों की कोई एकीकृत माँग नहीं है, परंतु किसानों की मुख्य चिंता न्यूनतम समर्थन मूल्य, व्यापार क्षेत्र, व्यापारी, विवाद समाधान और बाज़ार शुल्क से संबंधित है।

### अधिनियमों के मुख्य बिंदु

- प्रथम अधिनियम [कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्द्धन एवं सरलीकरण) अधिनियम, 2020] के अनुसार, किसी राज्य के 'कृषि उपज विपणन समिति' (APMC) अधिनियम या राज्य के किसी अन्य कानून के अंतर्गत किसी भी किसान पर या इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग तथा लेन-देन पर कोई भी बाज़ार शुल्क, उपकर या लगान नहीं लगाया जाएगा।
- द्वितीय अधिनियम [कृषक (सशक्तीकरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन एवं कृषि सेवा पर करार अधिनियम, 2020] में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की गई है। यह निर्णय छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इसमें किसान किसी भी रोपण या फसली मौसम से पहले खरीदारों के साथ अनुबंध कर सकते हैं।
- 'आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020' के अनुसार, असाधारण परिस्थितियों, जैसे युद्ध और गंभीर प्राकृतिक आपदाओं को छोड़कर खाद्य पदार्थों के स्टॉकहोल्डिंग या भंडारण की सीमा समाप्त कर दी गई है। इस अधिनियम के माध्यम से अनाज, दलहन, खाद्य तेल, आलू एवं प्याज को अनिवार्य वस्तुओं की सूची से हटा दिया गया है, अर्थात् अब इनका भंडारण किया जा सकेगा।

### किसानों की प्रमुख शंकाएँ

- कृषि कानूनों के संदर्भ में किसानों की प्रमुख शंका है कि 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' (MSP) पर कृषि उपज की खरीद बंद हो सकती है।
- यदि कृषक उपज को पंजीकृत ए.पी.एम.सी. के बाहर बेचा जाएगा, तो मंडियाँ समाप्त हो जाएँगी।
- कीमतें तय करने की कोई प्रणाली न होने और निजी क्षेत्र के अधिक हस्तक्षेप से कीमतें निर्धारित करने में कठिनाई होगी।
- कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों का पक्ष कमज़ोर होगा और वे कीमतों का निर्धारण नहीं कर पाएँगे।
- आवश्यक वस्तु अधिनियम के विरोध में यह भी तर्क दिया जा रहा है कि दाल, प्याज एवं खाद्य तेल जैसी खाद्य सामग्रियाँ दैनिक आवश्यकता की वस्तुएँ हैं। संशोधन से किसानों व उपभोक्ताओं को नुकसान होगा और इससे आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी बढ़ने की आशंका है।

### सरकार का पक्ष

- केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि एम.एस.पी. पर पहले की तरह ही खरीद जारी रहेगी। गौरतलब है कि रबी मौसम के लिये एम.एस.पी. पहले से ही घोषित किया जा चुका है।
- मंडियों में पूर्ववत् व्यापार जारी रहेगा। इस व्यवस्था में किसानों को मंडी के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी अपनी उपज बेचने का विकल्प प्राप्त होगा।
- सरकार का यह भी कहना है कि किसान देश में किसी भी बाज़ार या ऑनलाइन ट्रेडिंग के माध्यम से अपनी फसल बेच सकते हैं। इस प्रकार, कई विकल्प उपलब्ध होने से किसानों को अपनी उपज की बेहतर कीमत मिलेगी। साथ ही, मंडियों में ई-नाम (e-NAM) ट्रेडिंग व्यवस्था भी जारी रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स पर कृषि उत्पादों का व्यापार बढ़ेगा, इससे पारदर्शिता सुनिश्चित होने के साथ-साथ समय की बचत भी होगी।
- किसानों को अनुबंध में इस बात की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होगी कि वे अपनी इच्छा के अनुरूप उपज की कीमत तय कर उसे

# महत्त्वपूर्ण तथ्य : एक नज़र में

मैरीटाइम इंडिया समिट, 2021 के दौरान वर्ष 2030 तक 23 जलमार्गों को प्रारंभ करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

डॉ. हर्षवर्धन ने **'ग्लोबल बायो इंडिया-2021'** के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया, जिसकी थीम 'बायो-साइंसेज़ टू बायो-इकोनॉमी' तथा टैगलाइन 'ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स' थी।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने मुख्यत: दिव्यांगों और वृद्धजनों के लिये 'सुगम्य भारत ऐप' लॉन्च किया है।

एल-साल्वाडोर 'मलेरिया मुक्त' घोषित होने वाला पहला मध्य अमेरिकी देश बन गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की 'E-2020 पहल' कुछ चुनिंदा देशों में वर्ष 2020 तक मच्छरजनित बीमारियाँ समाप्त करने से संबंधित थी।

राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत नागपुर से होकर बहने वाली नाग नदी के लिये 'नाग नदी प्रदूषण नियंत्रण परियोजना' को मंज़ूरी दी गई है।

'डेज़र्ट फ्लैग' युद्धाभ्यास के छठे संस्करण में भारतीय वायुसेना ने पहली बार भागीदारी की। यह एक वार्षिक और बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है, जिसे संयुक्त अरब अमीरात (UAE) वायु सेना की मेज़बानी में आयोजित किया जाता है। यह अभ्यास यू.ए.ई. के अल-दाफरा एयरबेस पर आयोजित किया जा रहा है।

कर्नाटक ने देश की पहली 'इंजीनियरिंग अनुसंधान और विकास नीति' का शुभारंभ किया है।

निर्वाचन आयोग ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 29A के तहत 'राजनीतिक दलों का पंजीकरण-सार्वजनिक नोटिस' की अवधि को 30 दिनों से घटाकर 7 दिन कर दिया है।

लोक सभा और राज्य सभा टी.वी. चैनल्स का विलय कर 'संसद टी.वी.' नामक एक नए चैनल का शुभारंभ किया गया है। इसके लिये प्रसार भारती के पूर्व प्रमुख सूर्य प्रकाश की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। राजीव कपूर को संसद टी.वी. का 'मुख्य कार्यकारी अधिकारी' (CEO) नियुक्त किया गया है।

देश का पहला ग्रेड पृथक शहरी एक्सप्रेसवे 'द्वारका एक्सप्रेसवे' (एन.एच.- 248 बी.बी.) है, जो दिल्ली के द्वारका व हरियाणा के गुरुग्राम को जोड़ेगा। यह भारत में स्तंभों (Pillars) पर बनाया जाने वाला पहला शहरी एक्सप्रेसवे होगा।

हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट, 2021 का 10वाँ संस्करण जारी किया गया। इसके अनुसार, विश्व के सबसे धनी व्यक्ति टेस्ला कंपनी के मालिक 'एलोन मस्क' हैं। दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमश: 'जेफ बेज़ोस' (अमेज़न) और 'बर्नार्ड आर्नाल्ट' (LVMH) हैं। भारतीयों में सबसे धनी व्यक्ति 'मुकेश अंबानी' हैं, जो विश्व में 8वें स्थान पर है; इनके बाद गौतम अडाणी का स्थान है। भारत 177 अरबपतियों के साथ विश्व में तीसरे स्थान पर है।

भारत और नॉर्वे ने लक्षद्वीप तथा पुदुचेरी में 'समुद्री स्थानिक योजना' (Marine Spatial Plan) नामक संयुक्त समुद्री पहल का संचालन करने पर सहमति जताई है। इसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले 'राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र' (NCCR) द्वारा लागू किया जाएगा।

वर्ष 2014-15 में ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की औसत अवधि 12.5 घंटे प्रतिदिन थी, जो वर्ष 2019-20 में बढ़कर 18.5 घंटे प्रतिदिन हो गई है।

केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने 'ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स, 2020' और 'नगर निगम कार्य-निष्पादन सूचकांक, 2020' जारी किया है। दोनों सूचकांक शहरों का समग्र मूल्यांकन करते हैं।

अमेरिकी थिंक टैंक 'फ्रीडम हाउस' द्वारा जारी 'डेमोक्रेसी अंडर सीज़' नामक रिपोर्ट में भारत का दर्जा घटाकर 'आंशिक रूप से स्वतंत्र' कर दिया गया है।

'राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण' (NDMA) ने संशोधित 'राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना' (NDMP)- 2019 तैयार की है। इसमें 'ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स' (GLOF) संबंधी घटनाओं से भी प्रभावी तरीके से निपटने की रणनीति अपनाई गई है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड' को बंद करने की मंजूरी दी है।

पर्यटन मंत्रालय ने तटीय सर्किट की पहचान 'स्वदेश दर्शन योजना' के तहत विकसित किये जाने वाले विषयगत सर्किट के रूप में की है।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने 'वैश्विक मज़दूरी रिपोर्ट 2020-21: कोविड-19 के समय मज़दूरी और न्यूनतम मज़दूरी' जारी की।

पोर्ट ब्लेयर में स्वदेश निर्मित भारतीय नौसेना 'लैंडिंग क्राफ्ट युटिलिटी' (LCU) एल-58 की कमीशनिंग की गई।

विद्युत मंत्रालय ने फरवरी 2021 में इलेक्ट्रिक वाहनों और इलेक्ट्रिक कुकिंग उपकरणों को अपनाने के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से 'गो इलेक्ट्रिक' अभियान शुरू किया।

भारत और अमेरिका ने 'अमेरिकी भारतीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' (USIAI) पहल लॉन्च की है।

हवाई रडार सर्वेक्षणों (Airborne Radar Surveys) का उपयोग करके हिमालयी हिमनदों की मोटाई का अनुमान लगाने के लिये पृथ्वी विज्ञान केंद्र के 'नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च' (NCPOR) ने एक पहल शुरू की है। इसके लिये हिमाचल प्रदेश के लाहौल-स्पीति बेसिन में पायलट आधार पर एक अध्ययन किया जाना है।

सातवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस- 2021 का आयोजन अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह में किया जाएगा।

भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन आने वाले 'मसाला बोर्ड' ने जोधपुर में एक 'मसाला पार्क' की स्थापना की है।

जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च, बंगलुरु के वैज्ञानिकों ने एक नई सीसामुक्त सामग्री का पता लगाया है, जो कचरे में सन्निहित ऊर्जा को कुशलतापूर्वक विद्युत में परिवर्तित कर सकती है।

भारत सरकार, नागालैंड सरकार और विश्व बैंक ने नागालैंड में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु 6.8 करोड़ डॉलर की परियोजना पर हस्ताक्षर किये।

विभिन्न राज्यों द्वारा 'तीव्र मिशन इंद्रधनुष 3.0' (Intensified Mission Indradhanush 3.0) की शुरुआत कर दी गई है, जिसका उद्देश्य नियमित टीकाकरण कार्यक्रम से वंचित बच्चों व गर्भवती महिलाओं तक पहुँचना है। इसका पहला चरण 22 फरवरी, 2021 से 15 दिनों के लिये शुरू किया गया।

भारत और मॉरीशस ने 'व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते' (CECPA) पर हस्ताक्षर किये, जो भारत द्वारा किसी अफ्रीकी देश के साथ पहला सी.ई.सी.पी.ए. व्यापार समझौता है।

श्री विजय सांपला 'राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग' के नए अध्यक्ष बने।

दूसरे 'खेलो इंडिया' राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों का आयोजन 26 फरवरी से 2 मार्च, 2021 तक जम्मू और कश्मीर में किया गया।

भारत के नवाचार इकोसिस्टम को मज़बूती देने और शहरी वातावरण में नवाचार को प्रोत्साहन देने के लिये आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने 'शहरी नवाचार सूचकांक' लॉन्च किया।

स्वयं सहायता समूह और हस्तशिल्पियों की भूमिका को बढ़ाने के लिये ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा नोएडा में 'सरस आजीविका मेला 2021' का उद्घाटन किया गया।

वर्ष 2021 के 'राष्ट्रीय विज्ञान दिवस' का विषय (थीम) 'विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचारों का भविष्य' है।

एम.एस.एम.ई. मंत्रालय ने पारंपरिक उद्योगों और शिल्पियों को समूहों में संगठित करने, उनकी आय बढ़ाने व पारंपरिक उद्योगों को पुनर्स्थापित करने के लिये 18 राज्यों में 50 'स्फूर्ति' (Scheme of Fund for Regeneration of Traditional Industries-SFURTI) क्लस्टर्स का उद्घाटन किया।

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 'गैर-एल्कॉहोलिक फैटी लिवर बीमारियों' (NAFLD) को 'कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक से बचाव एवं नियंत्रण के राष्ट्रीय कार्यक्रम' (NPCDCS) से संबद्ध करने के दिशा-निर्देश जारी किये हैं। भारत एन.ए.एफ.एल.डी. के लिये कार्रवाई करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है।

टेलीकॉम ग्राहकों एवं अधिकारों एवं हितों के संरक्षण हेतु 'टेलीकॉम एनालिटिक्स फॉर फ्रॉड मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन' (TAFCOP) प्रणाली विकसित की जाएगी।

# निबंध खंड

**विषय :**

***जहाज़ अपने चारों-तरफ के पानी की वजह से नहीं डूबा करते, जहाज़ पानी के अंदर समा जाने की वजह से डूबते हैं।***
**(UPSC,2020)**

## विषय की अवधारणात्मक रूपरेखा

- यह निबंध मूर्त भी है और अमूर्त भी। 'जहाज़' तो एक प्रतीक मात्र है, व्यावहारिक संदर्भ में यहाँ हमारे जीवन की बात की जा रही है।
- समुद्र कितना भी विशाल और गहरा हो, जहाज़ कभी भी उसकी वजह से नहीं डूबता है। इसके वैज्ञानिक कारण हैं, जिनसे हम सभी अवगत हैं। हर जहाज़ की एक निश्चित यात्रा होती है, जो तमाम झंझावातों का सामना करते हुए उसे पूर्ण करनी होती है।
- जहाज़ का साथी पानी है, जिस पर चलकर उसे यह यात्रा पूरी करनी होती है। पर जैसे ही यह पानी जहाज़ के अंदर प्रवेश करेगा, तय है कि जहाज़ डूब जाएगा।
- दुनिया भी समुद्र के समान ही है और हम एक जहाज़ रूपी शरीर को संचालित करने वाले कप्तान हैं। यहाँ हमें दुनिया की चुनौतियों, संघर्ष, लोगों द्वारा दी जानी वाली सलाह आदि सभी में संतुलन स्थापित करना है। किंतु, यदि हम हर चीज़ को एक सीमा से अधिक अपने में समेटते जाएँगे तो जीवन का संतुलन बिगड़ना तय है।
- दूसरे शब्दों में, यदि 'मानव शरीर' को हम 'जहाज़' मानें तो 'पानी' का आशय मानव के चारों-ओर उपस्थित अच्छाइयों और बुराइयों के मिश्रित परिवेश से होगा। और शाश्वत सत्य यही है कि मानव को इसी परिवेश के साथ साम्य स्थापित करके जीवन जीना होता है।
- यह निबंध मूलत: मानव के जीवन-दर्शन को इंगित करता है। यहाँ बुद्ध के मध्यम मार्ग की चर्चा भी की जा सकती है।
- निबंध लेखन के दौरान इस बिंदु की भी चर्चा की जा सकती है कि 'हम दुनिया में कितने हैं और दुनिया हममें कितनी है।' दरअसल, कई लोगों को यह शिकायत होती है कि उनके आसपास के लोगों की वजह से वे अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, जबकि गंभीरतापूर्वक देखें तो वे खुद ही आसपास के लोगों में ज़रूरत से ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं।

■■■

## ⏩⏭ निबंध लेखन के लिये उपयोगी उद्धरण ⏮⏪

भारतीय सभ्यता-संस्कृति की विशालता और उसकी महत्ता संपूर्ण मानव सभ्यता के साथ तादात्म्य स्थापित करने अर्थात् 'वसुधैव कुटुंबकम्' की पवित्र भावना में निहित है। **–मदन मोहन मालवीय**

भारत की एकता का मुख्य आधार इसकी संस्कृति है, जिसका प्रवाह कहीं नहीं टूटा; यही इसकी विशेषता है। भारतीय एकता अक्षुण्ण है क्योंकि भारतीय संस्कृति की धारा निरंतर बहती रही है और आगे भी बहती रहेगी।
**–मदन मोहन मालवीय**

आंशिक संस्कृति शृंगार की ओर दौड़ती है, जबकि अपरिमित संस्कृति सरलता की ओर। **–बोबी**

सभ्यता शरीर है, संस्कृति आत्मा; सभ्यता जानकारी और भिन्न क्षेत्रों में महान एवं दु:खदायी खोज का परिणाम है, जबकि संस्कृति ज्ञान का परिणाम है। **–श्री प्रकाश**

विश्व के सर्वोत्कृष्ट कथनों और विचारों का ज्ञान ही संस्कृति है।
**–आर्नल्ड**

जो संस्कृति महान होती है, वह दूसरों की संस्कृति को भयभीत नहीं करती, बल्कि उसे पवित्र करती है। गंगा महान क्यों है? दूसरे प्रवाहों को स्वयं में मिला लेने के कारण ही वह पवित्र रहती है।

**– साने गुरुजी**

स्वभाव की गंभीरता और मन की समता, संस्कृति के अंतिम पाठों में से एक है। यह समस्त विश्व को वश में करने वाली शक्ति में पूर्ण विश्वास रखने से उत्पन्न होती है। **– स्वेट मार्डन**

संस्कृति एकांतिक वस्तु नहीं है। उसका अर्थ प्रत्येक जगह एकसमान नहीं होता। **– महात्मा गांधी**

कोई भी संस्कृति जीवित नहीं रह सकती, यदि वह अपने को अन्य से पृथक रखने का प्रयास करे। **– महात्मा गांधी**

व्यक्ति की भाँति राष्ट्र भी जीवित रहते हैं और मरते हैं, किंतु संस्कृति का कभी पतन नहीं होता। **– मेजिनी**

हिंदू संस्कृति आध्यात्मिकता की अमर आधारशिला पर स्थित है।

**–स्वामी विवेकानंद**

संस्कृति की चाहे कोई भी परिभाषा क्यों न हो, किंतु उसे व्यक्ति, समूह अथवा राष्ट्र की सीमाओं में बाँधना मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। **– पंडित जवाहरलाल नेहरू**

संस्कृति का सही मूल्यांकन अच्छी नारियों का उस पर प्रभाव है।

**–एमर्सन**

उपासना, मत और ईश्वर संबंधी विश्वास की स्वतंत्रता भारतीय संस्कृति की परंपरा रही है। **–अटल बिहारी वाजपेयी**

# मानचित्र अध्ययन के उत्तर

## भारत

### 1. मगुरी-मोटापुंग बील

- हाल ही में, असम के तिनसुकिया ज़िले में मगुरी-मोटापुंग बील में एक सदी के बाद मंदारिन बतखें देखी गई हैं।
- मगुरी-मोटापुंग बील 'बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी' द्वारा घोषित एक महत्त्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र है।
- यह ऊपरी असम में डिब्रू-सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान के निकट स्थित है।

### 2. सिमलीपाल जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र

- सिमलीपाल जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में शुष्क मौसम के दौरान प्राय: दावानल की घटनाएँ देखी जाती हैं।
- सिमलीपाल, जिसका नाम 'सिमुल' (रेशम कपास) के पेड़ से लिया गया है, एक राष्ट्रीय उद्यान एवं बाघ अभयारण्य है। यह ओडिशा के मयूरभंज ज़िले के उत्तरी भाग में अवस्थित है।
- 2 जून, 9 को पूर्वी घाट के पूर्वी छोर पर स्थित सिमलीपाल तथा आस-पास के 5 0 वर्ग किमी. क्षेत्र को भारत सरकार द्वारा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था।

### 3. माजुली नदी द्वीप

- हाल ही में, ब्रह्मपुत्र नदी पर एक प्रमुख सेतु परियोजना का शिलान्यास किया गया। यह सेतु जोरहाट को माजुली (नेमाटी घाट से कमलाबाड़ी घाट) से जोड़ेगा।
- यह दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। यह द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी में अवस्थित है।
- माजुली का अर्थ है– दो समानांतर नदियों के बीच की भूमि।
- यह द्वीप नव-वैष्णव संस्कृति का मुख्य केंद्र है, जिसका विकास 5 वीं सदी में महान संन्यासी श्रीमंत शंकरदेव द्वारा प्रतिपादित अद्वितीय वैष्णव सत्र प्रणाली के दौरान हुआ था।

### 4. सो कार आर्द्रभूमि

- हाल ही में, भारत में 'सो कार' (TSO KAR) आर्द्रभूमि परिसर को अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व के रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है, जो लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र में स्थित दूसरा ऐसा स्थल है।
- अब भारत में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त आर्द्रभूमियों की संख्या 2 हो गई है, जो दक्षिण-एशिया में सर्वाधिक है।

### 5. देपसांग मैदान

- पूर्वी लद्दाख के उत्तरी भाग में स्थित देपसांग मैदान, सामरिक रूप से महत्त्वपूर्ण दौलत बेग ओल्डी (काराकोरम दर्रे के पास) के निकट अवस्थित है। यहाँ पर भारत की उच्चतम हवाई पट्टी भी स्थित है।
- यह मैदान भारत के 'सब सेक्टर नॉर्थ' (SSN) के अंतर्गत आता है, जो एक ओर सियाचिन हिमनद और दूसरी ओर चीन नियंत्रित अक्साई चिन के बीच अवस्थित है।

# करेंट अफेयर्स आधारित अभ्यास प्रश्न

**1.** 'मैत्री सेतु' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये–

1. इस सेतु का निर्माण फेनी नदी पर किया गया है, जिसका उद्गम दक्षिण बांग्लादेश से होता है।
2. 1.9 किमी. लंबा यह सेतु भारत के सबरूम को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ता है।
3. यह त्रिपुरा तथा चटगाँव बंदरगाह के मध्य दूरी को कम करेगा।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 3 (d) उपर्युक्त सभी।

**2.** निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये–

1. वर्ष 1919 के 'मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों' के अंतर्गत स्थानीय शासन को 'हस्तांतरित विषयों' के अंतर्गत शामिल किया गया था।
2. 'राज्य वित्त आयोग' राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित करों से प्राप्त आय का वितरण राज्य सरकार एवं नगरपालिकाओं के मध्य करने के संदर्भ में मुख्यमंत्री के समक्ष सिफारिशें प्रस्तुत करता है।
3. राज्य वित्त आयोग की सिफारिशें सरकार के लिये बाध्यकारी होती हैं।
4. नगरपालिका बजट में स्वच्छ वायु, पेयजल एवं अपशिष्ट प्रबंधन आदि विषयों को शामिल किया जाता है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

(a) केवल 1, 2 और 3 (b) केवल 2 और 4
(c) केवल 1 और 4 (d) केवल 1, 3 और 4

**3.** 'लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये–

1. इसके तहत खाद्यान्न 'केंद्रीय निर्गम मूल्य' पर प्रदान किये जाते हैं।
2. इसके अंतर्गत लाभार्थियों के 'कवरेज़ अनुपात' का निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है।
3. इस प्रणाली की शुरुआत द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान भीषण अकाल का सामना करने के लिये की गई थी।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही नहीं है/हैं?

(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 1 और 2
(c) केवल 3 (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं।

**4.** मोटे अनाजों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये–

1. इनकी खेती को प्रोत्साहित करने के लिये अप्रैल 2018 में इन्हें पोषक अनाज के रूप में अधिसूचित किया गया था।
2. जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु मोटे अनाज अनुकूलन व शमन दोनों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
3. ये रक्ताल्पता, हृदय संबंधी रोगों तथा कैल्शियम न्यूनता से निपटने में सहायक हैं।
4. विगत कुछ वर्षों से इनके उत्पादन में कमी आई है। इसे प्रोत्साहित करने के लिये वर्ष 2018 को 'मोटे अनाजों के वर्ष' के रूप में घोषित किया गया था।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

(a) केवल 1, 2 और 3 (b) केवल 2, 3 और 4
(c) केवल 2 और 4 (d) उपर्युक्त सभी।

**5.** अमेज़ोनिया-1 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये–

1. यह इसरो द्वारा प्रक्षेपित 'प्रकाशीय भू-प्रेक्षण उपग्रह' है, जिसे भू-तुल्यकालिक कक्षा में स्थापित किया गया है।
2. इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से 'पी.एस.एल.वी.-सी-51' द्वारा लॉन्च किया गया।
3. यह उपग्रह वर्ष 2030 तक अमेज़न क्षेत्र में निर्वनीकरण की निगरानी करेगा।
4. इसे भारत सरकार द्वारा सितंबर 2019 में स्थापित सार्वजनिक उपक्रम 'न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड' के प्रथम मिशन के तहत लॉन्च किया गया है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही नहीं हैं?

(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 2, 3 और 4
(c) केवल 1, 2 और 4 (d) केवल 2 और 4

**6.** 'इनेब्लिंग दि बिज़नेस ऑफ एग्रीकल्चर' रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है?

(a) खाद्य एवं कृषि संगठन
(b) विश्व बैंक
(c) अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान
(d) व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

**15.** 'न्यू ग्रेट गेम' निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?

(a) यह सेबी द्वारा शुरू की गई एक पहल है, जिसका उद्देश्य भारतीय शेयर बाज़ार में विनियमित सट्टेबाज़ी को बढ़ावा देना है।

(b) यह मध्य एशियाई क्षेत्र में भू-राजनीतिक एवं भू-आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिये क्षेत्रीय राष्ट्रों तथा महाशक्तियों के मध्य होने वाली प्रतिस्पर्द्धा है।

(c) यह यूरोपीय संघ की एक पहल है, जिसका उद्देश्य एशिया और अफ्रीका में व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है।

(d) यह अमेरिकी प्रशासन द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है, जिसका उद्देश्य मध्य एशियाई क्षेत्र में कूटनीतिक संबंधों को मज़बूत करना है।

**16.** निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये—

1. 50 % आरक्षण की अधिकतम सीमा को असाधारण परिस्थितियों के दौरान बढ़ाया जा सकता है।
2. अनुच्छेद 342A के अनुसार, सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को केंद्रीय सूची में सम्मिलित या अपवर्जित करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है।
3. आरक्षण की अधिकतम सीमा 'चंपाकम दोराईराजन वाद' में निर्धारित की गई थी।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 3

(c) केवल 2 और 3 (d) उपर्युक्त सभी।

**17.** 'अधिवास आधारित आरक्षण' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये—

1. हरियाणा इस प्रकार के कानून को अधिनियमित करने वाला पहला राज्य है।
2. राज्यों को यह शक्ति लोक नियोजन (निवास विषयक अपेक्षा) अधिनियम, 1957 के आधार पर प्रदान की गई है।
3. अधिवास आधारित आरक्षण कानून को नौवीं अनुसूची में शामिल करने से न्यायिक पुनर्विलोकन से संरक्षण प्राप्त हो जाता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही नहीं है/हैं?

(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 1

(c) केवल 2 और 3 (d) उपर्युक्त सभी।

**18.** चर्चा में रहे इन स्थानों के संदर्भ में, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिये—

| **चर्चित स्थल** | | **संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र** |
|---|---|---|
| 1. देपसांग मैदान | – | जम्मू और कश्मीर |
| 2. मगुरी मोटापुंग बील | – | त्रिपुरा |
| 3. सतकोसिया टाइगर रिज़र्व | – | ओडिशा |
| 4. नीती घाटी | – | उत्तराखंड |

उपर्युक्त में से कौन-से युग्म सही सुमेलित हैं?

(a) केवल 1, 3 और 4 (b) केवल 3 और 4

(c) केवल 2 और 3 (d) केवल 2, 3 और 4

**19.** निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये—

1. व्हिटसन रीफ, जिसे जुलियन फेलिप के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिणी चीन सागर में अवस्थित है।
2. माउंट हक्काबो राजी, म्याँमार का सबसे ऊँचा पर्वत शिखर है।
3. अर्मेनिया, काकेशस पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में स्थित देश है, जो जॉर्जिया, अज़रबैजान, ईरान से घिरा हुआ है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही नहीं है/हैं?

(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 1

(c) केवल 2 और 3 (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं।

**20.** निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये—

1. भारतीय संविधान में केंद्र एवं राज्यों के मध्य कर व राजस्व के ऊर्ध्वाधर वितरण तथा राज्यों के मध्य क्षैतिज वितरण का प्रावधान नहीं किया गया है।
2. राज्यों के मध्य करों का क्षैतिज अंतरण आवश्यकता, कार्य निष्पादन तथा संरचनात्मक असंतुलन के आधार पर किया जाता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

**21.** भारतीय संविधान के किस भाग में सामाजिक सुरक्षा से संबंधित स्पष्ट प्रावधान किये गए हैं?

1. राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व
2. मूल अधिकार
3. प्रस्तावना
4. मूल कर्त्तव्य

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये :

(a) केवल 1 (b) केवल 2, 3 और 4

(c) केवल 1 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

**22.** 'राज्य निर्वाचन आयुक्त' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये—

1. इसे पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के चुनावों के लिये निर्वाचक नामावली तैयार करने तथा चुनाव के संचालन का अधीक्षण, निदेशन एवं नियंत्रण की शक्ति प्रदान की गई है।
2. राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सलाह पर की जाती है।

# संस्कृति करेंट अफेयर्स

## घर बैठे मँगवाएँ हमारी पत्रिका

नीचे दिये गए खाता संख्या/यू.पी.आई. क्यू.आर. कोड पर जाकर पत्रिका के लिये ऑनलाइन भुगतान करें।

## सदस्यता शुल्क

| कुल मूल्य | अर्द्धवार्षिक | वार्षिक | द्विवार्षिक |
|---|---|---|---|
| पंजीकृत डाक/कूरियर सेवा के साथ (जी.एस.टी. सहित) | ₹70 | ₹140 | ₹280 |

**Account Holder Name:** Sanskriti IAS

**A/c No:** 033105005525

**Account Type:** Current

**IFSC Code:** ICIC0000331

**Branch:** ICICI Bank, Ashok Vihar

QR Code for Payment Detail

अधिक जानकारी के लिये संपर्क करें
www.sanskritiIAS.com

भुगतान करने के पश्चात् कृपया भुगतान विविरण दिये गए मोबाइल नंबर **7428 085 757 / 58** पर भेजें।

**नोट:** सदस्यता शुल्क प्राप्त होने के बाद पत्रिका आपके बताए पते पर प्रत्येक महीने की 7 तारीख तक डिस्पैच कर दी जाएगी।

### सदस्यता कूपन

कृपया मुझे छमाही ☐/वार्षिक ☐/द्विवार्षिक ☐ प्लान के तहत संस्कृति करेंट अफेयर्स पत्रिका भेजें।

नाम (अंग्रेज़ी के बड़े अक्षरों में) .....

पता : .....

..... ज़िला ..... पिन .....

ई-मेल..... मोबाइल नं. .....

ट्रांज़ेक्शन नं. .....दिनांक .....

संस्कृति IAS
The Complete Administrative Culture

## अखिल मूर्ति के निर्देशन में

# करेंट अफेयर्स की समग्र तैयारी एक ही प्लेटफॉर्म पर

## करेंट अफेयर्स के साथ-साथ और भी बहुत-कुछ...

फॉलो करें

# www.sanskritiias.com

### न्यूज़ आर्टिकल

- अंग्रेज़ी के प्रमुख अखबारों (द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स, लाइव मिंट) से परीक्षोपयोगी समाचारों का हिंदी में विश्लेषण।
- पीआईबी, पीआरएस तथा अन्य महत्त्वपूर्ण वेबसाइट्स से परीक्षा की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण समाचारों का दैनिक विश्लेषण।
- राज्य सभा टीवी (RSTV) के महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमों का हिंदी में विश्लेषण।

### जिस्ट

करेंट अफेयर्स की महत्त्वपूर्ण पत्रिकाओं (योजना, कुरुक्षेत्र, डाउन टू अर्थ, साइंस रिपोर्टर, ई.पी.डब्ल्यू.) के प्रमुख लेखों का मासिक सार-संग्रह।

### PT Card

प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्त्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के किसी विषय पर प्रतिदिन एक PT-Card.

### कॉन्सेप्ट थ्रू इंफोग्राफिक्स

करेंट अफेयर्स के महत्त्वपूर्ण विषयों का इंफोग्राफिक्स के माध्यम से प्रस्तुतीकरण।

### PT Quiz

प्रारंभिक परीक्षा के लिये प्रतिदिन करेंट अफेयर्स आधारित 5 प्रश्न और उनके व्याख्या सहित उत्तर।

### मुख्य परीक्षा मॉडल प्रश्नोत्तर

प्रतिदिन मुख्य परीक्षा (सामान्य अध्ययन) के प्रत्येक प्रश्नपत्र से एक प्रश्न तथा उसके उत्तर की मॉडल फ्रेमिंग।

### महत्त्वपूर्ण शब्दावली

समसामयिक घटनाओं तथा सामान्य अध्ययन के विषयों से संबंधित चर्चित अवधारणाओं/शब्दों का परिभाषिक अर्थ तथा संबंधित तथ्य

**नोट : यदि आप नियमित रूप से प्रतिदिन एक से डेढ़ घंटा इस वेबसाइट पर आकर पढ़ाई करते हैं, तो हम आपको आश्वस्त करते हैं कि करेंट अफेयर्स की तैयारी और मुख्य परीक्षा उत्तर-लेखन अभ्यास के लिये आपको किसी अन्य स्रोत पर निर्भर नहीं रहना होगा।**

631, भू-तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009 | संपर्क करें: 7428085757/58 या मिस्ड-कॉल करें: 9555-124-124

Website: www.sanskritiIAS.com | Follows us on: YouTube

संस्कृति IAS
The Complete Administrative Culture

## अखिल मूर्ति के निर्देशन में

# ऑनलाइन वीडियो कोर्स

**सामान्य अध्ययन**
**प्रिलिम्स कोर्स**

**GS (PT & Mains)**
**Ques-Ans. Discussion Course**

**नोट**

नोट्स की गुणवत्ता एवं डेमो क्लास देखने के लिये गूगल प्ले स्टोर से SANSKRITI IAS का एप डाउनलोड करें

पेनड्राइव कोर्स

**वैकल्पिक विषय**
**भूगोल**
द्वारा - कुमार गौरव

**वैकल्पिक विषय**
**इतिहास**
द्वारा - अखिल मूर्ति

| | | | |
|---|---|---|---|
| **श्री अखिल मूर्ति**<br>इतिहास<br>कला एवं संस्कृति | **श्री अमित कुमार सिंह**<br>(IGNITED MINDS)<br>एथिक्स | **श्री ए.के. अरुण**<br>भारतीय अर्थव्यवस्था | **श्री सीबीपी श्रीवास्तव**<br>(DISCOVERY IAS)<br>राजव्यवस्था, सामाजिक न्याय<br>गवर्नेंस, आंतरिक सुरक्षा |
| **श्री कुमार गौरव**<br>भूगोल, पर्यावरण<br>आपदा प्रबंधन | **श्री राजेश मिश्रा**<br>भारतीय राजव्यवस्था<br>अंतर्राष्ट्रीय संबंध | **श्री रीतेश आर जायसवाल**<br>सामान्य विज्ञान<br>विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी | **श्री विकास रंजन**<br>(TRIUMPH IAS)<br>सामाजिक मुद्दे |

## ऑनलाइन वीडियो कोर्स की महत्त्वपूर्ण विशेषताएँ

- 500 से अधिक घंटों की कक्षाएँ
- 24×7 क्लास एक्सेस, कभी भी कहीं से भी
- विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों पर परिचर्चा
- अद्यतन एवं विस्तृत पाठ्य सामग्री कोरियर द्वारा आपके पास भेजी जाएगी
- प्रत्येक माह करेंट अफेयर्स मैगज़ीन पी.डी.एफ. फॉर्मेट में
- प्रत्येक वीडियो को जी.एस. में 4 बार और वैकल्पिक विषय में 3 बार देखने की सुविधा
- नियमित क्लास टेस्ट
- वीडियो कोर्स में वही अध्यापक पढ़ाएँगे जो दिल्ली केंद्र पर ऑफलाइन कक्षा कार्यक्रम में पढ़ाते हैं

पता: 631, भू-तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009 | सम्पर्क करें: 7428085757/58 या मिस्ड-कॉल करें: 9555-124-124
Website: www.sanskritiIAS.com | Follows us on: YouTube